# Oraganisation Structure of Institution

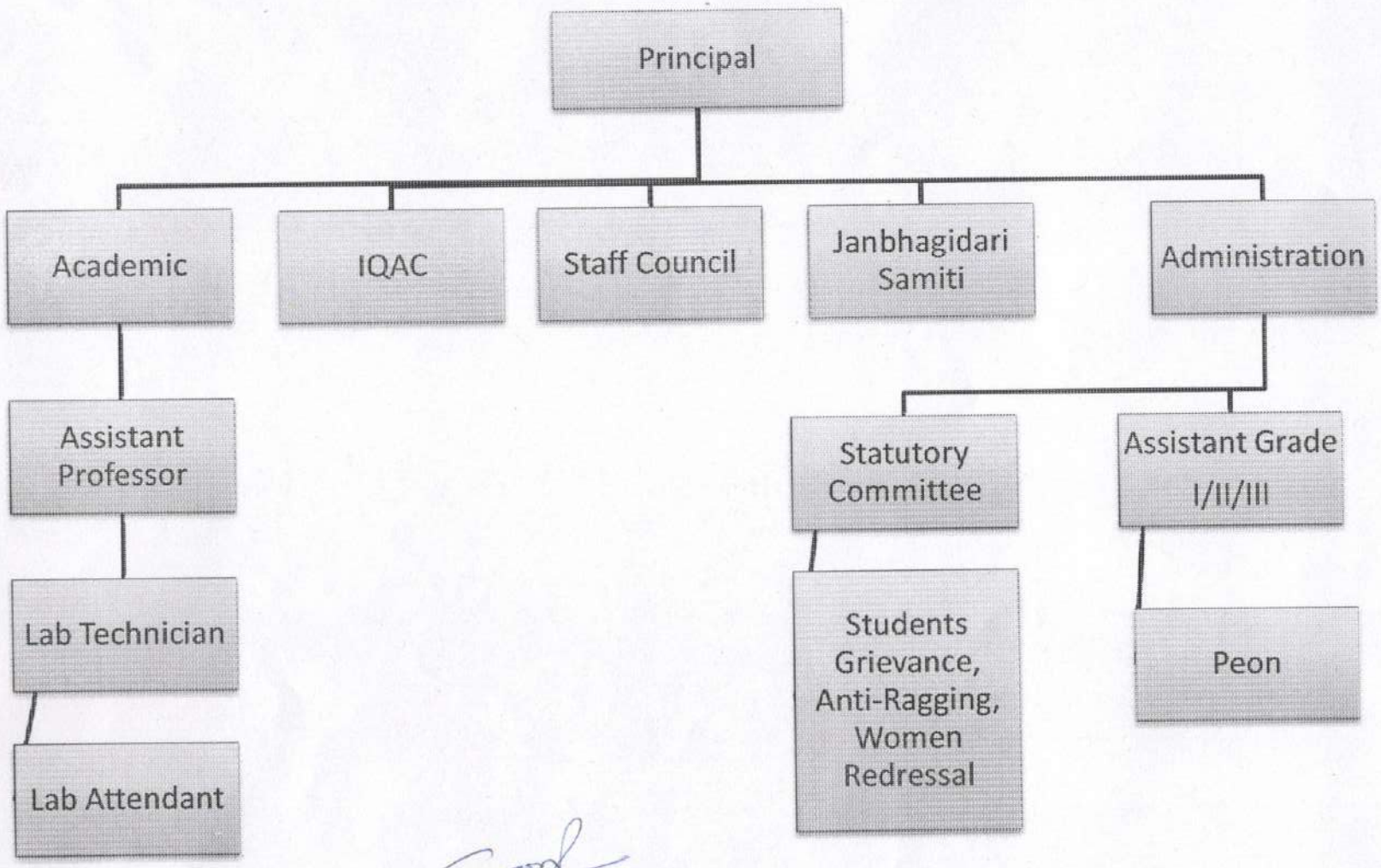


PRINCIPAL
VISHNUCHARAN GUPTA
Govt.College Pussore
District- Raigarh (C.G.)

# कार्यालय प्राचार्य, शासकीय नवीन महाविद्यालय पुसौर
## जिला–रायगढ़ (छ.ग.)

क्रमांक/ 32 /स्था/2017–18 पुसौर दिनांक 04/10/2017

इस महाविद्यालय में सत्र 2017–18 मे निम्नानुसार समिति का गठन किय गया।

(1) प्रवेश समितिः

बी.ए.

| | |
|---|---|
| डॉ. रोहिणी आर्या | संयोजक |
| श्री एस भोय | सदस्य |

बी.एस.सी.

| | |
|---|---|
| श्री एस. भोय | संयोजक |
| डॉ. रोहिणी आर्या | सदस्य |
| श्री ए. एक्का | सदस्य |

बी. काम.

| | |
|---|---|
| श्री एस. भोय | संयोजक |
| डॉ. रोहिणी आर्या | सदस्य |

(2) समय सारणीः

| | |
|---|---|
| डॉ. सरोज कुमार | संयोजक |
| श्री एस. भोय | सदस्य |
| श्री जयनारायण नायक | सदस्य |
| श्री रमेश कुमार साहू | सदस्य |

(3) अनुशासन एवं रैगिंग नियंत्रण समितिः

| | |
|---|---|
| श्री एस. भोय | संयोजक |
| श्री हरिहर प्रसाद चौहान | सदस्य |
| श्री विजय कांटे | सदस्य |
| डॉ. सावित्री अग्रवाल | सदस्य |

(4) छात्र संघः

| | |
|---|---|
| डॉ. सरोज कुमार | संयोजक |
| श्री विजय कांटे | सदस्य |
| श्री बालमुकुन्द पटेल | सदस्य |
| श्री ए. एक्का | सदस्य |

(5) क्रीड़ा समितिः

| | |
|---|---|
| श्री एस. भोय | संयोजक |
| श्री हरिहर प्रसाद चौहान | सदस्य |
| श्री ए. एक्का | सदस्य |
| श्री बालमुकुन्द पटेल | सदस्य |

(6) यु. जी. सी. समिति :

| | |
|---|---|
| श्री हरिहर प्रसाद चौहान | संयोजक |
| श्री विजय कांटे | सदस्य |
| श्री सी. आर. अनंत | सदस्य |

(7) रूसा एवं बैंक समितिः

| | |
|---|---|
| डॉ. सरोज कुमार | संयोजक |
| श्री विजय कांटे | सदस्य |
| श्री एस. भोय | सदस्य |
| श्री बालमुकुन्द पटेल | सदस्य |

(8) हेल्प डेस्क/शिकायत निवारण समितिः

बी. ए.

| | |
|---|---|
| श्री जयनारायण नायक | संयोजक |
| डॉ. सावित्री अग्रवाल | सदस्य |
| डॉ. रोहिणी आर्या | सदस्य |
| श्री व्ही. डी. यादव | सदस्य |

बी. एस. सी.

| | |
|---|---|
| श्री विजय कांटे | संयोजक |

PRINCIPAL
VISHNUCHARAN GUPTA
Govt.College Pussore
District- Raigarh (C.G.)

| | |
|---|---|
| श्री हरिहर प्रसाद चौहान | सदस्य |
| श्री व्ही. डी. यादव | सदस्य |

बी. काम.

| | |
|---|---|
| श्री रमेश कुमार साहू | संयोजक |
| श्री व्ही. डी. यादव | सदस्य |
| सुश्री ऐवन्ती पटेल | सदस्य |

(9) सांस्कृतिक एवं साहित्यिकः

| | |
|---|---|
| डॉ. सरोज कुमार | संयोजक |
| श्री एस. भोय | सदस्य |
| डॉ. सावित्री अग्रवाल | सदस्य |
| श्री विजय कांटे | सदस्य |

(10) छात्र कल्याण समितिः

| | |
|---|---|
| श्री जयनारायण नायक | संयोजक |
| श्री रमेश कुमार साहू | सदस्य |
| सुश्री ऐवन्ती पटेल | सदस्य |

(11) महिला उत्पीड़नः

| | |
|---|---|
| डॉ. रोहिणी आर्या | संयोजक |
| सुश्री ऐवन्ती पटेल | सदस्य |

(12) ऑल इंडिया सर्वे ऑफ हायर एजुकेशनः

| | |
|---|---|
| डॉ. रोहिणी आर्या | संयोजक |
| श्री रमेश कुमार साहू | सदस्य |
| डॉ. सावित्री अग्रवाल | सदस्य |

(13) ग्रंथालय समितिः

| | |
|---|---|
| श्री एस. भोय | संयोजक |
| श्री ए. एक्का | सदस्य |
| श्री व्ही. डी. यादव | सदस्य |

(14) प्लेसमेंट सेलः

| | |
|---|---|
| श्री हरिहर प्रसाद चौहान | संयोजक |
| श्री बालमुकुन्द पटेल | सदस्य |
| श्री जयनारायण नायक | सदस्य |

(15) छात्रवृत्ति समितिः

| | |
|---|---|
| श्री रमेश कुमार साहू | संयोजक |
| श्री ए. एक्का | सदस्य |
| श्री बालमुकुन्द पटेल | सदस्य |

(16) क्रय समितिः

| | |
|---|---|
| श्री एस. भोय | संयोजक |
| डॉ. रोहिणी आर्या | सदस्य |
| श्री चैतराम अनंत | सदस्य |

प्राचार्य
शासकीय नवीन महाविद्यालय, पुसौर
जिला–रायगढ़ (छ.ग.)

PRINCIPAL
VISHNUCHARAN GUPTA
Govt College Pussore
District- Raigarh (C.G.)

# कार्यालय प्राचार्य, शासकीय नवीन महाविद्यालय पुसौर
## जिला–रायगढ़ (छ.ग.)

क्रमांक/ 09 /स्था/2018–19

पुसौर दिनांक 06/07/2018

इस महाविद्यालय में सत्र 2018–19 मे निम्नानुसार समिति का गठन किय गया।

(1) प्रवेश समितिः

बी.ए.

श्री एस. भोय संयोजक

बी.एस.सी.

श्री विजय कांटे संयोजक

बी. काम.

डॉ. रोहिणी आर्या संयोजक

श्री जयनारायण नायक : सदस्य

हरिहर प्रसाद चौहान : सदस्य

रमेश कुमार साहू : सदस्य

(2) समय सारणीः

डॉ. सरोज कुमार संयोजक
श्री एस. भोय सदस्य
श्री जयनारायण नायक सदस्य
श्री रमेश कुमार साहू सदस्य

(3) अनुशासन एवं रैगिंग नियंत्रण समितिः

डॉ. रोहिणी आर्या संयोजक
श्री हरिहर प्रसाद चौहान सदस्य
श्री विजय कांटे सदस्य

(4) छात्र संघः

श्री एस. भोय संयोजक
श्री विजय कांटे सदस्य
श्री बालमुकुन्द पटेल सदस्य
श्री ए. एक्का सदस्य

(5) क्रीड़ा समितिः

श्री एस. भोय संयोजक
श्री हरिहर प्रसाद चौहान सदस्य
श्री ए. एक्का सदस्य
श्री बालमुकुन्द पटेल सदस्य

(6) यु. जी. सी. समिति :

श्री हरिहर प्रसाद चौहान संयोजक
श्री विजय कांटे सदस्य
श्री सी. आर. अनंत सदस्य

(7) रूसा एवं नैक समितिः

डॉ. सरोज कुमार संयोजक
श्री विजय कांटे सदस्य
श्री एस. भोय सदस्य
श्री बालमुकुन्द पटेल सदस्य

(8) हेल्प डेक्स/शिकायत निवारण समितिः

बी. ए.

श्री जयनारायण नायक संयोजक
डॉ. सावित्री अग्रवाल सदस्य
डॉ. रोहिणी आर्या सदस्य
श्री व्ही. डी. यादव सदस्य

बी. एस. सी.

श्री विजय कांटे संयोजक
श्री हरिहर प्रसाद चौहान सदस्य
श्री व्ही. डी. यादव सदस्य

बी. काम.

श्री रमेश कुमार साहू संयोजक
श्री व्ही. डी. यादव सदस्य

PRINCIPAL
VISHNUCHARAN GUPTA
Govt. College Pussore
Dist. (C.G.)

(9) सांस्कृतिक एवं साहित्यिकः

| | |
|---|---|
| डॉ. सरोज कुमार | संयोजक |
| श्री एस. भोय | सदस्य |

(10) छात्र कल्याण समितिः

| | |
|---|---|
| श्री जयनारायण नायक | संयोजक |
| श्री रमेश कुमार साहू | सदस्य |
| सुश्री ऐवन्ती पटेल | सदस्य |

(11) महिला उत्पीड़नः

| | |
|---|---|
| डॉ. रोहिणी आर्या | संयोजक |
| सुश्री ऐवन्ती पटेल | सदस्य |

(12) ऑल इंडिया सर्वे ऑफ हायर एजुकेशनः

| | |
|---|---|
| डॉ. रोहिणी आर्या | संयोजक |
| श्री रमेश कुमार साहू | सदस्य |

(13) ग्रंथालय समितिः

| | |
|---|---|
| श्री एस. भोय | संयोजक |
| श्री ए. एक्का | सदस्य |
| श्री व्ही. डी. यादव | सदस्य |

(14) प्लेसमेंट सेलः

| | |
|---|---|
| श्री हरिहर प्रसाद चौहान | संयोजक |
| श्री बालमुकुन्द पटेल | सदस्य |
| श्री जयनारायण नायक | सदस्य |

(15) छात्रवृत्ति समितिः

| | |
|---|---|
| श्री रमेश कुमार साहू | संयोजक |
| श्री ए. एक्का | सदस्य |
| श्री बालमुकुन्द पटेल | सदस्य |

(16) क्रय समितिः

| | |
|---|---|
| श्री एस. भोय | संयोजक |
| डॉ. रोहिणी आर्या | सदस्य |
| श्री चैतराम अजंत | सदस्य |

प्राचार्य
शासकीय नवीन महाविद्यालय, पुसौर
जिला–रायगढ़ (छ.ग.)

PRINCIPAL
VISHNUCHARAN GUPTA
Govt College Pussore
District- Raigarh (C.G.)

# कार्यालय प्राचार्य,शासकीय नवीन महाविद्यालय,पुसौर जिला - रायगढ़ (छ.ग.)

Email : newgovtcollegepusaur@gmail.com

Phone : 07762-262885


क्रमांक /41/A /समिति / 2019-20

पुसौर , दिनांक 17/08/2019

## आदेश

महाविद्यालय की आंतरिक गतिविधियों को व्यवस्थित रूप से संचालित करने तथा महाविद्यालय के आंतरिक प्रबंध और प्रशासन को उत्कृष्ट बनाने में शैक्षणिक /अशैक्षणिक स्टॉफ के अधिकारियों/कर्मचारियों की भागीदारी को सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न समितियों का गठन सत्र 2019 – 20 से आगामी आदेश तक निम्नानुसार किया जाता है :

| म.क्र. | समिति का नाम | | संयोजक | सदस्य |
|---|---|---|---|---|
| 1. | प्रवेश समिति एवं हेल्प डेस्क समिति | बी.ए.- I,II,III | श्रीवच्छ भोय | डॉ.रोहिणी आर्या , श्री जयनारायण नायक, श्री व्ही.डी.यादव |
| | | बी.एस-सी. – I,II,III | श्री विजय कांटे | श्री हरिहर प्रसाद चौहान , श्री आत्मा एक्का |
| | | बी.कॉम – I,II,III | डॉ.रोहिणी आर्या | श्री रमेश कुमार साहू , श्री बालमुकुन्द पटेल |
| 2. | समय सारिणी | | श्री जयनारायण नायक | डॉ.रोहिणी आर्या, श्रीवच्छ भोय , श्री विजय कांटे , श्री रमेश कुमार साहू |
| 3. | छात्र संघ समिति /युवा उत्सव | | श्रीवच्छ भोय | डॉ.सरोज कुमार , डॉ.रोहिणी आर्या , श्री विजय कांटे , श्री हरिहर प्रसाद चौहान , श्री जयनारायण नायक , श्री रमेश कुमार साहू , श्री बालमुकुन्द पटेल , श्री आत्मा एक्का |
| 4. | अनुशासन एवं रैगिंग नियंत्रण समिति | | डॉ.रोहिणी आर्या | श्रीवच्छ भोय, श्री हरिहर प्रसाद चौहान , श्री विजय कांटे |
| 5. | क्रीड़ा समिति | | श्रीवच्छ भोय | डॉ.रोहिणी आर्या ,श्री विजय कांटे , श्री बालमुकुन्द पटेल , श्री आत्मा एक्का |
| 6. | RUSA समिति | | डॉ.रोहिणी आर्या | श्रीवच्छ भोय |
| 7. | NAAC समिति | | श्री रमेश कुमार साहू | डॉ.सरोज कुमार |
| 8. | IQAC समिति | | श्रीवच्छ भोय | श्री विजय कांटे , श्री रमेश कुमार साहू |
| 9. | UGC समिति | | डॉ.सरोज कुमार | श्री चैतराम अनंत |
| 10. | AISHE समिति | | डॉ.रोहिणी आर्या | श्री जयनारायण नायक |
| 11. | छात्र कल्याण समिति | | श्री रमेश कुमार साहू | श्री हरिहर प्रसाद चौहान |
| 12. | महिला उत्पीड़न समिति | | डॉ.रोहिणी आर्या | डॉ.सरोज कुमार , श्रीवच्छ भोय |
| 13. | सांस्कृतिक / साहित्यिक गतिविधि , वाद-विवाद,निबंध , क्विज आदि प्रतियोगिता आयोजन समिति | | श्री हरिहर प्रसाद चौहान | श्री जयनारायण नायक , श्री विजय कांटे |
| 14. | ग्रंथालय समिति | | श्रीवच्छ भोय | श्री बालमुकुन्द पटेल , श्री आत्मा एक्का |
| 15. | प्लेसमेंट सेल /कैरिअर गाइडेंस | | श्री हरिहर प्रसाद चौहान | डॉ.रोहिणी आर्या |
| 16. | छात्रवृत्ति समिति | | श्री रमेश कुमार साहू | श्री व्ही.डी.यादव , श्री बालमुकुन्द पटेल , श्री आत्मा एक्का |
| 17. | क्रय समिति | | श्रीवच्छ भोय | डॉ.रोहिणी आर्या , श्री चैतराम अनंत |
| 18. | e-mail समिति | | श्री जयनारायण नायक | श्री बालमुकुन्द पटेल , श्री आत्मा एक्का |
| 19. | आंतरिक परीक्षा | | डॉ.सरोज कुमार | श्री रमेश कुमार साहू , श्री बालमुकुन्द पटेल , श्री आत्मा एक्का |
| 20. | रेड-क्रॉस समिति | | श्री हरिहर प्रसाद चौहान | श्री विजय कांटे |
| 21. | शिक्षक अभिभावक एवं एल्युमिनि समिति | | श्री विजय कांटे | श्रीवच्छ भोय , डॉ.रोहिणी आर्या |
| 22. | ईको क्लब – पर्यावरण दिवसों से सम्बंधित कार्यक्रम समिति | | श्री हरिहर प्रसाद चौहान | श्री जयनारायण नायक , श्री विजय कांटे , श्री रमेश कुमार साहू |
| 23. | स्टेशनरी वितरण समिति | | श्री विजय कांटे | श्री चैतराम अनंत , श्री आत्मा एक्का |

PRINCIPAL
VISHNUCHARAN GUPTA
Govt.College Pussore
District- Raigarh (C.G.)

| | | | |
|---|---|---|---|
| 24. | विद्यार्थी जीवन - चक्र प्रबंधन /साफ्टवेअर /वेबसाईट / ऑनलाईन आवेदन / डिजीटिलिकरण | श्री रमेश कुमार साहू | श्री बालमुकुन्द पटेल , श्री आत्मा एक्का |
| 25. | सूचना अधिकार सेल | श्री जयनारायण नायक | श्री हरिहर प्रसाद चौहान |
| 26. | प्रधानमन्त्री / मुख्यमंत्री कौशल विकास समिति | श्री विजय कांटे | श्री हरिहर प्रसाद चौहान , श्री जयनारायण नायक |
| 27. | महाविद्यालयीन पत्रिका प्रकाशन समिति | डॉ.सरोज कुमार | श्रीवच्छ भोय , श्री रमेश कुमार साहू |
| 28.. | अभिलेखन समिति | डॉ.सरोज कुमार | डॉ.रोहिणी आर्या , श्रीवच्छ भोय |
| 29. | शिकायत निवारण समिति | श्री जयनारायण नायक | श्री विजय कांटे डॉ रोहिणी आर्या, हरिहर प्र चौहान |
| 30. | जन भागीदारी समिति | श्रीवच्छ भोय | डॉ.रोहिणी आर्या , श्री रमेश कुमार साहू , |

प्राचार्य
शासकीय महाविद्यालय पुसौर
जिला रायगढ़ (छ.ग.)

**PRINCIPAL**
**VISHNUCHARAN GUPTA**
**Govt.College Pussore**
**District- Raigarh (C.G.)**

**कार्यालय प्राचार्य,शासकीय नवीन महाविद्यालय,पुसौर जिला - रायगढ़ (छ.ग.)**
Email : newgovtcollegepusaur@gmail.com
Phone : 07762-262885

क्रमांक / 55/A /समिति / 2020-21

पुसौर , दिनांक 04/09/2020

# आदेश

महाविद्यालय की आतंरिक गतिविधियों को व्यवस्थित रूप से संचालित करने तथा महाविद्यालय के आतंरिक प्रबंध और प्रशासन को उत्कृष्ट बनाने में शैक्षणिक /अशैक्षणिक स्टॉफ के अधिकारियों/कर्मचारियों की भागीदारी को सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न समितियों का गठन सत्र 2020 – 21 से आगामी आदेश तक निम्नानुसार किया जाता है :

| स.क्र. | समिति का नाम | | संयोजक | सदस्य |
|---|---|---|---|---|
| 1. | प्रवेश समिति एवं हेल्प डेस्क समिति | बी.ए.- I,II,III | श्रीबच्छ भोय | डॉ.रोहिणी आर्या , श्री जयनारायण नायक, श्री व्ही.डी.यादव |
| | | बी.एस-सी. – I,II,III | श्री विजय कांटे | श्री हरिहर प्रसाद चौहान , श्री आत्मा एक्का |
| | | बी.कॉम – I,II,III | डॉ.रोहिणी आर्या | श्री रमेश कुमार साहू , श्री बालमुकुन्द पटेल |
| 2. | समय सारिणी | | श्री जयनारायण नायक | डॉ.रोहिणी आर्या, श्रीबच्छ भोय , श्री विजय कांटे , श्री रमेश कुमार साहू |
| 3. | छात्र संघ समिति /युवा उत्सव | | श्रीबच्छ भोय | डॉ.सरोज कुमार , डॉ.रोहिणी आर्या , श्री विजय कांटे , श्री हरिहर प्रसाद चौहान , श्री जयनारायण नायक , श्री रमेश कुमार साहू , श्री बालमुकुन्द पटेल , श्री आत्मा एक्का |
| 4. | अनुशासन एवं रैगिंग नियंत्रण समिति | | डॉ.रोहिणी आर्या | श्रीबच्छ भोय, श्री हरिहर प्रसाद चौहान , श्री विजय कांटे |
| 5. | क्रीड़ा समिति | | श्रीबच्छ भोय | डॉ.रोहिणी आर्या ,श्री विजय कांटे , श्री बालमुकुन्द पटेल , श्री आत्मा एक्का |
| 6. | RUSA समिति | | डॉ.रोहिणी आर्या | श्रीबच्छ भोय |
| 7. | NAAC समिति | | श्री रमेश कुमार साहू | डॉ.सरोज कुमार |
| 8. | IQAC समिति | | श्रीबच्छ भोय | श्री विजय कांटे , श्री रमेश कुमार साहू |
| 9. | UGC समिति | | डॉ.सरोज कुमार | श्री चैतराम अनंत |
| 10. | AISHE समिति | | डॉ.रोहिणी आर्या | श्री जयनारायण नायक |
| 11. | छात्र कल्याण समिति | | श्री रमेश कुमार साहू | श्री हरिहर प्रसाद चौहान |
| 12. | महिला उत्पीड़न समिति | | डॉ.रोहिणी आर्या | डॉ.सरोज कुमार , श्रीबच्छ भोय |
| 13. | सांस्कृतिक / साहित्यिक गतिविधि , वाद-विवाद,निबंध , क्विज आदि प्रतियोगिता आयोजन समिति | | श्री हरिहर प्रसाद चौहान | श्री जयनारायण नायक , श्री विजय कांटे |
| 14. | ग्रंथालय समिति | | श्रीबच्छ भोय | श्री बालमुकुन्द पटेल , श्री आत्मा एक्का |
| 15. | प्लेसमेंट सेल /कैरिअर गाइडेंस | | श्री हरिहर प्रसाद चौहान | डॉ.रोहिणी आर्या |
| 16. | छात्रवृत्ति समिति | | श्री रमेश कुमार साहू | श्री व्ही.डी.यादव , श्री बालमुकुन्द पटेल , श्री आत्मा एक्का |
| 17. | क्रय समिति | | श्रीबच्छ भोय | डॉ.रोहिणी आर्या , श्री चैतराम अनंत |
| 18. | e-mail समिति | | श्री जयनारायण नायक | श्री बालमुकुन्द पटेल , श्री आत्मा एक्का |
| 19. | आतंरिक परीक्षा | | डॉ.सरोज कुमार | श्री रमेश कुमार साहू , श्री बालमुकुन्द पटेल , श्री आत्मा एक्का |
| 20. | रेड-क्रॉस समिति | | श्री हरिहर प्रसाद चौहान | श्री विजय कांटे |
| 21. | शिक्षक अभिभावक एवं एल्युमिनि समिति | | श्री विजय कांटे | श्रीबच्छ भोय , डॉ.रोहिणी आर्या |
| 22. | ईको क्लब – पर्यावरण दिवसों से सम्बंधित कार्यक्रम समिति | | श्री हरिहर प्रसाद चौहान | श्री जयनारायण नायक , श्री विजय कांटे , श्री रमेश कुमार साहू |
| 23. | स्टेशनरी वितरण समिति | | श्री विजय कांटे | श्री चैतराम अनंत , श्री आत्मा एक्का |

PRINCIPAL
VISHNUCHARAN GUPTA
Govt.College Pussore
District- Raigarh (C.G.)

| | | | |
|---|---|---|---|
| 24. | विद्यार्थी जीवन – चक्र प्रबंधन /साफ्टवेअर /वेबसाईट / ऑनलाईन आवेदन / डिजीटिलिकरण | श्री रमेश कुमार साहू | श्री बालमुकुन्द पटेल , श्री आत्मा एक्का |
| 25. | सूचना अधिकार सेल | श्री जयनारायण नायक | श्री हरिहर प्रसाद चौहान |
| 26. | प्रधानमन्त्री / मुख्यमंत्री कौशल विकास समिति | श्री विजय कांटे | श्री हरिहर प्रसाद चौहान , श्री जयनारायण नायक |
| 27. | महाविद्यालयीन पत्रिका प्रकाशन समिति | डॉ.सरोज कुमार | श्रीबच्छ भोय , श्री रमेश कुमार साहू |
| 28.. | अपलेखन समिति | डॉ.सरोज कुमार | डॉ.रोहिणी आर्या , श्रीबच्छ भोय |
| 29. | शिकायत निवारण समिति | श्री जयनारायण नायक | श्री विजय कांटे |
| 30. | जन भागीदारी समिति | श्रीबच्छ भोय | डॉ.रोहिणी आर्या , श्री रमेश कुमार साहू , |

प्राचार्य
शासकीय महाविद्यालय पुसौर
जिला रायगढ़ (छ.ग.)

COVID-19 Period

PRINCIPAL
VISHNUCHARAN GUPTA
Govt.College Pussore
District- Raigarh (C.G.)

# कार्यालय प्राचार्य,शासकीय नवीन महाविद्यालय,पुसौर जिला - रायगढ़ (छ.ग.)

Email : newgovtcollegepusaur@gmail.com
Phone : 07762-262885

क्रमांक /47/समिति / 2021-22

पुसौर , दिनांक 15-07-2021

## आदेश

महाविद्यालय की आतंरिक गतिविधियों को व्यवस्थित रूप से संचालित करने तथा महाविद्यालय के आतंरिक प्रबंध और प्रशासन को उत्कृष्ट बनाने में शैक्षणिक /अशैक्षणिक स्टॉफ के अधिकारियों/कर्मचारियों की भागीदारी को सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न समितियों का गठन सत्र 2021-22 से आगामी आदेश तक निम्नानुसार किया जाता है :

| स.क्र. | समिति का नाम | | संयोजक / प्रभारी | सदस्य |
|---|---|---|---|---|
| 1. | प्रवेश समिति एवं विद्यार्थी हेल्प डेस्क समिति | बी.ए.- I,II,III | श्रीबच्छ भोय (प्रवेश प्रभारी ) | डॉ.रोहिणी आर्या , श्री जयनारायण नायक, |
| | | बी.एस-सी. – I,II,III | श्री विजय कांटे (प्रवेश प्रभारी ) | श्री हरिहर प्रसाद चौहान , श्री आत्मा एक्का |
| | | बी.कॉम – I,II,III | डॉ.रोहिणी आर्या (प्रवेश प्रभारी ) | श्री रमेश कुमार साहू , श्री बालमुकुन्द पटेल |
| 2. | तीनों संकायों के प्रवेश संयोजक | | डॉ.सरोज कुमार | ..... |
| 3. | समय सारिणी | | श्री जयनारायण नायक | श्री विजय कांटे , श्री रमेश कुमार साहू |
| 4. | एकेडमिक गतिविधि | | श्री रमेश कुमार साहू | डॉ.सरोज कुमार , डॉ.रोहिणी आर्या , |
| 5. | आतंरिक परीक्षा | | डॉ.सरोज कुमार | श्री रमेश कुमार साहू , श्रीबच्छ भोय |
| 6. | अनुशासन एवं रैगिंग नियंत्रण समिति | | डॉ.रोहिणी आर्या | श्रीबच्छ भोय, श्री हरिहर प्रसाद चौहान , श्री विजय कांटे |
| 7. | क्रीड़ा समिति | | श्री हरिहर प्रसाद चौहान | डॉ.रोहिणी आर्या , श्रीबच्छ भोय , श्री विजय कांटे , श्री बालमुकुन्द पटेल , श्री आत्मा एक्का |
| 8. | RUSA समिति | | डॉ.रोहिणी आर्या | श्रीबच्छ भोय |
| 9. | NAAC समिति | | डॉ.सरोज कुमार | महाविद्यालय के समस्त अधिकारी एवं कर्मचारी |
| 10. | IQAC समिति | | श्री रमेश कुमार साहू | महाविद्यालय के समस्त अधिकारी एवं कर्मचारी |
| 11. | UGC समिति | | श्री विजय कांटे | श्री रमेश कुमार साहू |
| 12. | AISHE समिति | | डॉ.रोहिणी आर्या | श्री जयनारायण नायक |
| 13. | महिला उत्पीड़न समिति | | डॉ.रोहिणी आर्या | डॉ.सरोज कुमार , श्रीबच्छ भोय |
| 14. | छात्र संघ समिति / युवा उत्सव | | श्री विजय कांटे | महाविद्यालय के समस्त अधिकारी एवं कर्मचारी |
| 15. | ग्रंथालय एवं बुक बैंक समिति | | श्रीबच्छ भोय | श्री बालमुकुन्द पटेल , श्री अजय चौहान |
| 16. | छात्रवृत्ति समिति | | श्री जयनारायण नायक | श्री बालमुकुन्द पटेल , श्री अजय चौहान |
| 17. | क्रय समिति | | डॉ.सरोज कुमार | डॉ.रोहिणी आर्या , श्रीबच्छ भोय |
| 18. | जन भागीदारी समिति | | श्रीबच्छ भोय | डॉ.रोहिणी आर्या , श्री रमेश कुमार साहू , |
| 19. | रेड-क्रॉस समिति | | श्री हरिहर प्रसाद चौहान | श्री विजय कांटे |
| 20. | शिक्षक अभिभावक एवं एल्युमिनि समिति | | श्री विजय कांटे | श्रीबच्छ भोय , डॉ.रोहिणी आर्या |
| 21. | ईको क्लब – परिसर स्वच्छता / वृक्षारोपण / पर्यावरण दिवसों से सम्बंधित कार्यक्रम समिति | | श्री हरिहर प्रसाद चौहान | श्री जयनारायण नायक , श्री विजय कांटे , श्री रमेश कुमार साहू |
| 22. | छात्र कल्याण समिति / स्टेशनरी वितरण समिति | | श्री हरिहर प्रसाद चौहान | श्री आत्मा एक्का |
| 23. | विद्यार्थी जीवन - चक्र प्रबंधन /सॉफ्टवेअर /वेबसाईट / ऑनलाईन आवेदन / डिजीटिलिकरण | | श्री रमेश कुमार साहू | श्री बालमुकुन्द पटेल , श्री अजय चौहान |
| 24. | सूचना अधिकार सेल | | श्री जयनारायण नायक | श्री हरिहर प्रसाद चौहान |
| 25. | प्लेसमेंट सेल /कैरिअर गाइडेंस /प्रधानमन्त्री / मुख्यमंत्री कौशल विकास समिति | | श्री विजय कांटे | श्री हरिहर प्रसाद चौहान , श्री जयनारायण नायक |
| 26. | महाविद्यालयीन पत्रिका प्रकाशन समिति | | श्रीबच्छ भोय | डॉ.सरोज कुमार , श्री रमेश कुमार साहू |
| 27. | अपलेखन समिति | | डॉ.सरोज कुमार | डॉ.रोहिणी आर्या , श्रीबच्छ भोय |
| 28. | शिकायत निवारण समिति | | श्री जयनारायण नायक | श्री विजय कांटे , डॉ रोहिणी आर्या, हरि प्र.चौहान |
| 29. | स्टोर पर्यवेक्षण | | श्री जयनारायण नायक | श्री अजय चौहान , श्री बालमुकुन्द पटेल , श्री आत्मा एक्का |
| 30. | शासन से पत्राचार / लोक सेवा गारंटी | | डॉ.सरोज कुमार | श्री रमेश कुमार साहू , श्री बालमुकुन्द पटेल |
| 31. | प्रेस | | श्रीबच्छ भोय | डॉ.रोहिणी आर्या , श्री रमेश कुमार साहू |
| 32. | विज्ञान क्लब | | श्री विजय कांटे | डॉ.सरोज कुमार |
| 33. | सिटिजन चार्टर | | डॉ.रोहिणी आर्या | श्रीबच्छ भोय , |
| 34. | स्वयं , मूक , इनफ्लिबनेट | | श्री रमेश कुमार साहू | डॉ.सरोज कुमार , श्री हरिहर प्रसाद चौहान |
| 35. | कॉलिज वेबसाइट अपडेट | | श्री रमेश कुमार साहू | डॉ.रोहिणी आर्या |

समस्त प्रभारी/संयोजक सौंपे गए दायित्वों को निर्धारित समय में पूर्ण करना सुनिश्चित करें .

प्राचार्य
शासकीय महाविद्यालय पुसौर
जिला रायगढ़ (छ.ग.)

PRINCIPAL
VISHNUCHARAN GUPTA
Govt College Pussore
District- Raigarh (C.G.)

# कार्यालय प्राचार्य, विष्णुचरण गुप्ता शासकीय महाविद्यालय पुसौर जिला-रायगढ़ (छ.ग.)

Email ID: newgovtcollegepusaur@gmail.com

Website: vcgcollegepussore.in


क्रमांक / 94 / समिति / 2022-23

पुसौर , दिनांक 17-10-2022

## // आदेश //

महाविद्यालय की आंतरिक गतिविधियों को व्यवस्थित रूप से संचालित करने तथा महाविद्यालय के आंतरिक प्रबंध और प्रशासन को उत्कृष्ट बनाने में शैक्षणिक /अशैक्षणिक स्टॉफ के अधिकारियों/कर्मचारियों की भागीदारी को सुनिश्चित करने के लिए सत्र 2022-23 में गठित हुए विभिन्न समितियों का पुनर्गठन आगामी आदेश तक निम्नानुसार किया जाता है :

| स.क. | समिति का नाम | | संयोजक / प्रभारी | सदस्य |
|---|---|---|---|---|
| 1. | प्रवेश समिति एवं विद्यार्थी हेल्प डेस्क समिति | बी.ए.- I,II,III | श्रीबच्छ भोय (प्रवेश प्रभारी ) | श्री हरिहर प्रसाद चौहान, सुश्री शिवानी शर्मा, |
| | | बी.एस-सी. – I,II,III | श्री विजय कांटे (प्रवेश प्रभारी ) | श्री बालमुकुन्द पटेल |
| | | बी.कॉम – I,II,III | श्री पतरस किंडो (प्रवेश प्रभारी ) | श्रीमती शीतल केरकेट्टा |
| 2. | समय सारिणी | | सुश्री शिवानी शर्मा/ श्रीजयनारायण नायक | श्री विजय कांटे , श्री रमेश कुमार साहू |
| 3. | एकेडमिक /आंतरिक परीक्षा | | डॉ.सरोज कुमार | श्री विजय कांटे, श्रीबच्छ भोय, श्री रमेश कुमार साहू , |
| 4. | शिकायत निवारण समिति | | श्री पतरस किंडो | श्रीबच्छ भोय, श्री विजय कांटे, सुश्री शिवानी शर्मा, श्रीमती शीतल केरकेट्टा |
| 5. | अनुशासन /रैगिंग नियंत्रण समिति | | श्री पतरस किंडो | श्रीबच्छ भोय, श्री विजय कांटे, सुश्री शिवानी शर्मा, श्रीमती शीतल केरकेट्टा |
| 6. | क्रीड़ा समिति | | श्री हरिहर प्रसाद चौहान | श्रीबच्छ भोय , श्री विजय कांटे , श्री बालमुकुन्द पटेल , श्री आत्मा एक्का |
| 7. | RUSA समिति | | श्री पतरस किंडो | श्रीबच्छ भोय |
| 8. | IQAC समिति/ NAAC | | श्री रमेश कुमार साहू | महाविद्यालय के समस्त अधिकारी एवं कर्मचारी |
| 9. | AISHE/UGC समिति | | श्री रमेश कुमार साहू | श्री बालमुकुन्द पटेल |
| 10. | महिला उत्पीड़न निवारण समिति | | सुश्री शिवानी शर्मा | श्रीबच्छ भोय, श्रीमती शीतल केरकेट्टा |
| 11. | छात्र संघ समिति / युवा उत्सव | | श्री विजय कांटे | महाविद्यालय के समस्त अधिकारी एवं कर्मचारी |
| 12. | ग्रंथालय एवं बुक बैंक समिति | | श्रीबच्छ भोय | सुश्री शिवानी शर्मा, श्रीमती शीतल केरकेट्टा |
| 13. | क्रय समिति | | डॉ.सरोज कुमार | श्री पतरस किंडो, श्रीबच्छ भोय |
| 14. | जन भागीदारी समिति | | श्रीबच्छ भोय | श्री विजय कुमार कांटे , श्री रमेश कुमार साहू , |
| 15. | रेड-क्रॉस/रेड रिबन क्लब /नशा मुक्ति समिति | | श्री हरिहर प्रसाद चौहान | श्री बालमुकुन्द पटेल, श्रीमती शीतल केरकेट्टा |
| 16. | शिक्षक अभिभावक एवं एल्युमिनि समिति | | श्री विजय कांटे | श्रीबच्छ भोय, श्रीमती शीतल केरकेट्टा |
| 17. | ईको क्लब – परिसर स्वच्छता / वृक्षारोपण / पर्यावरण दिवसों से सम्बंधित कार्यक्रम समिति | | सुश्री शिवानी शर्मा | सुश्री शिवानी शर्मा, श्रीमती शीतल केरकेट्टा, श्री बालमुकुन्द पटेल |
| 18. | भवन मरम्मत एवं रखरखाव समिति | | श्रीबच्छ भोय | श्री जयनारायण नायक, श्री रमेश कुमार साहू |
| 19. | छात्रवृत्ति/छात्र कल्याण समिति / स्टेशनरी वितरण समिति | | श्री बालमुकुन्द पटेल | श्रीबच्छ भोय, श्री मनोज कु प्रधान |
| 20. | विद्यार्थी जीवन - चक्र प्रबंधन /सॉफ्टवेअर /वेबसाईट / ऑनलाईन आवेदन / डिजीटिलिकरण | | श्री रमेश कुमार साहू | श्री बालमुकुन्द पटेल , |
| 21. | सूचना अधिकार सेल | | श्री जयनारायण नायक | श्री हरिहर प्रसाद चौहान |
| 22. | प्लेसमेंट सेल /कैरिअर गाइडेंस /प्रधानमन्त्री / मुख्यमंत्री कौशल विकास समिति | | श्री विजय कांटे | श्री हरिहर प्रसाद चौहान , श्री जयनारायण नायक |
| 23. | महाविद्यालयीन पत्रिका प्रकाशन समिति | | सुश्री शिवानी शर्मा | श्रीबच्छ भोय, श्री रमेश कुमार साहू |
| 24. | अपलेखन समिति | | डॉ.सरोज कुमार | श्री पतरस किंडो , श्रीबच्छ भोय |
| 25. | स्टॉर पर्यवेक्षण | | श्री बालमुकुन्द पटेल | श्री आत्मा एक्का, श्री मनोज कुमार प्रधान |
| 26. | आन्तरिक अंकेक्षण समिति | | श्री रमेश कुमार साहू | श्रीबच्छ भोय, श्री आत्मा एक्का, श्री मनोज कुमार प्रधान |
| 27. | शासन से पत्राचार / लोक सेवा गारंटी | | श्री मनोज कुमार प्रधान | डॉ.सरोज कुमार, श्री रमेश कुमार साहू , |
| 28. | प्रेस, सिटिजन चार्टर | | श्रीबच्छ भोय | सुश्री शिवानी शर्मा, श्री रमेश कुमार साहू |
| 29. | विज्ञान क्लब | | श्री विजय कांटे | डॉ.सरोज कुमार, श्री बालमुकुन्द पटेल |
| 30. | स्वयं, मूक,इनफ्लिबनेट,कॉलिज वेबसाइट अपडेट | | श्री रमेश कुमार साहू | डॉ.सरोज कुमार , श्री हरिहर प्रसाद चौहान |
| 31. | रिसर्च समिति | | डॉ. मनोहरलाल पटेल | डॉ.सरोज कुमार, श्री पतरस किंडो |

समस्त प्रभारी/संयोजक सौपें गए दायित्वों को निर्धारित समय में पूर्ण करना सुनिश्चित करें .

प्राचार्य
शासकीय महाविद्यालय पुसौर
जिला रायगढ़ (छ.ग.)

PRINCIPAL
VISHNUCHARAN GUPTA
Govt.College Pussore
District- Raigarh (C.G.)

# कार्यालय प्राचार्य, विष्णुचरण गुप्ता शासकीय महाविद्यालय पुसौर जिला-रायगढ़ (छ.ग.)

Email ID: newgovtcollegepusaur@gmail.com

Website: vcgcollegepussore.in


क्रमांक /48/समिति / 2022-23

पुसौर , दिनांक 30-06-2022

## // आदेश //

महाविद्यालय की आतंरिक गतिविधियों को व्यवस्थित रूप से संचालित करने तथा महाविद्यालय के आतंरिक प्रबंध और प्रशासन को उत्कृष्ट बनाने में शैक्षणिक /अशैक्षणिक स्टॉफ के अधिकारियों/कर्मचारियों की भागीदारी को सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न समितियों का गठन सत्र 2022-23 से आगामी आदेश तक निम्नानुसार किया जाता है :

| स.क. | समिति का नाम | | संयोजक / प्रभारी | सदस्य |
|---|---|---|---|---|
| 1. | प्रवेश समिति एवं विद्यार्थी हेल्प डेस्क समिति | बी.ए.- I,II,III | श्रीवच्छ भोय (प्रवेश प्रभारी ) | श्री हरिहर प्रसाद चौहान, सुश्री शिवानी शर्मा, |
| | | बी.एस-सी. – I,II,III | श्री विजय कांटे (प्रवेश प्रभारी ) | श्री बालमुकुन्द पटेल |
| | | बी.कॉम – I,II,III | डॉ.रोहिणी आर्या (प्रवेश प्रभारी ) | श्रीमती शीतल केरकेट्टा |
| 2. | समय सारिणी | | सुश्री शिवानी शर्मा/ श्रीजयनारायण नायक | श्री विजय कांटे , श्री रमेश कुमार साहू |
| 3. | एकेडमिक /आतंरिक परीक्षा | | डॉ.सरोज कुमार | डॉ.रोहिणी आर्या, श्रीवच्छ भोय, श्री रमेश कुमार साहू , |
| 4. | शिकायत निवारण समिति | | डॉ.रोहिणी आर्या | श्रीवच्छ भोय, श्री विजय कांटे, सुश्री शिवानी शर्मा, श्रीमती शीतल केरकेट्टा |
| 5. | अनुशासन /रैगिंग नियंत्रण समिति | | डॉ.रोहिणी आर्या | श्रीवच्छ भोय, श्री विजय कांटे, सुश्री शिवानी शर्मा, श्रीमती शीतल केरकेट्टा |
| 6. | क्रीड़ा समिति | | श्री हरिहर प्रसाद चौहान | डॉ.रोहिणी आर्या , श्रीवच्छ भोय , श्री विजय कांटे , श्री बालमुकुन्द पटेल , श्री आत्मा एक्का |
| 7. | RUSA समिति | | डॉ.रोहिणी आर्या | श्रीवच्छ भोय |
| 8. | IQAC समिति/ NAAC | | श्री रमेश कुमार साहू | महाविद्यालय के समस्त अधिकारी एवं कर्मचारी |
| 9. | AISHE/UGC समिति | | श्री रमेश कुमार साहू | डॉ.रोहिणी आर्या |
| 10. | महिला उत्पीड़न निवारण समिति | | सुश्री शिवानी शर्मा | डॉ.रोहिणी आर्या, श्रीवच्छ भोय, श्रीमती शीतल केरकेट्टा |
| 11. | छात्र संघ समिति / युवा उत्सव | | श्री विजय कांटे | महाविद्यालय के समस्त अधिकारी एवं कर्मचारी |
| 12. | ग्रंथालय एवं बुक बैंक समिति | | श्रीवच्छ भोय | सुश्री शिवानी शर्मा, श्रीमती शीतल केरकेट्टा |
| 13. | क्रय समिति | | डॉ.सरोज कुमार | डॉ.रोहिणी आर्या, श्रीवच्छ भोय |
| 14. | जन भागीदारी समिति | | श्रीवच्छ भोय | डॉ.रोहिणी आर्या , श्री रमेश कुमार साहू , |
| 15. | रेड-क्रॉस/रेड रिबन क्लब /नशा मुक्ति समिति | | श्री हरिहर प्रसाद चौहान | श्री बालमुकुन्द पटेल, श्रीमती शीतल केरकेट्टा |
| 16. | शिक्षक अभिभावक एवं एल्युमिनि समिति | | श्री विजय कांटे | श्रीवच्छ भोय, श्रीमती शीतल केरकेट्टा |
| 17. | ईको क्लब – परिसर स्वच्छता / वृक्षारोपण / पर्यावरण दिवसों से सम्बंधित कार्यक्रम समिति | | डॉ.रोहिणी आर्या | सुश्री शिवानी शर्मा, श्रीमती शीतल केरकेट्टा, श्री बालमुकुन्द पटेल |
| 18. | भवन मरम्मत एवं रखरखाव समिति | | श्रीवच्छ भोय | श्री जयनारायण नायक, श्री रमेश कुमार साहू |
| 19. | छात्रवृत्ति/छात्र कल्याण समिति / स्टेशनरी वितरण समिति | | श्री बालमुकुन्द पटेल | श्रीवच्छ भोय, श्री मनोज कु प्रधान |
| 20. | विद्यार्थी जीवन - चक्र प्रबंधन /सॉफ्टवेअर /वेबसाईट / ऑनलाईन आवेदन / डिजीटिलिकरण | | श्री रमेश कुमार साहू | श्री बालमुकुन्द पटेल , |
| 21. | सूचना अधिकार सेल | | श्री जयनारायण नायक | श्री हरिहर प्रसाद चौहान |
| 22. | प्लेसमेंट सेल /कैरिअर गाइडेंस /प्रधानमन्त्री / मुख्यमंत्री कौशल विकास समिति | | श्री विजय कांटे | श्री हरिहर प्रसाद चौहान , श्री जयनारायण नायक |
| 23. | महाविद्यालयीन पत्रिका प्रकाशन समिति | | सुश्री शिवानी शर्मा | श्रीवच्छ भोय, श्री रमेश कुमार साहू |
| 24. | अपलेखन समिति | | डॉ.सरोज कुमार | डॉ.रोहिणी आर्या , श्रीवच्छ भोय |
| 25. | स्टोर पर्यवेक्षण | | श्री बालमुकुन्द पटेल | श्री आत्मा एक्का, श्री मनोज कुमार प्रधान |
| 26. | आन्तरिक अंकेक्षण समिति | | श्री रमेश कुमार साहू | श्रीवच्छ भोय, श्री आत्मा एक्का, श्री मनोज कुमार प्रधान |
| 27. | शासन से पत्राचार / लोक सेवा गारंटी | | श्री मनोज कुमार प्रधान | डॉ.सरोज कुमार, श्री रमेश कुमार साहू , |
| 28. | प्रेस, सिटिजन चार्टर | | श्रीवच्छ भोय | डॉ.रोहिणी आर्या , श्री रमेश कुमार साहू |
| 29. | विज्ञान क्लब | | श्री विजय कांटे | डॉ.सरोज कुमार, श्री बालमुकुन्द पटेल |
| 30. | स्वयं, मूक,इनफ्लिबनेट,कॉलेज वेबसाइट अपडेट | | श्री रमेश कुमार साहू | डॉ.सरोज कुमार , श्री हरिहर प्रसाद चौहान |
| 31. | रिसर्च समिति | | डॉ. गनोहरलाल पटेल | डॉ.सरोज कुमार, डॉ.रोहिणी आर्या |

समस्त प्रभारी/संयोजक सौपें गए दायित्वों को निर्धारित समय में पूर्ण करना सुनिश्चित करें .

प्राचार्य
शासकीय महाविद्यालय पुसौर
जिला रायगढ़ (छ.ग.)

PRINCIPAL
VISHNUCHARAN GUPTA
Govt.College Pussore
District- Raigarh (C.G.)

# कार्यालय प्राचार्य

## विष्णुचरण गुप्ता शासकीय महाविद्यालय पुसौर, जिला –रायगढ़ (छ.ग.)

Email ID :newgovtcollegepusaur@gmail.com

क्र. /2020/33 | पुसौर दिनांक : 04.08.2020

### आदेश

राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद् बेंगलुरु के निर्देशानुसार महाविद्यालयीन आतंरिक गुणवत्ता आश्वासन प्रकोष्ठ ( IQAC ) 2020 का गठन निम्नानुसार किया जाता है :

| | | |
|---|---|---|
| 1. | डॉ.एम.एल.सोनवाने | प्राचार्य एवं अध्यक्ष |
| 2. | श्री रमेश कुमार साहू | संयोजक |
| | डॉ.मनोहरलाल पटेल | सदस्य |
| | डॉ.सरोज कुमार | सदस्य |
| | डॉ.रोहिणी आर्या वर्मा | सदस्य |
| | श्री श्रीवच्छ भोय | सदस्य |
| | श्री विजय कुमार कांटे | सदस्य |
| | श्री हरिहर प्रसाद चौहान | सदस्य |
| | श्री जयनारायण नायक | सदस्य |
| 3. | डॉ.धनेश सिंह | आमंत्रित सदस्य ( IQAC संयोजक अग्रणी महाविद्यालय रायगढ़ ) |
| 4. | श्री राकेश भारद्वाज | पूर्व छात्र |
| 5. | डॉ.बी.के.चंद्रवंशी | प्रशासनिक अधिकारी |
| 6. | श्री दधिवामन साव | स्थानीय सोसाइटी |
| 7. | श्री सुरेन्द्र जेना | व्यवसायी |
| 8. | श्री योगेश्वर | अभिभावक |
| 9. | श्री वीरेन्द्र पटेल | छात्र |

उपरोक्तप्रकोष्ठकीकार्य अवधि 02 वर्ष (2020 – 2022) की होगी। इस अवधि में प्रकोष्ठ शासन एवं यू जी सी के निर्देशानुसार महाविद्यालय के शैक्षणिक , शैक्षणिकेतर एवं अन्य सम्बंधित कार्यों की गुणवत्ता बनाए रखने का कार्य करेगी तथा प्रगति से समयानुसार शासन एवं सम्बंधित संस्था को अवगत कराएगी।

PRINCIPAL
NAVEEN GOVT. COLLEGE
Barasakela, Distt. Raigarh(C.G.)

पृ.क्र. 34/2020 | पुसौर दिनांक : 04.08.2020

1. सचिव , उच्च शिक्षा संचालनालय छ.ग.शासन नवा रायपुर को सादर सूचनार्थ।
2. अपर संचालक , उच्च शिक्षा बिलासपुर संभाग , शास.विज्ञान महा.परिसर बिलासपुर को सादर सूचनार्थ।
3. सभी सदस्य -------------------------- को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
4. प्राचार्य , शास.जे.पी.वर्मा महाविद्यालय(सेंटी महाविद्यालय) बिलासपुर को सादर सूचनार्थ।
5. प्राचार्य , शास.बिलासा कन्या महाविद्यालय (नोडल महाविद्यालय) बिलासपुर को सादर सूचनार्थ।
6. प्राचार्य फ़ाइल।

प्राचार्य

For Principal
Vishnu Charan Gupta Govt. College
Pussore, Dist.- Raigarh(C.G.)

## कार्यालय आयुक्त, उच्च शिक्षा
## ब्लाक सी–30, द्वितीय एवं तृतीय तल, इन्द्रावती भवन
## नया रायपुर (छ.ग.)

क्रमांक– 89/134/आउशि/योजना/14 नया रायपुर, दिनांक 02/03/2015

प्रति,

प्राचार्य,
नवीन शासकीय महाविद्यालय पुसौर,
जिला– रायगढ़ (छ.ग.)।

विषय:– पुसौर, जिला–रायगढ़ में नवीन शासकीय महाविद्यालय प्रारंभ करने बाबत्।

संदर्भ:– 1. छ0ग0शासन, उच्च शिक्षा विभाग का पत्र क्रमांक एफ 3–49/2014/38–1 दिनांक 16.09.2014
2. छ.ग.शासन, उच्च शिक्षा विभाग का पत्र क्रमांक एफ 3–49/2014/38–1 दिनांक 06.12.2014

–––000–––

राज्य शासन के संदर्भित आदेशानुसार **पुसौर, जिला–रायगढ़ में नवीन महाविद्यालय** प्रारंभ करने की अनुमति दी गई है। महाविद्यालय में स्नातक स्तर पर कला, विज्ञान एवं वाणिज्य संकाय चालू शैक्षणिक सत्र 2014–15 में प्रारंभ करने हेतु कुल 19 पदों के सृजन की स्वीकृति वित्त विभाग के यू0ओ0 कमांक 2014–38–00341/ब–3/चार/2014 दिनांक 06.09.2014 द्वारा सहमति प्रदान की गई है। उक्त पदो का वर्गीकरण विवरण निम्नानुसार है :–

| क्र. | पदनाम | पद संख्या | वेतनमान |
|---|---|---|---|
| | शैक्षणिक पद | | |
| 1 | प्राचार्य (स्नातक) | 01 | 37400–67000 ग्रेड पे रू.10000/– |
| 2 | सहायक प्राध्यापक | | |
| | (अ) विज्ञान संकाय (बायो. समूह) (वनस्पतिशास्त्र, प्राणीशास्त्र, रसायनशास्त्र) | 03 | 15600–39100 ग्रेड पे रू 6000 |
| | (ब) कला संकाय हिन्दी साहित्य, अंग्रेजी साहित्य, इतिहास, समाजशास्त्र, राजनीतिशास्त्र ) | 05 | 15600–39100 ग्रेड पे रू 6000 |
| | (स) वाणिज्य संकाय, सभी अनिवार्य विषय | 02 | 15600–39100 ग्रेड पे रू 6000 |
| | अशैक्षणिक पद | | |
| 3 | सहायक ग्रेड–1 | 01 | 5200–20200 ग्रेड पे रू 2800 |
| 4 | सहायक ग्रेड–2 | 01 | 5200–20200 ग्रेड पे रू 2400 |
| 5 | सहायक ग्रेड–3 | 01 | 5200–20200 ग्रेड पे रू 1900 |
| 6 | प्रयोगशाला तकनीशियन | 03 | 5200–20200 ग्रेड पे रू 2400 |
| 7 | भृत्य | 02 | 4750–7440 ग्रेड पे रू 1300 |
| | योग :– | 19 | |

उपरोक्त व्यय वित्तीय वर्ष 2014–15 मांग संख्या 44 उच्च शिक्षा, मुख्य शीर्ष 2202 सामान्य शिक्षा (03) विश्वविद्यालय और उच्च शिक्षा –0101– राज्य आयोजना सामान्य–(101) सरकारी कालेज संस्थाये 798 कला विज्ञान एवं वाणिज्य महाविद्यालय आयोजना मद के अन्तर्गत विकलनीय होगा।

(आयुक्त, उच्च शिक्षा द्वारा अनुमोदित)

(डॉ. आर.बी.सुब्रमनियन)
अपर संचालक
उच्च शिक्षा, नया रायपुर (छ.ग.)

for PRINCIPAL
VISHNUCHARAN GUPTA
Govt.College Pussore
District- Raigarh (C.G.)

क्रमशः ............... 2

छत्तीसगढ़ शासन
उच्च शिक्षा विभाग
:: मंत्रालय ::
महानदी भवन, नया रायपुर (छ.ग.)

क्रमांक एफ3–36/2015/38–1 नया रायपुर, दिनांक 27/01/2016

प्रति,

आयुक्त,
उच्च शिक्षा संचालनालय,
रायपुर।

विषयः– प्रदेश के शासकीय महाविद्यालयों में प्रयोगशाला परिचारकों के पदों के सृजन की स्वीकृति बावत।

संदर्भः– विभाग का पत्र कमांक एफ 3–36/2016/38–1 दिनांक 6.10.2015.

–0–

राज्य शासन, एतद् द्वारा वर्ष 2015–16 के बजट में प्रावधान अनुसार प्रदेश के शासकीय महाविद्यालयों में प्रयोगशाला परिचारक (वेतनमान 5200–20200ग्रेड पे 1800) के 150 पदों के सृजन की स्वीकृति संदर्भित आदेश द्वारा प्रदान की गई थी। उक्त आदेश को निरस्त करते हुए निम्नानुसार संशोधित स्वीकृति प्रदान की जाती है :–

| क्र. | मांग संख्या | महाविद्यालय का नाम | पूर्व में स्वीकृत पद संख्या | संशोधित पद संख्या |
|---|---|---|---|---|
| 1. | मांग संख्या 44–2202. (03)–0101–(103)–798 | शासकीय महाविद्यालय, गोबरा नवापारा जिला रायपुर | 02 | 04 |
| 2. | | शासकीय महाविद्यालय, दीपका जिला कोरबा | 03 | 03 |
| 3. | | शासकीय महाविद्यालय, पिपरिया जिला कबीरधाम | 03 | 03 |
| 4. | | शासकीय महाविद्यालय, साल्हेवारा जिला राजनांदगांव | 03 | 03 |
| 5. | | शासकीय महाविद्यालय, कोतरी जिला मुंगेली | 03 | 03 |
| 6. | | शासकीय महाविद्यालय, बोड़ला जिला कबीरधाम | 03 | 03 |
| 7. | | शासकीय महाविद्यालय, पण्डातराई जिला कबीरधाम | 02 | 03 |
| 8. | | शासकीय महाविद्यालय, जोबी जिला रायगढ़ | 02 | 03 |

17
12-01-16

PRINCIPAL
VISHNUCHARAN GUPTA
Govt.College Pussore
District- Raigarh (C.G.)

| क | मांग संख्या | महाविद्यालय का नाम | पूर्व में स्वीकृत पद संख्या | संशोधित पद संख्या |
|---|---|---|---|---|
| 9 | | शासकीय महाविद्यालय, बरमकेला जिला रायगढ़ | – | 03 |
| 10 | | शासकीय महाविद्यालय, पुसौर जिला रायगढ़ | – | 03 |
| 11 | | शासकीय महाविद्यालय सीपत जिला बिलासपुर | – | 02 |
| 12 | | शासकीय कन्या महाविद्यालय कवर्धा जिला कबीरधाम | – | 03 |
| 13 | | शासकीय महाविद्यालय, बेरला जिला बेमेतरा | 03 | 03 |
| 14 | | शासकीय महाविद्यालय, जामगांव आर जिला दुर्ग | 03 | 03 |
| 15 | | शासकीय महाविद्यालय, धरमजयगढ़ जिला रायगढ़ | 03 | 02 |
| 16 | | शासकीय नवीन महाविद्यालय, अरमरीकला जिला बालोद | 03 | 02 |
| 17 | | शासकीय शबरी नवीन कन्या महा, बिलासपुर जिला बिलासपुर | – | 02 |
| 18 | | शासकीय महाविद्यालय बोरी जिला दुर्ग | 03 | 02 |
| 19 | | शासकीय नवीन कन्या महाविद्यालय बेमेतरा जिला बेमेतरा | 02 | 02 |
| 20 | मांग संख्या–44 –2202–(03) –0101–(103)–798 | शासकीय कन्या महाविद्यालय, महासमुन्द जिला महासमुन्द | 03 | 01 |
| 21 | | शासकीय महाविद्यालय, बलौदा जिला जांजगीर–चांपा | 03 | 02 |
| 22 | | शासकीय महाविद्यालय बलौदा जिला महासमुन्द | 03 | 02 |
| 23 | | शासकीय महाविद्यालय मगरलोड जिला धमतरी | 03 | 02 |
| 24 | | शासकीय महाविद्यालय, सरगांव जिला मुंगेली | 02 | 01 |
| 25 | | शासकीय महाविद्यालय, गुरूर जिला बालोद | 03 | 02 |
| 26 | | शासकीय महाविद्यालय बेलोदी जिला बालोद | 03 | 02 |
| 27 | | शासकीय नवीन महाविद्यालय खुर्सीपार जिला दुर्ग | 04 | 04 |

PRINCIPAL
VISHNUCHARAN GUPTA
Govt.College Pussore
District- Raigarh (C.G.)

| क | मांग संख्या | महाविद्यालय का नाम | पूर्व में स्वीकृत पद संख्या | संशोधित पद संख्या |
|---|---|---|---|---|
| 85 | मांग संख्या–41 −2202−(03) −0102−(103)−798 | शासकीय महाविद्यालय, डुमरिया जरही जिला सूरजपुर | 01 | 01 |
| 86 | | शासकीय महाविद्यालय, मंगचुआ जिला बालोद | 01 | 01 |
| 87 | | शासकीय नवीन विज्ञान महाविद्यालय अंबिकापुर | 03 | 01 |
| 88 | | शासकीय महाविद्यालय कांसाबेल जिला जशपुर | 01 | 01 |
| | | कुल योग | 150 | 150 |

यह स्वीकृति वित विभाग के यू0 ओ0 कमांक एफ 2015–38–000571/वित्त/ब–3/चार,रायपुर दिनांक 14/07/2015 द्वारा दी गई सहमति अनुसार जारी की जा रही है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(श्रीमती दुर्गा देवांगन)
अवर सचिव
छ0ग0शासन, उच्च शिक्षा विभाग
रायपुर, दिनांक 27 / 01/2016

पृ.कमांक एफ 3–36/2015/38–1

प्रतिलिपि :–

1. मान. राज्यपाल के प्रमुख सचिव, राजभवन,रायपुर (छ.ग.)
2. मान. मुख्यमंत्री जी के प्रमुख सचिव,छ.ग.शासन,मंत्रालय,नया रायपुर,छ.ग.।
3. मुख्य सचिव के उप सचिव, छ.ग.शासन,मंत्रालय,नया रायपुर,छ.ग.।
4. विशेष सहायक,मान.मंत्री जी, छ.ग.शासन,उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय,नया रायपुर,छ.ग.।
5. सचिव, छ.ग.शासन, वित विभाग, मंत्रालय,नया रायपुर की यू0ओ0 कमांक एफ /2015–38–000571/वित्त/ब–3/चार,रायपुर दिनांक 14/07/2015 के संदर्भ में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।
6. प्रमुख सचिव छ.ग.शासन,उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय,नया रायपुर,छ.ग.।
7. महालेखाकार छ0ग0 रायपुर।
8. संबंधित जिला–कलेक्टर छ0ग0।
9. संबंधित क्षेत्रीय अपर संचालक उच्च शिक्षा छ0ग0।
10. संबंधित जिला–कोषालय अधिकारी.........................................
11. संबंधित प्राचार्य शास० महावि० पुसौर जिला - रायगढ़
12. आदेश फोल्डर

छ0ग0 की इोर सूचनार्थ आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

अवर सचिव
छ0ग0शासन, उच्च शिक्षा विभाग

PRINCIPAL
VISHNUCHARAN GUPTA
Govt.College Pussore
District- Raigarh (C.G.)

छत्तीसगढ़ शासन
उच्च शिक्षा विभाग
:: मंत्रालय ::
महानदी भवन,नया रायपुर

कमांक एफ 3–5/2018/38–1 नया रायपुर, दिनांक 03/08/2018

प्रति,

आयुक्त,
उच्च शिक्षा संचालनालय,
इंद्रावती भवन,
नया रायपुर।

विषय :– प्रदेश के 35 शासकीय महाविद्यालयों में स्नातक स्तर पर नवीन संकाय/ विषय/पाठ्यक्रम प्रारंभ करने हेतु प्रशासकीय स्वीकृति बाबत्।

संदर्भ :– आपकी टीप पं. कमांक 18/आउशि/योजना/नवीन विषय/2018–19 दिनांक 31/05/2018

—

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित टीप के परिपेक्ष्य में 35 शासकीय स्नातक महाविद्यालयों में सत्र 2018–19 में नवीन विषय/पाठ्यक्रम प्रारंभ करने की अनुमति दी जाती है जो निम्नानुसार है :–

मांग संख्या–44–राज्य आयोजना सामान्य महाविद्यालयों की संख्या–25

| क | महाविद्यालय का नाम | पाठ्यकम | विषय | सीट | नवीन सृजित पद | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | सहायक प्राध्यापक | प्रयोगशाला तकनीशियन | प्रयोगशाला परिचारक |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | शासकीय डॉ राधाबाई नवीन कन्या पी.जी महाविद्यालय, रायपुर | बी.ए. | भूगोल | 25 | 1 | 1 | 1 |
| | | बी.ए. | संगीत | 25 | 1 | | |
| 2 | शासकीय बीर सुरेन्द्र साय पी.जी. महाविद्यालय, गरियाबंद | बी.ए. | भूगोल | 30 | 2 | 1 | 1 |
| | | बी.ए. | अंग्रेजी साहित्य | 30 | 1 | | |
| | | बी.ए. | संस्कृत साहित्य | 25 | 1 | | |
| 3 | शासकीय राजीवलोचन महाविद्यालय राजिम | बी.ए. | अंग्रेजी साहित्य | 30 | 1 | | |
| 4 | शासकीय महाविद्यालय सरायपाली | बी.कॉम | वाणिज्य | 50 | 2 | | |

C1(1.443)a

PRINCIPAL
VISHNUCHARAN GUPTA
Govt.College Pussore
District- Raigarh (C.G.)

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | शासकीय महाविद्यालय तखतपुर | बी.कॉम | वाणिज्य | 40 | 2 | | |
| 16 | शासकीय महाविद्यालय कोतरी | बी.ए. | अंग्रेजी साहित्य | 40 | 1 | | |
| | | बी.एस.सी (गणित समूह) | गणित | 40 | 1 | | |
| | | | भौतिकशास्त्र | | 1 | 1 | |
| 17 | शासकीय महाविद्यालय अकलतरा | बी.ए. | अंग्रेजी साहित्य | 40 | 1 | | |
| 18 | शासकीय महाविद्यालय दीपका | बी.ए. | समाजशास्त्र | 40 | 1 | | |
| 19 | शासकीय महाविद्यालय सारंगढ़ | बी.ए. | संस्कृत | 40 | 1 | | |
| 20 | शासकीय महाविद्यालय धरमजयगढ़ | बी.एस.सी (गणित समूह) | गणित | 30 | 1 | | |
| | | | भौतिकशास्त्र | | 1 | 1 | 1 |
| | | | रसायनशास्त्र | | 1 | 1 | 1 |
| 21 | शासकीय नवीन महाविद्यालय बरमकेला | बी.ए. | भूगोल | 60 | 2 | 1 | 1 |
| 22 | शासकीय नवीन महाविद्यालय पुसौर | बी.एस.सी (गणित समूह) | गणित | 60 | 1 | | |
| | | | भौतिकशास्त्र | | 1 | 1 प्रयो. तक. | 1 प्रयो. परि. |
| 23 | शासकीय रामानुज प्रताप पी.जी. महाविद्यालय बैंकुण्ठपुर | बी.ए. | भूगोल | 40 | 1 | 1 | 1 |

C1(L445)a

PRINCIPAL
VISHNUCHARAN GUPTA
Govt.College Pussore
District- Raigarh (C.G.)

पृ.कमांक एफ 3–5/2018/38–1 नया रायपुर, दिनांक 03/08/2018

प्रतिलिपि:–

1. निज सहायक, मान मंत्रीजी, छ.ग. शासन, उच्च शिक्षा, मत्रालय, नया रायपुर,
2. मुख्य सचिव के उप सचिव, छ0ग0 शासन, मंत्रालय, नया रायपुर।
3. सचिव, छ0ग0शासन, उच्च शिक्षा विभाग मंत्रालय, नया रायपुर,
4. कलेक्टर जिला – ..........................................
5. विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी उच्च शिक्षा विभाग मंत्रालय नया रायपुर,
6. संबधित प्राचार्य शा.० महावि. पुसौर (छ.ग.)
   की ओर सूचनार्थ प्रेषित,
7. समस्त कुल सचिव, छत्तीसगढ़,
8. आदेश फोल्डर ।

अवर सचिव

छ.ग. शासन, उच्च शिक्षा विभाग,मंत्रालय

for PRINCIPAL
VISHNUCHARAN GUPTA
Govt.College Pussore
District- Raigarh (C.G.)

# कार्यालय आयुक्त, उच्च शिक्षा संचालनालय

ब्लॉक-3, द्वितीय/तृतीय तल, इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, जिला-रायपुर (छ0ग0)

क्रमांक 242/ 11 /आउशि/योजना/2020–21 अटल नगर, दिनांक 29/03/2022

प्रति,

समस्त प्राचार्य
संबंधित शासकीय महाविद्यालय
छत्तीसगढ़

विषयः– मुख्य बजट 2020–21 में प्रदेश के शासकीय महाविद्यालयों हेतु प्रावधानित चौकीदार के 127 पद एवं स्वच्छक (अंशकालीन ) के 141 पद कुल–268 पदों के सृजन की सहमति बावत्।

संदर्भः– छ.ग.शासन,उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय से प्राप्त आदेश क्र. एफ 3–52/2029/38–1 दिनांक 23/03/2022

–––––00–––––

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि संदर्भित आदेश द्वारा मुख्य बजट 2020–21 में प्रदेश के शासकीय महाविद्यालयों हेतु प्रावधानित चौकीदार के 127 पद एवं स्वीपर (अंशकालीन स्वच्छक) के 141 पद कुल–268 पदों के सृजन की सहमति प्रदान की गई है। पदों का विवरण निम्नानुसार हैः–

| क्र. | पदनाम | वेतन मैट्रिक्स | पद संख्या |
|---|---|---|---|
| 1 | चौकीदार | लेवल–1 | 127 |
| 2 | स्वच्छक (अंशकालीन ) | कलेक्टर दर | 141 |
| योग | | | 268 |

2/ निम्नलिखित शासकीय महाविद्यालयों में **चौकीदार** के पद स्वीकृत किये जाते हैः–

| क्र. | मांग संख्या | जिला | महाविद्यालय का नाम | पद संख्या |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 44 | रायपुर | शासकीय काव्योपाध्याय हीरालाल महाविद्यालय, अभनपुर | 1 |
| 2 | 44 | रायपुर | शासकीय महाविद्यालय, नवापारा गोबरा | 1 |
| 3 | 44 | रायपुर | शासकीय नवीन महाविद्यालय, बीरगांव | 1 |
| 4 | 44 | रायपुर | शासकीय नवीन महाविद्यालय, खरोरा | 1 |
| 5 | 44 | रायपुर | शासकीय नवीन महाविद्यालय, भाठागांव | 1 |
| 6 | 44 | रायपुर | शासकीय नवीन महाविद्यालय, गुढियारी | 1 |
| 7 | 44 | रायपुर | शासकीय नवीन महाविद्यालय, समोदा | 1 |
| 8 | 44 | बलौदाबाजार | शासकीय नवीन (विधि) महाविद्यालय भाटापारा | 1 |
| 9 | 44 | बलौदाबाजार | शासकीय नवीन महाविद्यालय वटगन | 1 |
| 10 | 44 | बलौदाबाजार | शासकीय नवीन महाविद्यालय मोपका निपनिया | 1 |
| 11 | 44 | बलौदाबाजार | शासकीय नवीन महाविद्यालय सोनाखान | 1 |
| 12 | 44 | गरियाबंद | शासकीय महाविद्यालय, देवभोग | 1 |
| 13 | 44 | महासमुन्द | शासकीय माता कर्मा कन्या महाविद्यालय, महासमुन्द | 1 |
| 14 | 44 | महासमुन्द | शासकीय नवीन महाविद्यालय बलौदा जि. महासमुन्द | 1 |



PRINCIPAL
VISHNUCHARAN GUPTA
Govt.College Pussore
District- Raigarh (C.G.)

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 55 | 44 | जांजगीर चांपा | शासकीय महाविद्यालय, बलौदा | 1 |
| 56 | 44 | जांजगीर चांपा | शासकीय नवीन महाविद्यालय चन्द्रपुर, जिला जांजगीर | 1 |
| 57 | 44 | जांजगीर चांपा | शासकीय नवीन महाविद्यालय बिर्रा, जिला जांजगीर | 1 |
| 58 | 44 | जांजगीर चांपा | शासकीय नवीन महाविद्यालय नगरदा, जिला जांजगीर | 1 |
| 59 | 44 | कोरबा | शासकीय महाविद्यालय, दीपका | 1 |
| 60 | 44 | रायगढ़ | शासकीय पी.डी. वाणिज्य एवं कला पी.जी. महाविद्यालय, रायगढ़ | 1 |
| 61 | 44 | रायगढ़ | शासकीय महाविद्यालय, धरमजयगढ़ | 1 |
| 62 | 44 | रायगढ़ | शासकीय नवीन महाविद्यालय जोबी, जिला– रायगढ़ | 1 |
| 63 | 44 | रायगढ़ | शासकीय नवीन महाविद्यालय पुसौर | 1 |
| 64 | 44 | रायगढ़ | शासकीय नवीन महाविद्यालय बरमकेला | 1 |
| 65 | 44 | रायगढ़ | शासकीय नवीन महाविद्यालय सरिया | 1 |
| 66 | 44 | जशपुर | शासकीय एन. ई.एस. स्नातकोत्तर महाविद्यालय, जशपुरनगर | 1 |
| 67 | 44 | सरगुजा | शासकीय राजीवगांधी स्नातकोत्तर महाविद्यालय, अंबिकापुर | 1 |
| 68 | 44 | कोरिया | शासकीय लाहिडी महाविद्यालय, चिरमिरी | 1 |
| कुल | | | | 68 |

| क्र. | मांग संख्या | जिला | महाविद्यालय का नाम | पद संख्या |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 41 | गरियाबंद | शासकीय नवीन महाविद्यालय फिंगेश्वर | 1 |
| 2 | 41 | गरियाबंद | शासकीय नवीन महाविद्यालय मैनपुर | 1 |
| 3 | 41 | गरियाबंद | शासकीय नवीन महाविद्यालय गोहरापदर | 1 |
| 4 | 41 | बालोद | शासकीय कंगला मांझी महाविद्यालय, डौंडी | 1 |
| 5 | 41 | बालोद | शासकीय एकलव्य महाविद्यालय, डौंडी लोहारा | 1 |
| 6 | 41 | बालोद | शासकीय नवीन महाविद्यालय मंगचुवा, जि. बालोद | 1 |
| 7 | 41 | राजनांदगांव | शासकीय महाविद्यालय, मोहला | 1 |
| 8 | 41 | राजनांदगांव | शासकीय नवीन महाविद्यालय, औंधी | 1 |
| 9 | 41 | कांकेर | शासकीय लाल कलिन्द सिंह महाविद्यालय, अन्तागढ़ | 1 |
| 10 | 41 | कांकेर | शासकीय नवीन महाविद्यालय सरोना, जिला–कांकेर | 1 |
| 11 | 41 | कांकेर | शासकीय नवीन महाविद्यालय दुर्गकोन्दल, जिला–कांकेर | 1 |
| 12 | 41 | कांकेर | शासकीय नवीन महाविद्यालय नरहरपुर | 1 |
| 13 | 41 | बस्तर | शासकीय महाविद्यालय, भानपुरी | 1 |
| 14 | 41 | बस्तर | शासकीय महाविद्यालय, बकावण्ड | 1 |
| 15 | 41 | बस्तर | शासकीय नवीन महाविद्यालय तोकापाल, जिला–बस्तर | 1 |
| 16 | 41 | कोण्डागांव | शासकीय दण्डकारण्य महाविद्यालय, केशकाल | 1 |
| 17 | 41 | कोण्डागांव | शासकीय महाविद्यालय फरसगांव, जिला कोंडागांव | 1 |



PRINCIPAL
VISHNUCHARAN GUPTA
Govt.College Pussore
District- Raigarh (C.G.)

5/ उपरोक्त सहमति वित्त विभाग के कम्प्यूटर क्रमांक एफ–2022–38–00191 दिनांक **21.03.2022** अनुसार दी गई है।

**संलग्न– संदर्भानुसार**

25.3.2022

**अपर संचालक**
उच्च शिक्षा संचालनालय
**अटल नगर, दिनांक / /2022**

पृ.क्रमांक / /आउशि/योजना/2020–21
प्रतिलिपि:–

1. माननीय मंत्रीजी के विशेष सहायक, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर, रायपुर।
2. निज सहायक, सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर, रायपुर।
3. शीघ्रलेखक, आयुक्त, उच्च शिक्षा संचालनालय, इंद्रावती भवन, नवा रायपुर अटल नगर, रायपुर।
4. अराजपत्रित स्थापना शाखा, उच्च शिक्षा संचालनालय, इंद्रावती भवन, नवा रायपुर अटल नगर, रायपुर की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु।
5. आदेश फोल्डर।

PRINCIPAL
VISHNUCHARAN GUPTA
Govt.College Pussore
District- Raigarh (C.G.)

**अपर संचालक**
उच्च शिक्षा संचालनालय

## कार्यालय प्राचार्य
## विष्णुचरण गुप्ता शासकीय महाविद्यालय पुसौर, जिला –रायगढ़ (छ.ग.)
Email ID :newgovtcollegepusaur@gmail.com

क्र. /2020/33 पुसौर दिनांक : 04.08.2020

### आदेश

राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद् बेंगलुरु के निर्देशानुसार महाविद्यालयीन आंतरिक गुणवत्ता आश्वासन प्रकोष्ठ ( IQAC ) 2020 का गठन निम्नानुसार किया जाता है :

| | | |
|---|---|---|
| 1. | डॉ.एम.एल.सोनवाने | प्राचार्य एवं अध्यक्ष |
| 2. | श्री रमेश कुमार साहू | संयोजक |
| | डॉ.मनोहरलाल पटेल | सदस्य |
| | डॉ.सरोज कुमार | सदस्य |
| | डॉ.रोहिणी आर्या वर्मा | सदस्य |
| | श्री श्रीवच्छ भोय | सदस्य |
| | श्री विजय कुमार कांटे | सदस्य |
| | श्री हरिहर प्रसाद चौहान | सदस्य |
| | श्री जयनारायण नायक | सदस्य |
| 3. | डॉ.धनेश सिंह | आमंत्रित सदस्य ( IQAC संयोजक अग्रणी महाविद्यालय रायगढ़ ) |
| 4. | श्री राकेश भारद्वाज | पूर्व छात्र |
| 5. | डॉ.बी.के.चंद्रवंशी | प्रशासनिक अधिकारी |
| 6. | श्री दधिवामन साव | स्थानीय सोसाइटी |
| 7. | श्री सुरेन्द्र जेना | व्यवसायी |
| 8. | श्री योगेश्वर | अभिभावक |
| 9. | श्री वीरेन्द्र पटेल | छात्र |

उपरोक्तप्रकोष्ठकीकार्य अवधि 02 वर्ष (2020 – 2022) की होगी। इस अवधि में प्रकोष्ठ शासन एवं यू जी सी के निर्देशानुसार महाविद्यालय के शैक्षणिक , शैक्षणिकेतर एवं अन्य सम्बंधित कार्यों की गुणवत्ता बनाए रखने का कार्य करेगी तथा प्रगति से समयानुसार शासन एवं सम्बंधित संस्था को अवगत कराएगी।

PRINCIPAL
NAVEEN GOVT. COLLEGE
Baramkela, Distt. Raigarh(C.G.)

पृ.क्र. 34/2020 पुसौर दिनांक : 04.08.2020

1. सचिव , उच्च शिक्षा संचालनालय छ.ग.शासन नवा रायपुर को सादर सूचनार्थ।
2. अपर संचालक , उच्च शिक्षा बिलासपुर संभाग , शास.विज्ञान महा.परिसर बिलासपुर को सादर सूचनार्थ।
3. सभी सदस्य ---------------------------- को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
4. प्राचार्य , शास.जे.पी.वर्मा महाविद्यालय(सेंटी महाविद्यालय) बिलासपुर को सादर सूचनार्थ।
5. प्राचार्य , शास.बिलासा कन्या महाविद्यालय (नोडल महाविद्यालय) बिलासपुर को सादर सूचनार्थ।
6. प्राचार्य फ़ाइल।

प्राचार्य

for Principal
Vishnu Charan Gupta Govt. College
Pussore, Dist.- Raigarh(C.G.)

# कार्यालय कलेक्टर रायगढ़ (छत्तीसगढ़)

क्रमांक / /जभास/2020 रायगढ़, दिनांक

## //आदेश//

माननीय श्री रविन्द्र चौबे, मंत्री छत्तीसगढ़ शासन, संसदीय कार्य, कृषि विकास एवं किसान कल्याण तथा जैव प्रौद्योगिकी, पशुधन विकास, मछली पालन, जल संसाधन एवं आयाकट विभाग (प्रभारी मंत्री रायगढ़, जिला रायगढ़) द्वारा अनुमोदित पत्र क्र./100676 – दिनांक 29.06.2020 के परिपालन में रायगढ़ जिले के शासकीय महाविद्यालयों मे जनभागीदारी समिति अध्यक्ष पद पर निम्नानुसार नियुक्ति की जाती है :-

| क्र. | महाविद्यालय का नाम | अध्यक्ष का नाम | मोबाईल न. |
|---|---|---|---|
| 1. | शास. नवीन महाविद्यालय पुसौर, वि.ख. पुसौर जिला रायगढ | श्री किशोर कसेर | 9424163209 |
| 2. | शास. नवीन महाविद्यालय सरिया, वि.ख.बरमकेला, जिला रायगढ़ | श्री शरद यादव | 9406058888 |
| 3. | शास. किरोडीमल कला एवं विज्ञान महाविद्यालय, रायगढ | श्री आरिफ हुसैन | 8269484842 |
| 4. | पालूराम धनानिया वाणिज्य महाविद्यालय, रायगढ | श्रीमती प्रभाति महापात्रे | 9826524752 |
| 5. | किशोरी मोहन त्रिपाठी, शास. कन्या महाविद्यालय रायगढ़ (छ.ग.) | श्रीमती अनुपमा शाखा यादव | 7999304482 |

यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा।

कलेक्टर
रायगढ़

पृ.क्रमांक/ 89 /जभास/2020 रायगढ़, दिनांक 15-7-2020

प्रतिलिपि,

1. निज सहायक, माननीय श्री रविन्द्र चौबे, मंत्री (प्रभारी मंत्री रायगढ़, जिला रायगढ) छत्तीसगढ़ शासन, संसदीय कार्य, कृषि विकास एवं किसान कल्याण तथा जैव प्रौद्योगिकी, पशुधन विकास, मछली पालन, जल संसाधन एवं आयाकट विभाग छ.ग. शासन मंत्रालय महानदी भवन नया रायपुर (छ.ग.) को सादर सम्प्रेषित।
2. निज सहायक, उच्च शिक्षा मंत्री, मंत्रालय महानदी भवन नया रायपुर (छ.ग.) को सादर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
3. अपर मुख्य सचिव, उच्च शिक्षा छत्तीसगढ़ शासन, मंत्रालय महानदी भवन नया रायपुर (छ.ग.) को सादर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
4. आयुक्त, उच्च शिक्षा संचालनालय, ब्लॉक सी–3, द्वितीय एवं तृतीय त, इन्द्रावती भवन, अटल नगर, रायपुर (छ.ग.)
5. माननीय श्री प्रकाश नायक, विधायक, विधानसभा क्षेत्र 16 रायगढ (छ.ग.)।
6. प्राचार्य, कि.शास. कला एवं विज्ञान महाविद्यालय, रायगढ (छ.ग.)।
7. प्राचार्य, पालूराम धनानिया वाणिज्य महाविद्यालय, रायगढ (छ.ग.)।
8. प्राचार्य, किशोरी मोहन त्रिपाठी, शासकीय कन्या महाविद्यालय रायगढ (छ.ग.)
9. प्राचार्य, शास. नवीन महाविद्यालय पुसौर, वि.ख. पुसौर जिला रायगढ (छ.ग.)।
10. प्राचार्य, शास. नवीन महाविद्यालय सरिया, वि.ख. बरमकेला, जिला रायगढ (छ.ग.)।
11. संबंधित पदाधिकारी श्री / श्रीमती ........................................ को सूचनार्थ।

PRINCIPAL
VISHNUCHARAN GUPTA
Govt.College Pussore
District- Raigarh (C.G.)

कलेक्टर

**किशोर कसेर**
पार्षद एवं अध्यक्ष
(जनभागीदारी समिति
वि.च.गु.शास.महा.पुसौर)

निवास - वार्ड क्र.15 महात्मा गाँधी
नगर पंचायत पुसौर
जिला - रायगढ़ (छ.ग.)
मो.नं. 9424163209

---

क्र. /

दिनांक 03/08/21

प्रति ,

प्राचार्य ,

वि.च.गु.शास.महाविद्यालय पुसौर

रायगढ़ (छ.ग.)

विषय : महाविद्यालय की जनभागीदारी समिति की सामान्य परिषद् में सदस्य नामजद करने बाबत ।

सन्दर्भ : 1. मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण) भोपाल , दिनांक 20 सितम्बर 1996

2. महाविद्यालय की जनभागीदारी समिति का अध्यक्ष मनोनीत किये जाने सम्बन्धी कलेक्टर रायगढ़ का आदेश क्रमांक 88 / ज.भा.स. / 2020 रायगढ़ दिनांक 15.07.2020

---

संदर्भित विषयान्तर्गत लेख है कि राजपत्र में विद्यमान प्रावधानों के अंतर्गत महाविद्यालय के प्रबंधन में जनभागीदारी समिति की सामान्य परिषद् हेतु कंडिका 05,06,07 व 08 में वर्णित प्रतिनिधि सदस्य मेरे द्वारा निम्नानुसार नामजद किये जाते हैं :

| कंडिका क्र. | कंडिका | सदस्य | मोबाइल नं |
|---|---|---|---|
| 05 | प्रदेश में उच्च शिक्षा के उत्पाद का उपयोग करने वाले स्थानीय संगठन , उद्योग , स्थानीय संस्थाओं , दान दाताओं , कृषकों एवं पोषक शालाओं के प्रतिनिधि | 1.श्री लक्ष्मी चौहान<br>2.श्री मुकेश महाणा<br>3.श्री दधिवामन साव<br>4.श्री वैकुण्ठ गुप्ता<br>5.श्री लक्षमण साव<br>6. श्री रोहित कुमार पटेल (प्राचार्य) | 7024597509<br>9179246060<br>9993221835<br>9630370760<br>9752317262<br>6261198476 |
| 06 | अभिभावकों के प्रतिनिधि | 1.श्रीमती उमा गुप्ता<br>2.श्री कीर्तन सिदार | 7389479912<br>7804084658 |
| | पूर्व छात्रों के प्रतिनिधि | 1.श्री दीपक पटेल (कर्राजोर)<br>2.श्री लोकेश सिदार (बाघाडोला) | 9131261656<br>9131277817 |
| 07 | ST,SC एवं OBC के सदस्य (यदि अन्य श्रेणी में ना आये हों तो ) | इनके सदस्य उपरोक्त कंडिकाओं में शामिल हैं | ---------- |
| 08 | महिला अभिभावक | 1.श्रीमती सिकबाई सारथी | 6263443089 |

स्थान : पुसौर

दिनांक : 03/08/21

**किशोर कसेर**

अध्यक्ष , जनभागीदारी समिति

वि.च.गु.शास.महाविद्यालय पुसौर

जिला-रायगढ़ (छ.ग.)

PRINCIPAL
VISHNUCHARAN GUPTA
Govt.College Pussore
District- Raigarh (C.G.)

# वि.च.गु.शासकीय महाविद्यालय पुसौर , रायगढ़ (छ.ग.)

## जन भागीदारी समिति

## सामान्य परिषद् का गठन (2020 - 21)

| क्र. | नाम | | पद |
|---|---|---|---|
| 1 | श्री किशोर कसेर | पार्षद | अध्यक्ष |
| 2 | तहसीलदार पुसौर | कलेक्टर प्रतिनिधि | उपाध्यक्ष |
| 3 | श्री अभिमन्यु साहू | सांसद प्रतिनिधि | सदस्य |
| 4 | श्री रोहित पटेल | विधायक प्रतिनिधि | सदस्य |
| 5 | श्री लक्ष्मी चौहान | स्थानीय संगठन | सदस्य |
| | श्री मुकेश महाणा | उद्योग | सदस्य |
| | श्री दधिवामन साव | दान दाता | सदस्य |
| | श्री वैकुण्ठ गुप्ता | कृषक | सदस्य |
| | श्री लक्षमण साव | स्थानीय संस्था | सदस्य |
| | श्री रोहित कुमार पटेल , प्राचार्य | पोषक शाला प्रतिनिधि | सदस्य |
| 6 | श्रीमती उमा गुप्ता | अभिभावक प्रतिनिधि | सदस्य |
| | श्री कीर्तन सिदार | अभिभावक प्रतिनिधि | सदस्य |
| | श्री दीपक पटेल (कर्राजोर) | पूर्व छात्र | सदस्य |
| | श्री लोकेश सिदार (बाघाडोला) | पूर्व छात्र | सदस्य |
| 7 | ST , SC एवं OBC प्रतिनिधि | इनके सदस्य उपरोक्त कंडिकाओं में शामिल हैं | ..... |
| 8 | श्रीमती सिकबाई सारथी | महिला अभिभावक | सदस्य |
| 9 | यू.जी.सी. द्वारा मनोनीत सदस्य | ..... | ..... |
| 10 | डॉ.एस.एल.सोनवाने | प्राचार्य | सदस्य सचिव |

प्राचार्य एवं सचिव

Principal
Vishnu Charan Gupta Govt. College
Pussore, Dist.- Raigarh(C.G.)

PRINCIPAL
VISHNUCHARAN GUPTA
Govt.College Pussore
District- Raigarh (C.G.)

# कार्यालय कलेक्टर रायगढ़ (छत्तीसगढ़)

क्रमांक / /जभास / 2017 रायगढ़, दिनांक– / 12 / 2017

## //आदेश//

माननीय श्री रामसेवक पैंकरा जी, मंत्री गृह, जेल एवं लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग छत्तीसगढ़ शासन रायपुर (तत्कालीन प्रभारी मंत्री, जिला–रायगढ़) द्वारा अनुमोदित पत्र पृ. क्रमांक 628 / WP, दिनांक 08 / 08 / 2017 के परिपालन में रायगढ़ जिले के शासकीय महाविद्यालयों में जनभागीदारी समिति अध्यक्ष पद पर निम्नानुसार नियुक्ति की जाती है :–

| क्र. | महाविद्यालय का नाम | अध्यक्ष का नाम | पदनाम |
|---|---|---|---|
| 1 | कि. शास. कला एवं विज्ञान महाविद्यालय रायगढ़ | श्री राजेन्द्र ठाकुर | पार्षद, वार्ड क्र. 27 नया अतरमुड़ा रायगढ़ |
| 2 | पालूराम धनानिया शास. कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय रायगढ़ | श्री सीनू राव | पार्षद, वार्ड क्र. 39 विकास नगर रायगढ़ |
| 3 | किशोरी मोहन त्रिपाठी शास. कन्या महाविद्यालय रायगढ़ | श्रीमती कविता मिश्रा | पार्षद, वार्ड क्र. 21 श्रीराम कालोनी रायगढ़ |
| 4 | शास. महाविद्यालय पुसौर | श्रीमती धनमती गुप्ता | पार्षद, वार्ड क्र. 02 नगर पंचायत पुसौर |
| 5 | शास. नवीन महाविद्यालय सरिया | श्री स्वप्निल स्वर्णकार | पार्षद, वार्ड क्र. 09 सोनारपारा नगर पंचायत सरिया |

यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा।

कलेक्टर
रायगढ़

पृ. क्रमांक / 1035 / जभास / 2017 रायगढ़, दिनांक– 12 / 12 / 2017

प्रतिलिपि,

1. निज सहायक, माननीय श्री रामसेवक पैंकरा जी, मंत्री (तत्कालीन प्रभारी मंत्री जिला–रायगढ़) मंत्री गृह, जेल एवं लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग छत्तीसगढ़ शासन, मंत्रालय महानदी भवन नया रायपुर (छ.ग.) को सादर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
2. निज सहायक, माननीय श्रीमती रमशीला साहू, मंत्री जी (प्रभारी मंत्री जिला रायगढ़) महिला एवं बाल विकास विभाग, छत्तीसगढ़ शासन, मंत्रालय महानदी भवन नया रायपुर (छ.ग.) को सादर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
3. अपर मुख्य सचिव, उच्च शिक्षा छत्तीसगढ़, शासन मंत्रालय महानदी भवन नया रायपुर।
4. आयुक्त, उच्च शिक्षा, सी–3, द्वितीय एवं तृतीय तल, इन्द्रावती भवन नया रायपुर (छ.ग.)।
5. मान. श्री रोशनलाल अग्रवाल, विधायक विधानसभा क्षेत्र रायगढ़।
6. कि. शास. कला एवं विज्ञान महाविद्यालय रायगढ़ (छ.ग.)।।
7. पालूराम धनानिया शास. कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय रायगढ़ (छ.ग.)।
8. किशोरी मोहन त्रिपाठी शास. कन्या महाविद्यालय रायगढ़ (छ.ग.)।
9. शास. महाविद्यालय पुसौर, जिला रायगढ़ (छ.ग.)।
10. शास. नवीन महाविद्यालय सरिया, , जिला रायगढ़ (छ.ग.)।
11. संबंधित पदाधिकारी श्री / श्रीमती – – – – – – – – – – – – – – – – – – को सूचनार्थ।

कलेक्टर
रायगढ़

GOVT. NAVEEN COLLEGE PUSSORE RAIGARH (C.G.) 242 13.12.17

PRINCIPAL
VISHNUCHARAN GUPTA
Govt. College Pussore
District- Raigarh (C.G.)

**श्रीमती धनमति गुप्ता**
**(पार्षद)**
**वार्ड नं. 02, नगर पंचायत पुसौर**

**निवास - मु.पो. बोरोडिपा, पुसौर,**
**जिला - रायगढ़ (छ.ग.)**
**मो.नं.- 9755250082**

क्रमांक........................ दिनांक ......................

प्रति,

**श्रीमान प्राचार्य महोदय जी,**
शासकीय महाविद्यालय पुसौर
रायगढ़ (छ.ग.)

विषय : **महाविद्यालय की जन भागीदारी समिति की सामान्य परिषद में सदस्य नामजद करने बाबत्।**

संदर्भ : **1. मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण) भोपाल, दिनांक 20 सितंबर 1996**
**2. महाविद्यालय की जनभागीदारी समिति का अध्यक्ष मनोनित किए जाने संबंधी कलेक्टर रायगढ़ का आदेश क्रमांक 1553 दिनांक 16.06.2015**

----00----

विषयांन्तर्गत लेख है कि महाविद्यालय के प्रबंधन में जन भागीदारी की दृष्टि से संदर्भ में उल्लेखित राजपत्र में विद्यमान प्रावधानों के अंतर्गत समिति की सामान्य परिषद हेतु कंडिका 05, 06, 07 व 08 में वर्णित प्रतिनिधि सदस्य मेरे द्वारा निम्नानुसा नामजद किये जाते है :-

| कंडिका | |
|---|---|
| 05 प्रदेश में उच्च शिक्षा के उत्पाद का उपयोग करने वाले स्थानीय संगठन - उद्योग, स्थानीय संस्थाओं, दानदाताओं, कृषकों एव पोषक शालाओं के प्रतिनिधि - | 1. श्रीमती **सुरेन्द्री गुप्ता**, पुसौर, जिला - रायगढ़ **9752317234** |
| 06. अभिभावको के प्रतिनिधि - | 1. **श्री बैकुण्ठ गुप्ता**, पार्षद, पुसौर, जिला - रायगढ़ - 9691141446<br>2. **श्रीमती शीला पटेल**, उपसरपंच, झलमला, पुसौर- 9752020637 |
| पूर्व छात्रों के प्रतिनिधि - | 1. **श्री सुनील कुमार गुप्ता**, पुसौर जिला - रायगढ़ - 9993230399<br>2. **श्री आकाश गुप्ता**, कोड़ातराई, वि.ख. पुसौर - 9993238256 |
| अनुसूचित जनजाति वर्ग,<br>अनुसूचित जाति वर्ग -<br>अन्य पिछड़ा वर्ग | 1. **श्री पूर्णचन्द चौहान**, बायाडोला, वि.ख. पुसौर ~~9752038810~~<br>2. **श्री बलराम संवरा**, पुसौर वि.ख. पुसौर - 7224090680<br>3. **श्री खगेश्वर पटेल**, घानातराई, वि.ख. पुसौर - |
| 08. अभिभावक | 1. **श्री दधिवामन साव**, पुसौर जिला - रायगढ़ - 9993680470 |

**स्थान** - पुसौर

**दिनांक :**

शासकीय महाविद्यालय पुसौर ★ जिला-रायगढ़ (छ.ग.)
क्रमांक ....9....
दिनांक 25/1/17

PRINCIPAL
VISHNUCHARAN GUPTA
Govt.College Pussore
District- Raigarh (C.G.)

धनमति गुप्ता
पार्षद वार्ड क्र. 02
नगर पंचायत पुसौर
(श्रीमती धनमति गुप्ता)
अध्यक्ष
जन भागीदारी समिति
शासकीय महाविद्यालय पुसौर
रायगढ़ (छ.ग.)

(4)

| क्र. | नाम | पता | पद |
|---|---|---|---|
| 1 | श्रीमती धनमती गुप्ता | संबंधित जिला पंचायत, जनपद पंचायत या नगर निकाय के सदस्य, विधायक या सांसद में से राज्य शासन द्वारा नियुक्त व्यक्ति | अध्यक्ष |
| 2 | अनुविभागीय अधि० (राजस्व) पदेन | कलेक्टर या उसका प्रतिनिधि | उपाध्यक्ष |
| 3 | | जहां महाविद्यालय स्थित है उस क्षेत्र का संसद सदस्य या उसका नामांकित प्रतिनिधि | सदस्य |
| 4 | श्री तिनाथ गुप्ता | जहां महाविद्यालय स्थित है उस क्षेत्र का विधायक या उसका नामांकित प्रतिनिधि | सदस्य |
| 5 | श्रीमती सुरेन्द्री गुप्ता | प्रदेश में उच्च शिक्षा के उत्पाद का उपयोग करने वाले स्थानीय संगठन, उद्योग, स्थानीय संस्थाओं, दानदाताओं, कृषकों एवं पोषक व्यक्तियों के एक–एक प्रतिनिधि | सदस्य |
| 6 | (1) श्री सुनिल कुमार गुप्ता<br>(2) श्री दधिबावन साव<br>(1) श्री लाल साहब गुप्ता<br>(2) श्री आकाश गुप्ता | अभिभावको एवं पूर्व छात्रों के दो–दो प्रतिनिधि | सदस्य |
| 7 | (1) श्री पूर्णचन्द चौहान<br>(2) श्री बलराम संवरा<br>(3) अशोक गुप्ता | अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ावर्ग में से प्रत्येक उस वर्ग का एक अभिभावक, जिसके कोई सदस्य अन्य श्रेणियों में न आये हो. | सदस्य |
| 8 | श्रीमती उर्मिला भोय | एक महिला अभिभावक, यदि अन्य किसी श्रेणी में महिला न आई हो. | सदस्य |
| 9 | – | विश्वविद्यालय अनुदान आयोग नई दिल्ली द्वारा मनोनीत सदस्य | सदस्य |
| 10 | डॉ० एस० एल० सोनवाने | महाविद्यालय का प्राचार्य | सदस्य सचिव |

*टीप* : क्रमांक 5, 6, 7 एवं 8 के अन्तर्गत नामजद किए जाने वाले प्रतिनिधि अध्यक्ष द्वारा नामजद किए जायेंगे :–

03. समिति की सामान्य परिषद निम्नलिखित कर्तव्यों का पालन करेगी अर्थात् :–

क / महाविद्यालय की सामान्य नीतियों और कार्यक्रमों का निर्धारण

ख / पूर्व में निर्धारित नीतियों के क्रियान्वयन का समय–समय पर पुनरीक्षण

ग / विभिन्न पाठ्यक्रमों तथा कार्यक्रमों के लिये छात्रों द्वारा देय शुल्क दरों की संरचना तथा अन्य भुगतानों का निर्धारण

घ / राज्य शासन द्वारा प्रदत्त निधियों के अलावा निजी संसाधनों के अनुपूरक निधियों के अर्जन की विधियां खोजना

ड / समिति के वार्षिक वित्तीय अनुमान पर विचार करना, उन्हें अंगीकृत करना

PRINCIPAL
VISHNUCHARAN GUPTA
Govt.College-Pussore
District- Raigarh (C.G.)

Principal
Govt.Naveen College
Pussore,Distt.-Raigarh (C.G.)

(1) Dhanu

सूचना पंजी

दिनांक- 23/01/2017

महाविद्यालय में कार्यरत समस्त अधिकारी कर्मचारियों को एवं जनभागीदारी विकास समिति के पदाधिकारियों को सूचित किया जाता है कि गणतंत्र दिवस राष्ट्रीय पर्व मनाने के संबंध में दिनांक-25/01/2017 को एक आवश्यक बैठक अपरान्ह 12:00 बजे रखी गई है।

निर्धारित तिथि एवं समय में अपना उपस्थिति सुनिश्चित करें।

(प्र. प्राचार्य)

1. [illegible] भोय -
2. प्रो. सी० आर० अनंत -
3. " बी० डी० यादव - H. Yadav
4. " अल्मा रस एक्का -
5. " बालमुकुन्द पटेल - B Patel
6. " अशोक कुमार पटेल - A Patel

PRINCIPAL
VISHNUCHARAN GUPTA
Govt. College Pussore
District- Raigarh (C.G.)

नाम पद

| | | | |
|---|---|---|---|
| ① | श्रीमती धनमती गुप्ता | अध्यक्ष | Dhanmati |
| 2 | - रोहिदास | - | रोहिदास |
| 3 | एस. के. सोनवानी | अ.भू.का.पा. अ. | 13.12.16 |
| 4 | आकाश गुप्ता | सदस्य | A Kumar |
| (5) | चिनाथ गुप्ता | विधायक प्रतिनिधि | Gupta |
| 6) | रेवन्ती पटेल | अतिथि व्या. (वाणिज्य) | Patel |
| 7). | गरिमा जोशी | अतिथि व्या. (वाणिज्य) | Garima Joshi |
| ⑧ | बरखा यादव | अतिथि व्या. (समाजशास्त्र) | B yadav 13-12-16 |
| ⑨ | वन्दना दुबे | अतिथि व्या. (रसायनशास्त्र) | 13/12/16 |
| (10) | श्रीमति सुमन नायक | (प्राणीशास्त्र) | 13/12/16. |
| (11) | पाविश्री महंत | (इतिहास) | |
| (12) | डॉ० सावित्री अग्रवाल | (राजनीति शा०) अतिथि प्राध्यापक | |
| (13) | श्रीमती सूर्यकान्ती चौहान | | |
| (14) | श्री राजेश | पटेल | |
| (15) | श्रीचन्द्र घोष | (हिन्दी) | |
| (16) | राकेश यादव | (महाविद्यालय अध्यक्ष) | R yadav |
| (17) | संजु यादव | (महाविद्यालय उपाध्यक्ष) | Yadav |
| (18) | महेश साव | (महाविद्यालय सचिव) | |
| (19) | नेहा चौधरी | (सह-सचिव) | Neha |

13/12/2016

for PRINCIPAL
VISHNUCHARAN GUPTA
Govt. College Pussore
District: Raigarh (C.G.)

प्र. प्राचार्य
Principal
Govt. Naveen College
Pussore, Dist. Raigarh (C.G.)

सूचनादेश / आमंत्रण (1

25/01/201

अत्यन्त हर्ष के साथ आप समस्त अधिकारियों / जनभागीदारी सदस्यों / छात्र संघ पदाधि[illegible] को सूचित / सह आमंत्रण किया जाता है कि महा[illegible] प्रांगण में प्रातः 7:30 बजे ध्वजारोहण का काय[illegible] रखी गई है जिसमें आप सभी सादर आमंत्रि[illegible]

अतः निर्धारित समय में अप[illegible] उपस्थिति सुनिश्चित करें /

[signature]
वरि./प्रभा.प्रा.

1. श्री [illegible] [signature]
2. ए. एक्का [signature]
3. ए. के. पटेल [signature]
4. बी. एम. पटेल [signature]
5. डॉ० डी० यादव [signature]
6. श्रीमती- धनमती गुप्ता (अध्यक्ष). Dhanmati [signature]
7. श्री- आकाश गुप्ता- [signature]

डॉ सावित्री [illegible] - Dr [signature]
राजेश पटेल - [signature]
श्रीमती- सुमन नायक - [signature]
" सावित्री महंत - [signature]
कु. बरखा यादव - Byadav
" वंदना दुबे - [signature]
" सेवन्ती पटेल - [signature]
" गरिमा जोशी - Garima joshi
" सुजीत कुमार दास (DDUKP) [signature]

[signature]
I/c PRINCIPAL
VISHNUCHARAN GUPTA
Govt. College Pussore
District- Raigarh (C.G.)

सूचना

दिनांक 22/06/2017

जनभागीदारी विकास समिति के समस्त पदाधिकारियों को सूचित किया जाता है कि आगामी दिनांक 28/06/2017 को अपरान्ह 12:00 बजे से आवश्यक बैठक आहूत की गई है जिसमें आप लोगो की उपस्थिति प्रार्थनीय है।

① श्रीमती धनमती गुप्ता - पार्षद न०पं० पुसौर - Dhanmati

② अनुविभागीय अधि (राजस्व) - (पदेन)

③ (सांसद सदस्य) -

④ श्री त्रिनाथ गुप्ता - विधायक (प्रतिनिधि) सदस्य त्रिनाथ गुप्ता

⑤ (i) श्रीमती - सुरेन्द्री गुप्ता (सदस्या) Surendri

(ii) श्री - खगेश्वर [illegible] (सदस्य) Patel

⑥ (i) श्री सुनिल कुमार गुप्ता - [signature]

(ii) " दधिवाबन साव - [signature]

(iii) " लाल साहब (गुप्ता) - प्रधान [signature]

(iv) " आकाश गुप्ता - [signature]

⑦ (i) श्री पूर्णचंद चौहान - पूर्णचंद

(ii) " बलराम सबरा - लाल राम

(iii) " अशोक गुप्ता - [signature]

⑧ श्रीमती - उर्मिला भोय - उर्मिला

⑨ PRINCIPAL VISHNUCHARAN GUPTA Govt. College Pussore District-Raigarh (C.G.) — प्राचार्य शास. महाविद्यालय पुसौर, जिला - रायगढ़ (छ.ग.)

⑩ श्री एस. एल. सोनवाने -

योग दिवस 21 जून 2018

विश्व योग दिवस के अवसर पर शास० महा० पुसौर जनभागीदारी अध्यक्ष / सदस्य, महाविद्यालयीन अधिकारी / कर्मचारियों एवं छात्र-छात्राओं की उपस्थिति में प्रातः 7:00 बजे से 8:00 तक योग शिविर का आयोजन किया गया।

1. श्रीमती चन्द्रमती गुप्ता (ज०भा० अध्यक्ष)
2. श्रीमती सुरेन्द्री गुप्ता (प्रतिनिधि) — Surendri
3. डॉ० रोहिणी आर्य
4. डॉ० सरोज कुमार
5. रमेश कुमार साहू
6. अभिषेक भोय
7. श्री विजय कुमार कांटे
8. जयनारायण नायक
9. प्रो० एच० पी० चौहान (योग प्रभारी)
10. श्री [illegible]

for PRINCIPAL
VISHNUCHARAN GUPTA
Govt.College Pussore
District- Raigarh (C.G.)

Principal
Vishnu Charan Gupta Govt. Colleg
Pussore, Dist.- Raigarh(C.G.)

बैठक सूचना (2)

(जनभागीदारी समिति) दिनांक-14/08/18

बैठक दिनांक-21/08/18

आप लोगों को सूचित किया जाता है कि शासन महा० पुसौर में अपरान्ह 1:30 बजे से जनभागीदारी (विकास) समिति का बैठक रखी गई है। दिनांक-21/08/2018 जिसमें आप लोगो की उपस्थिति प्रार्थनीय है।

1. श्रीमती - धनमती गुप्ता (अध्यक्ष)
2. श्री - दुर्गाचरण साव (सदस्य)
3. " अमर गुप्ता (सदस्य)
4. " रमेश गुप्ता (सदस्य)
5. श्रीमती - सुरेन्द्री गुप्ता (सदस्य) - Suneti

Principal
Govt. Naveen Colleg
Pussore, Di Raigarh

PRINCIPAL
VISHNUCHARAN GUPTA
Govt. College Pussore
District- Raigarh (C.G.)

आयोजित बैठक में निम्न बिंदुओं पर चर्चा की गई।

| क्र० | प्रस्ताव | औचित्य | हस्ताक्षर |
|---|---|---|---|
| ① | स्वशासी/विभिन्न पंजीयन शुल्क रसीद एवं रसीद की छपाई | पंजी० शुल्क, रसीद छपाई व्यय की जाती है। | [signature] |
| ② | सभी कक्षाओं में ग्रीन बोर्ड उपयोग करने क्रय सम्बन्धी | ब्लैक बोर्ड की स्थिति सभी कक्षाओं ठीक नहीं है। | [signature] |
| ③ | मुख्य परीक्षा व्यवस्था संचालित करने (कूलर) क्रय के संबंध में | बैठक व्यवस्था अनुसार अति-आवश्यक है। | [signature] |
| ④ | विविध कार्यक्रम संचालन (साउंड सिस्टम) क्रय करने | महाविद्यालयीन सांस्कृतिक कार्यक्रमों हेतु अनिवार्य है। | |
| ⑤ | बैठक व्यवस्था हेतु मेज खरीदने | विभिन्न सामू० साहित्यिक हेतु जरूरत। | |
| ⑥ | प्रयोगशाला कक्ष सुधार एवं N.C.C. कक्ष की व्यवस्था | प्रायोगिक कक्षाओं हेतु प्रायोगिक कक्ष की आवश्यकता है। | |
| ⑦ | समाचार पत्र / पेपर स्टैण्ड की व्यवस्था | अतिरिक्त समय पर जरूरी है। | |

[signatures]

Principal
Govt. Naveen College
Pussore, Dist. Raigarh (C.G.)

PRINCIPAL
VISHNUCHARAN GUPTA
Govt. College Pussore
District- Raigarh (C.G.)

# बैठक

दिनांक - 30/07/21

आज दिनांक - 30/07/21 को वि० च० गुप्ता शास० महा० पुसौर में अपरान्ह 1:00 बजे महाविद्यालयीन अधि०/कर्म० एवं जनभागीदारी समिति नव नियुक्ति श्री किशोर कसेर 'अध्यक्ष' जी के उपस्थिति में एक आवश्यक बैठक रखी गई जिसमें कार्यालय कलेक्टर रायगढ़ रायगढ़ (छ० ग०) के आदेश पृष्ठक्र० 89/ज० भा० स०/2020 के परिपालन में जनभागीदारी समिति की सदस्य नामजद करने पर विचार-विमर्श की गई।

श्री किशोर कसेर अध्यक्ष महोदय द्वारा सदस्यों को चयन समयावधि में पूर्ण कर जनभागीदारी समिति की गठन करने सहमति प्रदान की गई।

Vishnu Charan Gupta Govt. College
Pussore, Dist.- Raigarh(C.G.)

अध्यक्ष
जनभागीदारी समिति
वि.च.गु.शास. महाविद्यालय पुसौर
जिला-रायगढ़ (छ.ग.)

PRINCIPAL
VISHNUCHARAN GUPTA
Govt.College Pussore
District- Raigarh (C.G.)

(4)

दिनांक-03/08/21

श्री किशोर कसेर अध्यक्ष जनभागीदारी समिति वि०च०गु० शास० महा० पुसौर जी द्वारा सामान्य परिषद में सदस्य नामांकन करने की सूची -

| कण्डिका क्र. | कण्डिका | सदस्य | मो० नं० |
|---|---|---|---|
| 05 | प्रदेश में उच्च शिक्षा के उत्पाद का उपयोग करने वाले स्थानीय संगठन उद्योग स्थानीय संस्थाओं दान दाताओं कृषकों एवं पोषक शालाओं के प्रतिनिधि | 1. श्री लक्ष्मी चौहान | 7024597509 |
| | | 2. " मुकेश महाणा | 9179246060 |
| | | 3. " दधिवामन साव | 9993221835 |
| | | 4. " बैकुण्ठ गुप्ता | 9630370760 |
| | | 5. " लक्ष्मण साव | 9752317262 |
| | | 6. " रोहित कु पटेल प्राचार्य | 6261198476 |
| 06 | अभिभावकों के प्रतिनिधि | 1 श्रीमती उमा गुप्ता | 7389479912 |
| | | 2 श्री कीर्ति सिदार | 7804084658 |
| | पूर्व छात्रों के प्रतिनिधि | 1. श्री दीपक पटेल | 9131261656 |
| | | 2. " लोकेश सिदार | 9131277817 |
| 07. | ST SC एवं OBC के सदस्य (यदि अन्य श्रेणी में ना आये हो तो) | इनके सदस्य उपरोक्त कण्डिकाओं में शामिल हैं - | |
| 08 | महिला अभिभावक | 1 श्रीमती सिकवाईसारथी | 6263443089 |

स्थान - पुसौर

दिनांक - 03/08/2021

PRINCIPAL
VISHNUCHARAN GUPTA
Govt. College Pussore
District- Raigarh (C.G.)

Principal
Vishnu Charan Gupta Govt. College

अध्यक्ष
जनभागीदारी समिति
वि.च.गु.शास.महाविद्यालय पुसौर
जिला-रायगढ़ (छ.ग.)

जनभागीदारी समिति

सामान्य परिषद् का गठन -(2020-21)

| स०क्र० | नाम | | पद |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | श्री किशोर कसेर | पार्षद | अध्यक्ष |
| 2 | तहसीलदार पुसौर | कलेक्टर प्रतिनिधि - | उपाध्यक्ष |
| 3 | श्री - अभिमन्यु साहू | सांसद प्रतिनिधि - | सदस्य |
| 4 | " रोहित पटेल | विधायक प्रतिनिधि - | सदस्य |
| | श्री - लक्ष्मी चौहान | स्थानीय संगठन | सदस्य |
| | श्री - मुकेश महाणा | उद्योग | सदस्य |
| 05 | श्री - दधिबामन साव | दान-दाता | सदस्य |
| | श्री - वैकुण्ठ गुप्ता | कृषक | सदस्य |
| | श्री - लक्ष्मण साव | स्थानीय संस्था | सदस्य |
| | श्री - रोहित कु. पटेल (प्रा.) | पोषक शाला प्रतिनिधि | सदस्य |
| | श्रीमती उमा गुप्ता | अभिभावक प्रतिनिधि | सदस्य |
| 06 | श्री - कीर्तन सिदार | अभिभावक प्रतिनिधि | सदस्य |
| | श्री दीपक पटेल | पूर्व छात्र | सदस्य |
| | श्री - लोकेश सिदार | पूर्व छात्र | सदस्य |
| 07. | ST, SC एवं OBC प्रतिनिधि | इनके सदस्य उपरोक्त कण्डिकाऽ में शामिल हैं | - |
| 08 - | श्रीमती सिक्काबाई सारथी | महिला अभिभावक | सदस्य |
| 09 | यू.जी.सी. द्वारा मनोनीत सदस्य | | - |
| 10 | डॉ. एल. एल. सोनवाने | प्राचार्य | सदस्यसचिव |

प्राचार्य एवं सचिव

Principal

Vishnu Charan Gupta Govt. Colleg

Pussore, Dist.- Raigarh(C.G.)

PRINCIPAL

VISHNUCHARAN GUPTA

Govt.College Pussore

District- Raigarh (C.G.)

बैठक

दिनांक-10/08/2021

आज दिनांक 10.08.2021 को वि.च.गु. शासकीय महाविद्यालय पुसौर के जनभागीदारी समिति की बैठक प्राचार्य कक्ष में आयोजित की गई।

अध्यक्ष महोदय की अनुमति से बैठक में निम्न बिन्दुओं पर चर्चा की गई एवं सहमति प्रदान की गई :-

1. सत्र 2021-22 में विगत वर्षों की भाँति महाविद्यालय में प्रवेश लेने वाले प्रत्येक विद्यार्थी से जनभागीदारी शुल्क के रूप में रु 300/- (तीन सौ रुपये) लिया जावे।

2. वर्तमान भवन एवं कैंपस के नियमित रख-रखाव एवं मरम्मत कार्य हेतु आवश्यक राशि जनभागीदारी शुल्क से प्राप्त राशि से आवंटित किया जाए।

निम्न कार्यों की स्वीकृति एवं भुगतान हेतु सहमति प्रदान की जाती है -

| | | |
|---|---|---|
| (a) | रंगाई-पोताई हेतु श्रमिक भुगतान | - 11,000.00 |
| (b) | मोटर पंप मरम्मत कार्य | - 6910.00 |
| (c) | बजरी क्रय | - 4000.00 |
| | कुल | 21,910.00 |

(रुपये इक्कीस हजार नौ सौ दस मात्र)

उक्त राशि का भुगतान वर्तमान सत्र में प्रवेश पश्चात् प्राप्त जनभागीदारी शुल्क से व्यय किया जावे।

लक्ष्मण साव

उमा गुप्ता

सिकबाई सारथी

मुकेश महाना

हृषिकेश साव

PRINCIPAL
VISHNUCHARAN GUPTA
Govt.College Pussore
District- Raigarh (C.G.)

अध्यक्ष
जनभागीदारी समिति
वि.च.गु.शास.महाविद्यालय पुसौर

Vishnu Charan Gupta Govt. Colle
Pussore, Dist.- Raigarh(C.G.)

बैठक

दिनांक - 08/09/2022

आज दिनांक 08/09/2022 को वि०च०गु० शास० महा० पुसौर के जनभागीदारी समिति की बैठक प्राचार्य कक्ष में आयोजित की गई।-

अध्यक्ष महोदय की अनुमति से बैठक में निम्न बिन्दुओं पर चर्चा की गई - एवं सहमति प्रदान की गई।

1. जनभागीदारी समिति के द्वारा महाविद्यालय के नवीन भवन हेतु चौकीदार की व्यवस्था करना।
2. नैक मूल्यांकन की पूर्व तैयारी हेतु आवश्यक खर्च बाबत
3. अंशकालीन स्वीपर की व्यवस्था बाबत।

1. शासन द्वारा इस महाविद्यालय के लिए चौकीदार का एक पद स्वीकृत है एवं वर्तमान में रिक्त है। सुरक्षा की दृष्टिकोण से एक चौकीदार की नियुक्ति आवश्यक है→

अतः यह निर्णय लिया गया कि जब-तक शासन से चौकीदार की पूर्णकालिक स्थायी नियुक्ति नहीं हो जाती है। तब तक के लिए अस्थायी रूप से चौकीदार की नियुक्ति जनभागीदारी मद से - 5000/- (पाँच हजार रूपये) प्रतिमाह पर कर लिया जावे।

2. सत्र- 2022-23 में इस महाविद्यालय का नैक मूल्यांकन होना है इस हेतु आवश्यक अधोसंरचना एवं अन्य सुविधाओं हेतु शासन से पत्र व्यवहार किया जा रहा है।

समय की कमी को देखते हुए नवीन भवन में साज-सज्जा एवं अन्य आवश्यक खर्च हेतु महाविद्यालय के पदेन प्राचार्य को प्रथम चरण में 2,00,000/- रु- दो लाख- रुपये खर्च करने हेतु अधिकृत किया जाता है। कार्य पश्चात समिति से अनुमोदन करवा लिया जावेगा। उक्त राशि के अलावा आवश्यकतानुसार व्यय किये जाने की सहमति प्रदान की जाती है।

PRINCIPAL
VISHNUCHARAN GUPTA
Govt. College Pussore

3. महाविद्यालय भवन के सभी बाथरूम एवं शौचालय की साफ-सफाई व रख रखाव हेतु एक स्वीपर अंशकालीन नियुक्ति कर ली जाए जो प्रति-दिन साफ-सफाई का कार्य

(7)

लक्ष्मणसाव

उमा गुप्ता उमा गुप्ता

सिकबाई सारथी सिकबाई

मुकेश महाणा Mukesh

दधिवामन साव

अध्यक्ष
जनभागीदारी समिति
वि.च.गु.शास.महाविद्यालय पुसौर
जिला–रायगढ़ (छ.ग.)

Principal
Vishnu Charan Gupta Govt. College
Pussore, Dist.- Raigarh(C.G.)

for PRINCIPAL
VISHNUCHARAN GUPTA
Govt.College Pussore
District- Raigarh (C.G.)

अध्याय 2

# रिक्त पदों पर नियुक्ति

शासकीय सेवा में भर्ती हेतु रिक्त पद शैक्षणिक योग्यता और अन्य प्रावधान तथा जारी शासन आदेश निम्नानुसार हैं-

## (1) नियुक्ति-

शासकीय सेवा में नियुक्ति, संबंधित सेवा के भरती नियम के अन्तर्गत होती है। सामान्यतः राजपत्रित अधिकारी की नियुक्ति राज्य शासन द्वारा तथा अन्य सेवाओं में पद अनुसार नियुक्ति, नियुक्ति अधिकारी करता है।

**गलत जानकारी देकर नियुक्ति पाना-** यदि कोई व्यक्ति गलत जानकारी देकर उसके आधार पर नियुक्ति पाता है, और वह बाद में शासन को ज्ञात होती है, तो ऐसे व्यक्ति यदि अस्थाई या परिवीक्षाधीन हो तो तत्काल सेवा से मुक्त कर दिया जा सकता है, परन्तु यदि वह उस पद पर स्थायी हो गया हो, तो उसके विरुद्ध विभागीय जांच संस्थापित कर उसे पदच्युत किया जावेगा तथा ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध अभियोजन भी चलाया जा सकता है।

## (2) शासकीय सेवा में नियुक्ति हेतु प्राथमिकता-

छ.ग. शासन सामान्य प्रशासन विभाग के पत्र क्र. 730/1182/1/(3)/73 दिनांक 29-11-73 सहपठित क्र.सी. 3/29/81/8/1 दिनांक 11-11-91 द्वारा नियुक्ति के लिए प्राथमिकता क्रम निम्नानुसार निर्धारित किया गया है, यथा

**(1) A1** वर्ष 1962 एवं पश्चात् के भारत के विरुद्ध हुए युद्ध में अपंग हुए सैनिक

**(2) A2** वर्ष 1962 एवं पश्चातवर्ती भारत के विरुद्ध हुए युद्ध में मृत सैनिकों के परिवार के आश्रित व्यक्ति

नोट- एक परिवार में अधिकतम दो आश्रित व्यक्ति नियुक्त हो सकते हैं।

**(3) A3** भूतपूर्व सैनिकों को।

**(3. A-B)** निर्वाचन कार्यालय के अतिशेष कर्मचारी

**(4) B1** अतिशेष कर्मचारी, बंधक मजदूर, भूमि सैनिक (जनगणना एवं निर्वाचन के कर्मचारी सम्मिलित हैं इनमें जनगणना के अतिशेष कर्मचारियों को प्राथमिकता दी जावेगी।

**(4-A)B1** नर्मदा घाटी- परियोजना में डूब से प्रभावित विस्थापित परिवार के एक सदस्य को।

**(5) B2** विकलांग व्यक्ति।

**(6) B3** कार्यभारित या आकस्मिक निधि से वेतन पाने वाले कर्मचारी।

**(7) C1** राष्ट्रीय छात्र सेना के डी. एवं सी. प्रमाण पत्र धारी उम्मीदवार को।

**(8) C2** बर्मा और सीलोन से आये भारतीय नागरिकों को।





नोट- छ.ग. शासन सामान्य प्रशासन विभाग के पत्र क्र.सी. /3/102/92/3/1 दिनांक 2-1-93 द्वारा नक्सलवादियों से पीड़ित परिवारों के पुनर्वास को दृष्टिगत रखते हुए यह निर्णय लिया है कि ऐसे परिवारों के पुत्र-पुत्रियों को शासकीय सेवा में भरती के समय प्राथमिकता दी जाये जिनके सदस्य नक्सलवादियों के हाथों मारे गये हों या गम्भीर रूप से घायल हुए हों।

**युद्ध अथवा सैनिक कार्यवाही के शहीद सैन्य अधिकारियों/सैनिकों के आश्रितों को राज्य शासन द्वारा घोषित सुविधाएं उपलब्ध कराने के संबंध में शासकीय सेवा में विशेष नियुक्ति।**

**संदर्भ :** सामान्य प्रशासन विभाग का समसंख्यक परिपत्र दिनांक 11-10-2001।

गृह (सामान्य) विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ 31-17/99/दो-ए (3) दिनांक 15-03-2000 द्वारा युद्ध अथवा सैनिक कार्यवाही में शहीद होने वाले सैनिकों के परिजनों को वित्तीय एवं अन्य सहायता उपलब्ध कराने के निर्देश जारी किए गए हैं, जिसकी कंडिका 1 (ब) में अर्द्ध सैनिक बलों का भी उल्लेख है।

2. गृह (सामाय) विभाग के उपरोक्त परिपत्र के अनुक्रम में युद्ध अथवा सैनिक कार्यवाही में शहीद हुए छत्तीसगढ़ के मूल निवासी सैन्य अधिकारियों/सैनिकों के परिवार के एक सदस्य को शासकीय सेवा में विशेष नियुक्ति देने संबंधी निर्देश सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र दिनांक 11-10-2001 द्वारा जारी किए गए हैं। शासन के ध्यान में लाया गया है कि इस परिपत्र में अर्द्ध सैनिक बलों का उल्लेख न होने के कारण युद्ध अथवा सैन्य कार्यवाही में शहीद/विकलांग अर्द्धसैनिक बलों के सैनिकों के परिजनों को विशेष अनुकंपा नियुक्ति का लाभ नहीं मिल रहा है।

3. अतः यह स्पष्ट किया जाता है कि सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र दिनांक 11-10-2001 द्वारा जारी प्रावधान सैन्य अधिकारियों/सैनिकों के साथ-साथ अर्द्ध सैनिक बलों के सैनिकों के शहीद परिवारों के परिजनों के लिए भी लागू होंगे।

4. शासन के ध्यान में यह भी लाया गया है कि उपरोक्त श्रेणी के विशेष नियुक्ति के प्रकरण विभागों/कार्यालयों में प्राप्त होने पर उनका त्वारित निराकरण नहीं किया जाता है। अतः पुनः निर्देशित किया जाता है कि युद्ध अथवा सैनिक कार्यवाही में शहीद हुए छत्तीसगढ़ के मूल निवासी सैन्य अधिकारी/सैनिकों/अर्द्ध सैनिक बलों के सैनिकों के आश्रित सदस्यों से आवेदन पत्र प्राप्त होने पर उन्हें शासन के नियमानुसार नियुक्ति देने के संबंध में प्राथमिकता के आधार पर कार्यवाही की जावें। साथ ही प्रत्येक माह की 5 तारीख तक इसका प्रतिवेदन सामान्य प्रशासन विभाग (आरक्षण प्रकोष्ठ) एवं गृह (सामान्य) विभाग को प्रेषित किया जावे।

5. कृपया उपरोक्त निदेशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित कराया जाए।

**भर्ती हेतु परीक्षा-** अनुभव, शारीरिक नाप जो पद के लिए आवश्यक होता है, वह नियुक्ति नियम में रहता है तथा पद की भर्ती हेतु जारी सूचना-पत्र में दिया रहता है। पद के लिए परीक्षा तथा साक्षात्कार भी सामान्यतः होता है।

Principal
Vishnu Charan Gupta Govt. College
Pussore, Dist.- Raigarh(C.G.)

## (3) छ.ग. सिविल सेवा की सामान्य शर्तें, 1961

**विषयः राज्य शासन की छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1961 में संशोधन।**

छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1961 के नियम 8 के उप-नियम (1) में संशोधन किया गया है। उक्त संशोधन के संबंध में राजपत्र (असाधारण) में प्रकाशित अधिसूचना क्रमांक एफ 1-1/2017/1-3 दिनांक 28 जुलाई, 2020 की छायाप्रति आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न प्रेषित है।

2. उक्त संशोधन के फलस्वरूप शासन के समस्त विभागों के भर्ती नियमों में भी संशोधन की आवश्यकता होगी। अतः समस्त विभागों के भर्ती नियम में जब तक विभागों द्वारा अपने-अपने भर्ती नियमों में संशोधन की कार्यवाही पूर्ण नहीं कर ली जाती है, तब तक समस्त विभागों के भर्ती नियम यथा आवश्यक स्वमेव संशोधित माने जायेंगे।

**संलग्न :- उपरोक्तानुसार**

**सामान्य प्रशासन विभाग**
**मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर अटल नगर**
**अटल नगर, दिनांक 28 जुलाई 2020**
**अधिसूचना**

क्रमांक एफ 1-1/2017/1/3- भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, छत्तीसगढ़ के राज्यपाल, एतद्द्वारा, छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1961 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :-

**संशोधन**

उक्त नियमों में,-

नियम 8 के उप-नियम (1) के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात्:-

"(1) किसी सेवा या पद पर सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त किसी भी व्यक्ति को, प्रथमतः 3 वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर रखा जायेगा।"

[छ.ग.शा.सा.प्र.वि. क्रमांक एफ 1-1/2017/1-3, दिनांक 29/07/2020]

**संबंधित विभागों में लागू सीधी भर्ती नियमों के प्रावधान अनुसार**

## (4) लोक सेवाएं तथा पद-

राज्य सरकार का या तत्समय प्रवृत्त राज्य के किसी अधिनियम के अधीन गठित किसी स्थानीय प्राधिकरण या कानूनी प्राधिकरण का या किसी विश्वविद्यालय का या किसी ऐसी कंपनी, निगम या किसी सहकारी सोसाइटी का, जिसमें समादत्त अंशपूंजी का कम से कम इक्यावन प्रतिशत राज्य सरकार द्वारा धारित है या किसी संस्था का जो राज्य सरकार से सहायता अनुदना या नगद अनुदान प्राप्त कर रही है, कोई कार्यालय और उसके अन्तर्गत ऐसा स्थापन आता है जिसमें कार्यभारित या आकस्मिकता निधि से भुगतान किया जाता है, और ऐसा स्थापन जिसमें आकस्मिक नियुक्तियां की जाती हैं, के स्थापन के किसी कार्यालय में की सेवाएं तथा पद।

## (5) लोक सेवक

लोक सेवक में शामिल हैं-

(1) कोई व्यक्ति, जो सरकार की सेवा या उसके वेतन पर है या किसी लोक कर्तव्य के पालन के लिए सरकार से फीस या कमीशन के रूप में पारिश्रमिक पाता है,

(2) कोई व्यक्ति, जो किसी लोक प्राधिकरण की सेवा या उसके वेतन पर है,

(3) कोई व्यक्ति, जो किसी केन्द्रय, प्रान्तीय या राज्य अधिनियम द्वारा या उसके अधीन स्थापित निगम या सरकार के स्वामित्व या नियंत्रण के अधीन या सरकार से सहायता प्राप्त किसी प्राधिकरण निकाय या कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 617 में यथापरिभाषित किसी सरकारी कंपनी की सेवा या उसके वेतन पर है,

(4) कोई न्यायाधीश, जिसके अन्तर्गत ऐसा कोई व्यक्ति है जो किन्हीं न्याय निर्णयन कृत्यों का, -स्वयं या किसी व्यक्ति के निकाय के सदस्य के रूप में, निर्वहन करने के लिए विधि द्वारा सशक्त किया गया है,

(5) कोई व्यक्ति, जो न्याय प्रशासन के संबंध में किसी कर्तव्य का पालन करने के लिए न्यायलय द्वारा प्राधिकृत किया गया है, जिसके अन्तर्गत किसी ऐसे न्यायालय द्वारा नियुक्त किया गया परिसमापक, -या आयुक्त है,

(6) कोई मध्यस्थ या अन्य व्यक्ति, जिसको किसी न्यायालय द्वारा या किसी सक्षम लोक अधिकरण द्वारा कोई मामला या विषय, विनिश्चय या रिपोर्ट के लिए निर्देशित किया गया है,

(7) कोई व्यक्ति, जो किसी ऐसे पद को धारण करता है, जिसके आधार पर वह निर्वाचन सूची तैयार करने, प्रकाशित करने, बनाये रखने या पुनरीक्षित करने अथवा निर्वाचन या निर्वाचन के भाग का संचालन करने के लिए सशक्त है,

(8) कोई व्यक्ति, जो ऐसे पद को धारण करता है जिसके आधार पर किसी लोक कर्तव्य का पालन करने के लिए प्राधिकृत्त या अपेक्षित है,

(9) कोई व्यक्ति, जो कृषि, उद्योग, व्यापार या बैंककारी में लगी हुई किसी ऐसी रजिस्ट्रीकृत सोसाइटी का अध्यक्ष, सचिव या अन्य पदधारी है, जो केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार या किसी प्रान्तीय या राज्य अधिनियम द्वारा या उसके अधीन स्थापित किसी निगम से या सरकार के स्वामित्व या नियंत्रण के अधीन या सरकार से सहायता प्राप्त किसी प्राधिकरण या निकाय से या कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 617 में यथापरिभाषित किसी सरकार कंपनी से कोई वित्तीय सहायता प्राप्त कर रही है या कर चुकी है,

(10) कोई व्यक्ति, जो किसी सेवा आयोग या बोर्ड का, चाहे वह किसी भी नाम से ज्ञात हो, अध्यक्ष, सदस्य या कर्मचारी या ऐसे आयोग या बोर्ड की ओर से किसी परीक्षा का संचालन करने के लिए या उसके द्वारा चयन करने के लिए नियुक्त की गई किसी चयन समिति का सदस्य है,

(11) कोई व्यक्ति, जो किसी विश्वविद्यालय का कुलपति, उसके किसी शासी निकाय का सदस्य,आचार्य, उपाचार्य, प्राध्यापक या कोई अन्य शिक्षक या कर्मचारी है,

Principal
Vishnu Charan Gupta Govt. College
Pussore, Dist.- Raigarh(C.G.)

चाहे वह किसी भी पदाभिनाम से ज्ञात हो, और कोई व्यक्ति जिसकी सेवाओं का लाभ विश्वविद्यालय द्वारा या किसी अन्य लोक निकाय द्वारा परीक्षाओं के आयोजन या संचालन के संबंध में लिया गया है,

(12) कोई व्यक्ति, जो किसी भी रीति में सथापित किसी शैक्षिक, वैज्ञानिक, सामाजिक या अन्य संस्था का, जो केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार या किसी स्थानीय या अन्य प्राधिकरण से वित्तीय सहायता प्राप्त कर रही है या कर चुकी है, पदधारी या कर्मचारी है।

## (6) "शासकीय सेवक" कौन?

(i) वह व्यक्ति, जो राज्य के अधीन किसी सेवा का सदस्य है या कोई सिविल पद धारण कर रहा हो। इसमें वह व्यक्ति भी शामिल है, जो बाह्य सेवा में है या जिसकी सेवाएं केन्द्र सरकार या अन्य राज्य सरकार को सौंपी गई हैं।

(ii) वह व्यक्ति, जो भारत सरकार या किसी अन्य राज्य सरकार के अधीन किसी सेवा का सदस्य हो या कोई सिविल पद धारण करता हो, या तथा जिसकी सेवाएं राज्य सरकार के अधीन अस्थाई रूप से सौंपी गई हों।

(iii) वह व्यक्ति, जो किसी स्थानीय निकाय या प्राधिकारी की सेवा का हो तथा उसकी सेवाएं राज्य सरकार के अधिकार में अस्थायी रूप से सौंपी गई हैं।

तात्पर्य यह है कि शासकीय सेवक ऐसा व्यक्ति है जो राज्य सरकार या केन्द्र सरकार की सेवा में सिविल कार्यों के लिए नियुक्त किया गया है और उसे संचित निधि (Consolidated Fund) से वेतन दिया जाता है।

## (7) "कार्यालय प्रमुख" (परिभाषा)

कार्यालय प्रमुख से आशय स्थानीय कार्यालय के ऐसे राजपत्रित प्रभारी अधिकारी से हैं, जिसे सक्षम अधिकारी द्वारा कार्यालय प्रमुख घोषित किया गया है। इसके पास आहरण एवं संवितरण के अधिकार भी रहते हैं। [छ.ग. वित्त संहिता जिल्द-एक, नियम 2 (23)]

**टिप्पणी-** छ.ग. वित्तीय शक्ति पुस्तिका, 1995 भाग-1 के खण्ड-1 के सरल क्रमांक 3 के अनुसार कार्यालय प्रमुख घोषित करने की शक्ति शासन के प्रशासकीय विभाग को प्रदत्त है।

(2) छ.ग. कोषालय संहिता भाग-1 के सहायक नियम 125 के अनुसार मूल आहरण एवं वितरण अधिकारी अपने ये अधिकार अपने अधीनस्थ किसी अन्य राजपत्रित अधिकारी को सौंप सकता है।

## (8) राज्य की लोक सेवाओं का वर्गीकरण

छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (सेवा की समान्य शर्तें) नियम, 1961 के नियम 4 के अनुसार राज्य लोक सेवाओं का वर्गीकरण निम्नानुसार है -

(एक) छत्तीसगढ़ सिविल सेवा प्रथम श्रेणी, (दो) छत्तीसगढ़ सिविल सेवा द्वितीय श्रेणी, (तीन) (क) छत्तीसगढ़ सिविल सेवा तृतीय श्रेणी (अलिपिक वर्गीय), (ख) छत्तीसगढ़



सिविल सेवा तृतीय श्रेणी (लिपिक वर्गीय), (चार) छत्तीसगढ़ सिविल चतुर्थ श्रेणी।

## (9) नियुक्ति के लिए अपात्रता

छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (सेवा की समान्य शर्तें) नियम, 1961 के नियम 6 के अनुसार शासकीय सेवा में नियुक्ति लिए निम्नलिखित उम्मीदवार अपात्र होंगे-

(1) पुरुष उम्मीदवार जिसकी एक से अधिक पत्नियां जीवित हों। इसी प्रकार महिला उम्मीदवार जिसने किसी ऐसे व्यक्ति से विवाह किया हो जिसकी पहले से ही एक पत्नी जीवित हो। ऐसे मामले में शासन ही अन्यथा निर्णय ले सकता है। अर्थात् यदि शासन का इस बात से समाधान हो जाए कि ऐसा करने का पर्याप्त कारण है, तो वह इस प्रतिबंध से छूट दे सकता है।

(2) जो शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं पाया जाए।

(3) जिसे महिलाओं के विरूद्ध किसी अपराध का सिद्ध दोष ठहराया गया हो।

(4) जिसने विवाह के लिए विहित की गई न्यूनतम आयु से पूर्व विवाह कर लिया हो।

(5) जिसकी दो से अधिक सन्तान हैं, जिनमें से एक का जन्म 26 जनवरी, 2001 को या उसके पश्चात् हुआ है, [1][परन्तु निरर्हित नहीं होगा यदि एक संतान के जीवित रहते आगामी प्रसव में दो या दो से अधिक संतान का जन्म होता है।]

## (10) भरती का तरीका

(एक) सीधी भरती के द्वारा (लोक सेवा आयोग के माध्यम से या कनिष्ठ सेवा मंडल (व्यापम), माध्यम से या रोजगार कार्यालय से नाम बुलाकर या सीधे विज्ञापन देकर,

(दो) पदोन्नति द्वारा

(तीन) किसी अन्य सेवा या पद पर पहले से ही नियोजित किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के स्थानान्तरण द्वारा।

[छ.ग. सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1961 नियम 7]

**टिप्पणी-** केवल अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति के मामले में रोजगार कार्यालय में पंजीयन संबंधी शर्त से छूट प्राप्त है।

## (11) महिला उम्मीदवारों को आयु सीमा में विशेष छूट

(i) छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (महिलाओं की नियुक्ति हेतु विशेष उपबंध) नियम, 1997 के नियम 4 के अनुसार महिला उम्मीदवारों को अधिकतम आयु सीमा में 10 वर्ष की और छूट प्राप्त है।

(ii) विधवा, परित्यक्ता एवं तलाकशुदा महिला उम्मीदवारों के लिए अधिकतम आयु सीमा 30 के स्थान पर 35 वर्ष नियत है। तलाकशुदा महिला को तलाक के संबंध में

1. परन्तुक सामान्य प्रशासन विभाग क्र. सी-3-8-2006-3-एक, दिनांक 5-7-2006 द्वारा जोड़ा गया।

Principal
Vishnu Charan Gupta Govt. College
Pussore, Dist.- Raigarh(C.G.)

न्यायालय या जाति रिवाज के अनुसार प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा तथा परित्यक्ता महिला को राजस्व अधिकारी जो तहसीलदार स्तर से कम का न हो, का इस आशय का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा कि संबंधित महिला को विवाह के पश्चात् उसके पति ने औपचारिक रूप से तलाक प्राप्त किये बिना छोड़ दिया है और उसे उसके पति से कोई गुजारा भत्ता भी प्राप्त नहीं हो रहा है।

[सामान्य प्रशासन विभाग क्रमांक सी-3-11/84/3/1, दिनांक 24.4.1984 तथा क्रमांक सी-3-25/88/3/49, दिनांक 29.3.1989]

## (12) अनुकम्पा नियुक्ति के मामले में अधिकतम आयुसीमा में छूट/ शिथिलीकरण

(1) दिवगंत शासकीय सेवक की विधवा, विधुर, आश्रित विधवा पुत्री एवं आश्रित तलाकशुदा पुत्री के मामले में विभागीय भरती नियम में पद के लिए निर्धारित अधिकतम आयु सीमा संबंधी प्रावदान पूर्णतः शिथिल रहेंगे।

(2) आश्रित पुत्र/अविवाहित पुत्री की अनुकम्पा नियुक्ति के मामले में अधिकतम आयु सीमा में 05 वर्ष की छूट प्राप्त होगी, किन्तु उन्हें मिलने वाली अन्य प्रकार की छूट को मिलाकर आयु सीमा 45 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

## (13) वर्ग विशेष उम्मीदवारों को विशेष छूट

(1) अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिए : 5 वर्ष

[सामान्य प्रशासन विभाग क्रमांक एफ-3-3/74/3/1, दिनांक 16.3.1974]

(2) अन्य पिछड़े वर्गों के उम्मीदवारों के लिए : 5 वर्ष

[सामान्य प्रशासन विभाग क्रमांक एफ-7-26/93/3/1, दिनांक 20.1.94]

(3) आदिम जाति, जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की अन्तर्जातीय विवाह प्रोत्साहन योजना के अन्तर्गत पुरस्तकृत दम्पत्ति के सवर्ण पार्टनर को : 5 वर्ष

[सामान्य प्रशासन विभाग क्रमांक सी-3-10/85/3/1, दिनांक 28.6.1985]

## (14) खेल पुरस्कार से सम्मानित खिलाड़ी/युवाओं को शासकीय सेवा में नियुक्ति हेतु आयु सीमा में छूट-

राज्य शासन के निर्णयानुसार शहीद राजीव पांडे पुरस्कार, गुण्डाधूर सम्मान, महाराजा प्रवीरचंद भंजदेव सम्मान प्राप्त खिलाड़ियों तथा राष्ट्रीय युवा पुरस्कार प्राप्त युवाओं को सामान्य अधिकतम आयु सीमा में पाँच वर्ष की छूट प्राप्त होगी।

[सामान्य प्रशासन विभाग क्रमांक एफ. 19-2/2005/1-3, दिनांक 1.12.2006]

## (15) शिक्षा कर्मियों को शासकीय सेवा में आवेदन करने पर आयु सीमा में छूट

शिक्षा कर्मियों को शासकीय सेवाओं में विभिन्न पदों के लिए आवेदन करने पर अधिकतम आयु सीमा में उतने वर्षों की छूट दी गई है, जितने वर्ष उसने शिक्षाकर्मी के



रूप में सेवा की है। यह छूट अधिकतम 45 वर्ष की आयु सीमा तक प्राप्थ होगी। इसके लिए 6 माह से अधिक के लिए एक वर्ष की सेवा मानी जाएगी।

इन निर्देशों से जिन वर्गों को पूर्व से ही आयु सीमा में विशेष छूट प्राप्त है, प्रभावित नहीं होगी।

[सामान्य प्रशासन विभाग क्र. एफ. 1-2/2002/1/3, दिनांक 2.6.2004]

## (16) पंचायत कर्मियों को शासकीय सेवा में आवेदन करने पर आयु सीमा में छूट

शासकीय सेवाओं में विभिन्न पदों के लिए निर्धारित अधिकतम आयु सीमा में पंचायत कर्मियों को उतने वर्ष की छूट दी गई है, जितने वर्ष उसने पंचायत कर्मी के रूप में सेवा की है। इसके लिए 6 माह से अधिक सेवा को एक वर्ष की सेवा मान्य की जा सकेगी तथा यह छूट अधिकतम 45 वर्ष की आयु की सीमा तक रहेगी।

[सामान्य प्रशासन विभाग क्र. एफ. 1-2/2002/1-3, दिनांक 10.2.2006]

## (17) सीधी भरती से नियुक्त निम्न श्रेणी लिपिकों को हिन्दी मुद्रलेखन परीक्षा उत्तीर्ण करने से छूट

निम्न श्रेणी लिपिक के पदों पर सीधी भरती से नियुक्त होने वाले उम्मीदवारों के लिए हिन्दी मुद्रलेखन की परीक्षा बोर्ड से उत्तीर्ण होना एक अनिवार्य अर्हता है। फिर भी अर्हक उम्मीदवारों के अभाव में बिना परीक्षा उत्तीर्ण उम्मीदवारों को इस शर्त के साथ नियुक्त कर लिया जाता है कि वे दो वर्ष के भीतर परीक्षा उत्तीर्ण कर लेंगे। तब तक उन्हें नियमित नियुक्त नहीं मानी जाता है और इस सेवा का उन्हें कोई लाभ प्राप्त नहीं होता है। ऐसे नियुक्त कर्मचारियों को आगे निकट भविष्य में परीक्षा उत्तीर्ण करने का अवसर दिया जाता है। सामान्य प्रशासन विभाग ने आदेश क्रमांक 44/सी-3-6/91/3/1, दिनांक 16.1.1992 जारी कर यह निर्देश दिये हैं कि अब भविष्य मे समय सीमा बढ़ाए जाने के कोई आदेश जारी नहीं किए जाएंगे। उक्त परीक्षा प्रति वर्ष आयोजित होती है। कर्मचारी उसमें शामिल होकर परीक्षा उत्तीर्ण करें। यदि नहीं कर सकेंगे तो वे अपने वेतनमान का न्यूनतम वेतन ही प्राप्थ करते रहेंगे। उत्तीर्ण होने पर उन्हें नियमित नियुक्त मान लिया जायेगा और वेतन वृद्धि उन्हें देय हो जाएगी। इसी प्रकार सामान्य प्रशासन विभाग के अदेश क्रमांक सी-2-35/84/3 व1, दिनांक 15.11.1984 के अनुसार यदि ऐसे लिपिकों की आयु 40 वर्ष की हो जाए तो उन्हें परीक्षा उत्तीर्ण करने से छूट दे दी गई है।

## (18) जनगणना कर्मचारियों के लिए आयु सीमा में विशेष छूट

वर्ष 1991 एवं 2001 की जनगणना के कर्मचारियों को शासकीय सेवा में सीधी भर्ती से रिक्त पदों पर नियुक्ति होने पर 45 वर्ष तक की आयु सीमा में छूट दी गई थी अब उसे बढ़ाकर 50 वर्ष कर दिया गया है। [सामान्य प्रशासन विभाग क्रमांक एफ. 7-22/2004/1/3, दिनांक 6.8.08]

Principal
Vishnu Charan Gupta Govt. College
Pussore, Dist.- Raigarh(C.G.)

## (19) उत्कृष्ट खिलाड़ियों को आयु सीमा में छूट

सामान्य प्रशासन विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ. 6-10/2004/1-9, दिनांक 18 अक्टूबर, 2007 सहपठित दिनांक 16.1.2008 एवं 17 दिसम्बर 2009 द्वारा **'छत्तीसगढ़ उत्कृष्ट खिलाड़ियों को शासकीय सेवा में नियुक्त करने की नीति 2007'** बनाई गई है। जिसमें उत्कृष्ट खिलाड़ियों को शासकीय सेवा में सीधे ही नियुक्त करने की नीति/प्रक्रिया/ मापदण्ड निर्धारित की गई है। ऐसे घोषित उत्कृष्ट खिलाड़ी को शासकीय सेवा में नियुक्ति हेतु सामान्य अधिकतम आयु सीमा में पाँच वर्ष की छूट दी गई है। यह सुविधा/प्रक्रिया छत्तीसगढ़ शासन के अधीन निगम, मण्डल, सार्वजनिक उपक्रमों आदि के पदों के संदर्भ में लागू होगी।

(उपरोक्त अधिसूचना सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापन क्रमांक एफ 6-10/2004/ 1-9, दिनांक 6 जुलाई 2010 द्वारा प्रसारित)

## (20) परिवीक्षा पर नियुक्ति

(1) जब किसी व्यक्ति को किसी सेवा या पद पर सीधी भरती से नियुक्त किया जाए तो उसे साधारणतः ऐसी कालावधि के लिए परिवीक्षा पर रखा जाएगा, जैसी कि सेवा के भरती नियमों में विहित है।

(2) नियुक्ति प्राधिकारी पर्याप्त कारणों के आधार पर परिवीक्षाकाल की अवधि को बढ़ा सकते हैं, किन्तु एक वर्ष से अधिक नहीं।

(3) परिवीक्षक को उसके परिवीक्षाकाल में ऐसे प्रशिक्षण में जाना होगा तथा विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण करना होगी, जैसी, जैसा सेवा भरती नियमों में विहित है।

(4) परिवीक्षक की सेवाएं परिवीक्षाकाल में समाप्त भी की जा सकती हैं, यदि नियुक्तिकर्ता प्राधिकारी के विचार में वह उपयुक्त न पाया जाए।

(5) परिवीक्षक की सेवाएं जिसने विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण नहीं की है या जो उस सेवा या पद के लिए अनुपयुक्त पाया जाए, परिवीक्षाकाल के अंत में समाप्त भी की जा सकती है।

[छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1961 का नियम 8]

**विषयः- सीधी भर्ती के पदों पर 3 वर्ष की परिवीक्षा अवधि में नियुक्त किये जाने बाबत्।**

वर्तमान में प्रचलित व्यवस्था में सीधी भर्ती से नियुक्त शासकीय सेवकों को सामान्यतः वेतनमान के न्यूनतम पर 2 वर्ष की परिवीक्षा पर नियुक्त किया जाता है। अब राज्य शासन द्वारा विचारोपरांत निर्णय लिया गया है कि समस्त श्रेणियों के कर्मचारियों की सीधी भर्ती के समस्त पदों, जिसमें लोक सेवा आयोग द्वारा चयन परीक्षा ली जाने वाली ऐसी सभी सेवाओं के पद भी सम्मिलित हैं, के लिए छत्तीसगढ़ मूलभूत नियम 22 सी (1) में शासकीय सेवा में सीधी भर्ती के पद पर 3 वर्ष की परिवीक्षा पर रखे जाने एवं परिवीक्षाधीन अवधि पर नियुक्त सेवकों को प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय वर्ष में क्रमशः उस पद के वेतनमान के न्यूनतम का 70%, 80% एवं 90% राशि स्टायपेण्ड के रूप में दिया जाये। परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूर्ण करने पर वेतनमान के न्यूनतम पर वेतन नियत किया जाये।

Principal
Vishnu Charan Gupta Govt. College
Pussore, Dist.- Raigarh(C.G.)



2. राज्य शासन द्वारा यह भी निर्णय लिया गया है कि शासकीय विभागों/कार्यालयों के साथ-साथ सभी निगम/मंडल/आयोग/प्राधिकरण/विश्वविद्यालय/अनुदान प्राप्त-स्वशासी संस्थाओं आदि में भी सीधी भर्ती के पद पर परिवीक्षा पर रखे जाने की अवधि में और परिवीक्षा में देय राशि के प्रावधान में उपरोक्तानुसार परिवर्तन किया जाये।

3. (1) सीधी भर्ती के पदों पर चयनित शासकीय सेवकों को 3 वर्ष की परिवीक्षा पर रखे जाने के संबंध में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक 367/वित्त/नियम/चार/2020. दिनांक 28.07.2020 का प्रकाशन छत्तीसगढ़ राजपत्र (असाधारण) दिनांक 28.07.2020 में हो चुका है।

(2) छत्तीसगढ़ मूलभूत नियम के नियम 22सी (1) में संशोधन करते हुए यह व्यवस्था की गई है कि सीधी भर्ती के पदों पर चयनित शासकीय सेवकों को तीन वर्ष की परिवीक्षा अवधि में प्रथम वर्ष उस पद के वेतनमान के न्यूनतम का 70 प्रतिशत द्वितीय वर्ष उस पद के वेतनमान के न्यूनतम का 80 प्रतिशत तृतीय वर्ष उस पद के वेतनमान के न्यूनतम का 90 प्रतिशत स्टायपेण्ड देय होगा। परन्तु परिवीक्षा अवधि में स्टायपेण्ड के साथ अन्य भत्ते शासकीय सेवक की तरह प्राप्त होंगे। परिवीक्षा अवधि की समाप्ति पर, जब वह सेवा या पद पर स्थाई किया जाता है। तब शासकीय सेवक का वेतन, उस सेवा या पद को लागू समयमान का न्यूनतम नियत किया जायेगा। सीधी भर्ती के पदों पर चयनित शासकीय सेवकों में, छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग से चयनित अभ्यर्थी की नियुक्ति भी सम्मिलित है।

(3) सामान्य प्रशासन विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 1-1/2017/1/3, दिनांक 28 जुलाई 2020 के द्वारा छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम 1961 के नियम 8 (1) संशोधित करते हुए किसी सेवा या पद पर सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त किसी भी व्यक्ति को, प्रथमतः 3 वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर रखने का प्रावधान किया गया है।

(4) वित्त विभाग और सामान्य प्रशासन विभाग की छत्तीसगढ़ राजपत्र (असाधारण) में प्रकाशित उपरोक्त अधिसूचनाओं के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित किये जाने हेतु अधिसूचनाओं की प्रति सुलभ संदर्भ हेतु संलग्न है।

4. (1) राज्य के सभी निगम/मंडल/आयोग/प्राधिकरण/विश्वविद्यालय/अनुदान प्राप्त-स्वशासी संस्थाओं आदि के लिए निम्नानुसार व्यवस्था सुनिश्चित किया जाये :-

सीधी भर्ती के पदों पर चयनित समस्त कर्मियों को तीन वर्ष की परिवीक्षा अवधि में निम्नानुसार स्टायपेण्ड देय होगा :-

प्रथम वर्ष - उस पद के वेतनमान के न्यूनतम का 70 प्रतिशत;

द्वितीय वर्ष - उस पद के वेतनमान के न्यूनतम का 80 प्रतिशत;

तृतीय वर्ष - उस पद के वेतनमान के न्यूनतम का 90 प्रतिशत;

परन्तु परिवीक्षा अवधि में स्टायपेण्ड के साथ अन्य भत्ते कार्यरत अन्य कर्मियों की तरह प्राप्त होंगे।

(ख) परिवीक्षा अवधि की समाप्ति पर, जब वह सेवा या पद पर स्थाई किया जाता है, तब कर्मी का वेतन,उस सेवा या पद को लागू समयमान का न्यूनतम नियत किया जायेगा।

(2) नियमों में आवश्यक संशोधन किये जाने के संबंध में अनुषांगिक कार्यवाही संबंधित संस्थाओं द्वारा किया जायेगा। इसके लिए आवश्यक कार्यवाही हेतु संबंधित प्रशासकीय विभागों/

संस्थाओं को अधिकृत किया जाता है।

5. यह निर्देश दिनांक 28 जुलाई, 2020 से प्रभावशील माना जायेगा।

संलग्न :- यथोपरि

**छत्तीसगढ़ राजपत्र**

**(असाधारण)**

**प्राधिकार से प्रकाशित**

**वित्त विभाग**

**मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर**

**अटल नगर, दिनांक 28 जुलाई 2020**

**अधिसूचना**

क्रमांक 367/वित्त/नियम/चार/2020- भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, छत्तीसगढ़ के राज्यपाल, एतद्द्वारा, छत्तीसगढ़ मूलभूत नियम में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :-

**संशोधन**

उक्त नियमों में,-

नियम 22 सी के उप-नियम (1) के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात् :-

"(1) (क) सीधी भर्ती के पदों पर चयनित शासकीय सेवकों को तीन वर्ष की परिवीक्षा अवधि में निम्नानुसार स्टायपेण्ड देय होगा :-

प्रथम वर्ष - उस पद के वेतनमान के न्यूनतम का 70 प्रतिशत;

द्वितीय वर्ष - उस पद के वेतनमान के न्यूनतम का 80 प्रतिशत;

तृतीय वर्ष - उस पद के वेतनमान के न्यूनतम का 90 प्रतिशत;

परन्तु परिवीक्षा अवधि में स्टायपेण्ड के साथ अन्य भत्ते कार्यरत अन्य कर्मियों की तरह प्राप्त होंगे।

(ख) परिवीक्षा अवधि की समाप्ति पर, जब वह सेवा या पद पर स्थाई किया जाता है, तब शासकीय सेवक का वेतन, उस सेवा या पद को लागू समयमान का न्यूनतम नियत किया जायेगा।

(ग) सीधी भर्ती के पदों पर चयनित शासकीय सेवकों में, छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग से चयनित अभ्यर्थी की नियुक्ति भी सम्मिलित है।"

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

**ए.के. सिंह, संयुक्त सचिव**

- - - - -

Principal
Vishnu Charan Gupta Govt. College
Pussore, Dist. Raigarh (C.G.)

**छत्तीसगढ़ राजपत्र**

**(असाधारण)**

**प्राधिकार से प्रकाशित**

**सामान्य प्रशासन विभाग**

**मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर**

**अटल नगर, दिनांक 28 जुलाई 2020**



**अधिसूचना**

क्रमांक एफ 1-1/2017/1/3- भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, छत्तीसगढ़ के राज्यपाल, एतद्द्वारा, छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1961 निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :-

**संशोधन**

उक्त नियमों में,-

नियम 8 के उप-नियम (1) के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात्:-

"(1) किसी सेवा या पद पर सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त किसी भी व्यक्ति को, प्रथमतः 3 वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर रखा जायेगा।"

**अटल नगर, दिनांक 28 जुलाई 2020**

क्रमांक एफ 1-1/2017/1/3- भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 1-1/2017/1/3 दिनांक 28 जुलाई, 2020 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

**कमलप्रीत सिंह, सचिव**

- - - - -

**विषय:- सीधी भर्ती के पदों पर 3 वर्ष की परिवीक्षा अवधि में नियुक्त किये जाने बाबत्।**

**संदर्भ:-** 1. सामान्य प्रशासन विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 1-1/2017/1/3, दिनांक 28 जुलाई 2020

2. वित्त विभाग की अधिसूचना क्रमांक 367/वित्त/नियम/चार/2020. दिनांक 28.07.2020

3. वित्त विभाग का ज्ञापन क्र. 372/260/वि/नि/चार/2020. दिनांक 29/07/2020 (वित्त निर्देश 21/2020)

4. सामान्य प्रशासन विभाग का ज्ञापन क्र. क्रमांक एफ 1-1/2017/1-3, दिनांक 29 जुलाई 2020

सामान्य प्रशासन विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 1-1/2017/1/3, दिनांक 28 जुलाई 2020 के द्वारा छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम 1961 के नियम 8 (1) में संशोधित करते हुए किसी सेवा या पद पर सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त किसी भी व्यक्ति को, प्रथमतः 3 वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर रखने का प्रावधान किया गया है। सीधी भर्ती के पदों पर चयनित शासकीय सेवकों को 3 वर्ष की परिवीक्षा अवधि में स्टायपेण्ड निर्धारण के संबंध में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक 367/वित्त/नियम/चार/2020. दिनांक 28.07.2020 द्वारा छत्तीसगढ़ मूलभूत नियम 22 सी (1) में संशोधन किया जा चुका है। इस विभाग के ज्ञापन क्र. 372/260/वि/नि/चार/2020. दिनांक 29/07/2020 (वित्त निर्देश 21/2020) द्वारा शासकीय विभागों/कार्यालयों के साथ-साथ सभी निगम/मंडल/आयोग/प्राधिकरण/विश्वविद्यालय/अनुदान प्राप्त-स्वशासी संस्थाओं आदि में भी सीधी भर्ती के पद पर 3 वर्ष की परिवीक्षा पर रखे जाने और परिवीक्षा की अवधि में देय राशि के संबंध में व्यवस्था निर्धारित की गयी है।

| | |
|---|---|
| | विषय में त्रिवर्षीय डिप्लोमा ।<br>2. डाटा एन्ट्री आपरेटर/प्रोग्रामिंग में किसी मान्यता प्राप्त संस्था से एक वर्षीय डिप्लोमा तथा हिन्दी एवं अंग्रेजी में डाटा एन्ट्री की गति 8000 की (key) डिप्रेशन प्रतिघंटा (गति के संबंध में कौशल परीक्षा ली जाएगी)। |
| स्टेनोटायपिस्ट | 1. मान्यता प्राप्त शिक्षा मंडल (10+2) परीक्षा उत्तीर्ण,<br>**अथवा**<br>पुरानी हायर सेकेण्डरी परीक्षा उत्तीर्ण के साथ मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से किसी भी विषय के स्नातक पाठ्यक्रम की प्रथम वर्ष परीक्षा उत्तीर्ण।<br>2. हिन्दी शीघ्रलेखन में 60 शब्द प्रतिमिनट की गति (गति के संबंध में कौशल परीक्षा ली जाएगी)<br>3. मान्यता प्राप्त संस्था से डाटा एन्ट्री आपरेटर/प्रोग्रामिंग में एक वर्षीय डिप्लोमा/प्रमाण पत्र तथा डाटा एन्ट्री की गति 5,000 की (key) डिप्रेशन प्रतिघंटा (गति के संबंध में कौशल परीक्षा ली जाएगी) |
| सहायक ग्रेड-3 | 1. मान्यता प्राप्त शिक्षा मंडल (10+2) परीक्षा उत्तीर्ण,<br>**अथवा**<br>पुरानी हायर सेकेण्डरी परीक्षा उत्तीर्ण के साथ मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से किसी भी विषय के स्नातक पाठ्यक्रम की प्रथम वर्ष परीक्षा उत्तीर्ण।<br>2. मान्यता प्राप्त संस्था से डाटा एन्ट्री आपरेटर/प्रोग्रामिंग में एक वर्षीय डिप्लोमा/प्रमाण-पत्र तथा,<br>3. कम्प्यूटर में हिन्दी टायपिंग का 5,000 की (key) डिप्रेशन प्रतिघंटा की गति (गति के संबंध में कौशल परीक्षा ली जाएगी) |

2. सभी प्रशासकीय विभागों द्वारा उपरोक्त पदों के लिए उनके सेवा भरती नियमों में उपरोक्तानुसार योग्यता संबंधी प्रावधान संशोधन किए जाएं एवं नियमों में संशोधन हेतु सामान्य प्रशासन विभाग की सहमति मानते हुए, अधिसूचना का प्रारूप विधि विभाग से परिमार्जित कराया जाकर, राजपत्र में उसकी प्रकाशन किया जाए। नियमों में संशोधन उपरांत ही विभागों द्वारा उक्त पदों पर भरती की कार्यवाही की जाए।

[छ.ग. सा.प्र.वि. क्र. एफ 9-1/2000/1-3 दिनांक 1.2.2013]

## (24) अनुकम्पा नियुक्ति के मामले में छूट

(i) दिवंगत शासकीय सेवक की विधवा के मामले में अधिकतम आयु सीमा का कोई बंधन नहीं है। अन्य के मामले में अधिकतम 5 वर्ष की छूट प्राप्त होगी। किन्तु किसी भी स्थिति में आयु सीमा 45 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

(ii) इसी प्रकार दिवंगत कर्मचारी की विधवा के मामले में हिन्दी मुद्रलेखन की परीक्षा उत्तीर्ण करने तथा कम्प्यूटर संचालन के ज्ञान के लिए तीन वर्ष का समय दिया गया है तथा अन्य के लिए एक वर्ष की समय सीमा है।

## (25) विकलांगों के मामले में छूट

सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञाप क्रमांक 294/2411/1 (3)/74, दिनांक 18-4-1975 सहपठित ज्ञाप क्रमांक 844/2621/1(3)/75, दिनांक 11-12-1975 के अनुसार ऐसे विकलांग उम्मीदवार जिनके हाथ स्थाई रूप से विकृत होने के कारण मुद्रलेखन सीखने में असमर्थ हैं, केवल उन्हें चिकित्सा प्रमाण-पत्र के आधार पर हिन्दी मुद्रलेखन की अर्हता से छूट प्राप्त है।

## (26) परिवीक्षा पर नियुक्ति

(1) जब किसी व्यक्ति को किसी सेवा या पद पर सीधी भरती से नियुक्त किया जाए तो उसे साधारणः ऐसी कालावधि के लिए परवीक्षा पर रखा जाएगा, जैसी कि सेवा के भरती नियमों में विहित है।

(2) नियुक्ति प्राधिकारी पर्याप्त कारणों के आधार पर परिवीक्षाकाल की अवधि को बढ़ा सकते हैं, किन्तु एक वर्ष से अधिक नहीं।

(3) परिवीक्षक को उसके परिवीक्षाकाल में ऐसे प्रशिक्षण में जाना होगा तथा विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण करना होगी, जैसा सेवा भरती नियमों में विहित है।

(4) परिवीक्षक की सेवाएं परिवीक्षाकाल में समाप्त भी की जा सकती हैं, यदि नियुक्तिकर्ता प्राधिकारी के विचार में वह उपयुक्त न पाया जाए।

(5) परिवीक्षक की सेवाएं जिसने विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण नहीं की है या जो उस सेवा या पद के लिए अनुपयुक्त पाया जाए, परिवीक्षाकाल के अंत में समाप्त भी की जा सकती हैं।

## (27) कर्मचारियों के पदनाम में परिवर्तन

(1) सा.प्र.वि.क्र. सी-3-2-96/3/एक दि. 18.3.96

| वर्तमान पदनाम | परिवर्तित पदनाम |
|---|---|
| सहायक | सहायक ग्रेड-1 |
| उ.श्रे.लि. | सहायक ग्रेड-2 |
| लि.श्रे.लि. | सहायक ग्रेड-3 |

(2) सा.प्र.वि.क्र. 1-6-1/वे.आ.प्र./91 दि. 11.11.97

| | | |
|---|---|---|
| शीघ्र लेखक ग्रेड-3 | 1400-2340 | शीघ्र लेखक |
| शीघ्र लेखक ग्रेड-2 | 1640-2900 | निजी सहायक |
| शीघ्र लेखक ग्रेड-1 | 2000-3500 | वरिष्ठ निजी सहायक |

(3) ग्राम सेवक का परिवर्तित पद नाम 'सहायक विकास विस्तार अधिकारी' किया गया है।

[पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग क्र. 921/2670/22/वि-2/स्था 86 दि. 31.1.87]

Principal
Vishnu Charan Gupta Govt. College
Pussore, Dist.- Raigarh(C.G.)

विषय : रिक्त पदों पर नियुक्ति के संबंध में ।

संदर्भ : 1. वित्त विभाग का ज्ञाप क्रमांक 170/बी/चार, दिनांक 2.5.2014 (वित्त निर्देश 27/2014)
2. वित्त विभाग का ज्ञाप क्रमांक 202/ब-4/चार, दिनांक 8.5.2014 (वित्त निर्देश 29/2014)
3. वित्त विभाग का ज्ञाप कमांक 118/ब-4/चार, दिनांक 2.5.2015 (वित्त निर्देश 12/2015)
4. वित्त विभाग का ज्ञाप क्रमांक 99/ऋ-2015-04-02007/ब-4/चार, दिनांक 2.5.2016 (वित्त निर्देश 10/2016)
5. वित्त विभाग का ज्ञाप क्रमांक 161/ऋ-2015-04-02007/ब-4/चार, दिनांक 02.05.2017 (वित्त निर्देश 16/2017)
6. वित्त विभाग का ज्ञाप कमांक 179/ऋ-2015-04-02007/ब-4/चार, दिनांक 02.05.2018 (वित्त निर्देश 25/2018)

वित्त विभाग के संदर्भित ज्ञापनों द्वारा लोक सेवा आयोग के माध्यम से भरे जाने वाले सीधी भर्ती के रिक्त पदों एवं अनुकम्पा नियुक्ति के पदों को छोड़कर शेष सभी सीधी भर्ती के रिक्त पदों को भरने के पूर्व वित्त विभाग की अनुमति प्राप्त करने के निर्देश जारी किये गये हैं।

2- राज्य शासन द्वारा विचारोपरांत यह निर्णय लिया गया है कि उक्त निर्देश आगामी एक वर्ष तक के लिए और प्रभावशील रहेंगे।

3- ऐसी केन्द्रीय योजनाएं, जिनके अंतर्गत पद संरचना स्वीकृत है तथा जिन्हें केन्द्रीय बजट 2019-20 में समाप्त कर दिया गया है, उन योजनाओं में रिक्त पदों पर यदि वित्त विभाग द्वारा भर्ती की अनुमति पूर्व में दी गई है किन्तु अभी तक भर्ती नहीं की गई है, तो ऐसे रिक्त पदों को भरने की अनुमति पुनः वित्त विभाग से प्राप्त की जाए। ऐसे प्रस्तावों को वित्त विभाग में भेजते समय इन पदों की पूर्ति पर आने वाले वार्षिक वित्तीय भार तथा पदों की पूर्ति की आवश्यकता का औचित्य दर्शाया जाए।

4- विभागों में स्वीकत सीधी भर्ती के रिक्त पदों की पूर्ति करते समय विभाग यह सुनिश्चित करें कि ऐसे पद जिनमें विभागीय प्रशिक्षण अनिवार्य हो, उन प्रकरणों में भरे जाने वाले पदों की संख्या राज्य में उपलब्ध प्रशिक्षण क्षमता के अनुरूप ही हो।

5- यह निर्देश राज्य के शासकीय कार्यालयों के साथ-साथ सभी निगम / मंडल / आयोग / प्राधिकरण / विश्वविद्यालय / अनुदान प्राप्त-स्वशासी संस्थाओं आदि के लिए भी लागू होंगे।

6- यह निर्देश तत्काल प्रभाव से लागू होंगे।

[छ.ग.सा.वि.वि. क्रमांक 153/F-2015-04-02007/ब-4/चार, दिनांक 29/04/2019

- - - - -

Principal
Vishnu Charan Gupta Govt. College
Pussore, Dist.- Raigarh(C.G.)

अध्याय 5

# सेवाओं में आरक्षण

**(1) अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के व्यक्तियों के लिए लोक सेवा तथा सीधी भरती के प्रक्रम पर आरक्षण**

इन जातियों के लोगों के लिए सीधी भरती से भरे जाने वाले पदों में आरक्षण सुनिश्चित करने के उद्देश्य से छत्तीसगढ़ लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1994 लागू किया गया है, जो दिनांक पहली जुलाई, 1994 से प्रभाव में आया है । इस अधिनियम का पालन किय प्रकार किया जाए इस हेतु छत्तीसगढ़ लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) नियम, 1998 बनाये गये हैं ।

2. इस अधिनियम के अधीन स्थापन से आशयित है -

राज्य सरकार का या तत्समय प्रवृत्त राज्य के किसी अधिनियम के अधीन गठित किसी स्थानीय प्राधिकरण या कानूनी प्राधिकरण का या किसी विश्वविद्यालय का या किसी ऐसी कंपनी, निगम या किसी सहकारी सोसाइटी का, जिसमें समादत्त अंशपूंजी का कम से कम इक्यावन प्रतिशत राज्य सरकार द्वारा धारित है या किसी संस्था का जो राज्य सरकार से सहायता अनुदान या नगद प्राप्त कर रही हैं, का कोई कार्यालय और उसके अन्तर्गत ऐसा स्थापन आता है, जिसमें कार्यभारित या आकस्मिकता निधि से भुगतान किया जाता है और ऐसा स्थापन जिसमें आकस्मिक नियुक्तियां की जाती हैं किन्तु इसमें संविधान के अनुच्छेद 30 के अधीन आने वाले स्थापन सम्मिलित नहीं हैं । [अधिनियम की धारा 2 (ख)]

यह अधिनियम इस अधिनियम में यथा परिभाषित स्थापना को लागू होगा, किन्तु निम्नलिखित नियोजनों को लागू नहीं होगा :-

(1) भारत सरकार के अधीन कोई नियोजन;
(2) स्थानान्तरण द्वारा या प्रतिनियुक्ति द्वारा भरे जाने वाले पद;
(3) छत्तीसगढ़ उच्च न्यायकि सेवा में की गई नियुक्तियाँ ।

**2. पदों के आरक्षण के लिए प्रतिशतता का नियत किया जाना और मूल्यांकन के आधार-** (1) इस अधिनियम के द्वारा या उसके अधीन जब तक कि अन्यथा उपबंधित न किया जाए, अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों या अन्य पिछड़े वर्गों के सदस्यों के लिए आरक्षित पद ऐसे सदस्यों से नहीं भरे जाएंगे जो यथास्थिति ऐसी जातियों या जनजातियों या वर्गों के नहीं हैं ।

(2) इस अधिनियम के अन्य उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए, लोक सेवाओं और पदों में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के व्यक्तियों के लिए सीधी भरती के प्रक्रम पर निम्नानुसार आरक्षण रहेगा :-

*(एक) प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ वर्ग के पदों में राज्य स्तर पर किसी भरती के वर्ष में उद्भूत होने वाली रिक्तियों के संबंध में निम्नलिखित प्रतिशत होगा -

* छत्तीसगढ़ अधिनियम (क्र. सन् 2012 द्वारा संशोधित । छत्तीसगढ़ राजपत्र (असाधारण) दिनांक 18-1-2012 पृष्ठ 24 पर प्रकाशित ।

| | |
|---|---|
| अनुसूचित जाति | 12 प्रतिशत |
| अनुसूचित जनजाति | 32 प्रतिशत |
| अन्य पिछड़ा वर्ग | 14 प्रतिशत |

**(दो) संभाग या जिला स्तर पर किसी भरती के वर्ष में किसी स्थापना में** तृतीय वर्ग और चतुर्थ वर्ग पदों के ऐसे प्रवर्गों में उद्‌भूत होने वाली रिक्तियों का प्रतिशत राज्य शासन द्वारा अधिसूचित किया जाएगा ।

(तीन) उपरोक्त (एक) और (दो) में यथापूर्वोक्त रिक्तियों पर नियुक्तियां विहित रोस्टर के अनुसार की जायेंगी। परन्तु यह आरक्षण अन्य पिछड़े व्यक्तियों के ऐसे प्रवर्गों को लागू नहीं होगा जैसा राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर संपन्न वर्ग (क्रीमीलेयर) के रूप में अधिसूचित किया जावे। [अधिनियम की धारा 4 (2)]

**3. रिक्तियों को अग्रनीत करना-** यदि किसी भरती के वर्ष के संबंध में निर्धारित प्रतिशतता के अधीन व्यक्तियों के किसी प्रवर्ग के लिए आरक्षित कोई रिक्ति बिना भरी रह जाती है तो ऐसी रिक्ति आगामी या किसी पश्चात्‌वर्ती भरती के वर्ष में भरी जाने के लिए अग्रनीत (कैरीफारवर्ड) की जाएगी । किन्तु ऐसी अग्रनीत की गई रिक्ति की गणना उस भरती के वर्ष के लिए, जिसमें वह अग्रनीत की गई है, व्यक्तियों के संबंधित प्रवर्ग के लिए आरक्षित रिक्तियों के कोटे पर नहीं की जाएगी। [अधिनियम की धारा 4 (3)]

जब कभी सीधी भरती या पदोन्नति के समस्त मामलों में पूर्ववर्ती वर्ष या वर्षों में अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित रिक्तियां बिना भरी रह गई हैं तब बैकलॉग और/या अग्रनीत रिक्तियां पृथक तथा सुभिन्न समूह मानी जाएंगी और उस वर्ष की रिक्तियों की कुल संख्या पर आरक्षण की पचास प्रतिशत की अधिकतम सीमा का अवधारण करने के लिए उस वर्ष की, आरक्षित रिक्तियों के साथ नहीं मानी जाएंगी जिसमें वे रिक्तियां भरी जा रही हैं । अन्य शब्दों में,आरक्षित रिक्तियों को भरने पर पचास प्रतिशत की अधिकतम सीमा केवल उन्हीं आरक्षिथ रिक्तियों पर लागू होगी जो चालू वर्ष में उद्‌भूत हों और अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के लिए पूर्ववर्ती वर्ष या वर्षों की बैकलॉग/अग्रनीत आरक्षित रिक्तियां पृथक् तथा सुभिन्न समूह मानी जाएंगी और पचास प्रतिशत की अधिकतम सीमा के अध्यधीन नहीं होंगी ।

नियुक्ति प्राधिकारी बिना भरी ऐसी रिक्तियों को भरने के लिए किसी भी समय विशेष भरती कर सकेगा और यदि ऐसी रिक्तियां बिना भरी रह जाती हैं तो उन्हें उस प्रवर्ग जिसके लिए पद या पदों को आरक्षित किया गया है, से भिन्न व्यक्तियों द्वारा भरे जाने के लिए किसी भी रीति में अनारक्षित नहीं किया जाएगा ।

**4. अधिनियम का पालन न करने पर शास्ति-** कोई नियुक्ति प्राधिकारी जिसे धारा 5 की उपधारा (1) के अधीन उत्तरदायित्व सौंपा गया है, ऐसी रीति में जानबूझकर कार्य करता है जो इस अधिनियम के प्रयोजनों का उल्लंघन करने या उन्हें विफल करने के लिए आशयित है या धारा 14-क के निबंधनों के अधीन मिथ्या प्रमाण-पत्र का पृष्ठांकन करता है, नियुक्ति प्राधिकारी का ऐसा कृत्य उस पर लागू आचरण नियमों के अधीन अवचार समझा जाएगा और ऐसे अवचार के लिए उक्त नियमों के अधीन अनुशासनिक कार्यवाहियों के साथ-साथ सक्षम अधिकारिता वाले किसी न्यायालय द्वारा अभियोजित किए जाने का दायी होगा और वह दोषसिद्धि पर कारावास से जो एक वर्ष तक का हो सकेगा या जुर्माने से जो दो हजार रुपये तक का हो सकेगा या दोनों से दण्डनीय होगा ।

कोई भी न्यायालय राज्य सरकार की पूर्व अनुमति के बिना इस धारा के अधीन किसी अपराध का संज्ञान नहीं कर सकेगा । [अधिनियम की धारा 6]

**5. चयन समिति में प्रतिनिधित्व-** प्रत्येक विभाग के अधीन गठित विभागीय पदोन्नति समिति में इन जातियों का एक सदस्य अनिवार्य रूप से होगा ।

[अधिनियम की धारा 8 तथा ज्ञाप क्र. एफ-7-5/94/आ.प्र./1, दिनांक 6-3-95]

**6. अनियमित नियुक्तियां-** इस अधिनियम के उपबंधों के उल्लंघन में की गई समस्त नियुक्तियां शून्यकरणीय होंगी । [अधिनियम की धारा 14]

**विषय: अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के झूठे (फर्जी/गलत) प्रमाण-पत्र के आधार पर नियुक्ति प्राप्त करने वाले शासकीय सेवकों के विरुद्ध कार्रवाई बाबत्‌।**

**सन्दर्भ:** माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा सिविल प्रकरण क्रमांक 8928/2015 में पारित किए गए एकजाई निर्णय दिनांक 06.07.2017

उपरोक्त विषयांतर्गत माननीय उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली में दायर सिविल अपील क्रमांक 8928/2015 चेयरमेन एवं मैनेजिंग डायरेक्टर एफसीआई एवं अन्य विरुद्ध जगदीश बालाराम बहिरा एवं अन्य याचिकाओं के संबंध में पारित एकजाई निर्णय दिनांक 06.07.2017 की प्रति सामान्य प्रशासन विभाग की वेबसाईट www.cg.nic.in/gadonline में अपलोड की गई है। कृपया उक्त निर्णय का अवलोकन करें।

2. आपके विभाग/कार्यालय में यदि फर्जी/गलत जाति प्रमाण-पत्र के किसी मामले में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा स्थगन प्रदान किया गया हो, तो कृपया प्रभारी अधिकारी को निर्देशित किया जाए कि वह माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा सिविल अपील क्रमांक 8928/2015 में पारित एकजाई निर्णय दिनांक 06.07.2017 के परिप्रेक्ष्य में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा प्रदान किए गए स्थगन को समाप्त करने हेतु शासकीय अधिवक्ता के माध्यम से अनुरोध करें।

[छ.ग.शा.सा.प्र.वि. क्र. एफ 13-3/2017/आ.प्र./1-3, दिनांक 30.12.2017]

**7. नियुक्ति आदेश में प्रमाणीकरण-** प्रत्येक नियुक्ति प्राधिकारी, उसके द्वारा जारी किए जाने वाले नियुक्ति आदेश पर एक प्रमाण-पत्र इस आशय का पृष्ठांकित करेगा कि उसने छत्तीसगढ़ लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1994 के उपबंधों का और अधिनियम के उपबंधों के प्रकाश में सरकार द्वारा जारी आदेशों का अनुपालन किया है । [अधिनियम की धारा 14-क]

**8. नियुक्तियों की अर्धवार्षिक रिपोर्ट-** निर्धारित प्रारूप पर जनवरी से जून तक की अगस्त माह में तथा जुलाई से दिसम्बर तक की फरवरी माह में भेजी जायगी। यह रिपोर्ट नियुक्ति प्राधिकारी अपने विभाग प्रमुख को भेजेंगे । संभागीय स्तर पर की गई नियुक्तियों की रिपोर्ट संभागीय आयुक्त को तथा जिला स्तर पर की गई नियुक्तियों की रिपोर्ट जिले के कलेक्टर को प्रस्तुत की जावेगी जिसे वे इकजाई कर इकजाई रिपोर्ट सामान्य प्रशासन विभाग को प्रत्येक वर्ष माह फरवरी तथा अगस्त में भेजेंगे ।

[अधिनियम की धारा 15 तथा इस संबंध में बनाये गये नियमों का नियम 6]

Principal
Vishnu Charan Gupta Govt. College
Pussore, Dist - Raigarh(C.G.)

अध्याय 14

# वेतन पर महंगाई भत्ते और अंतरिम राहत

**(1) अवकाश अवधि में-** अवकाश अवधि में महंगाई भत्ते की पात्रता होगी, चाहे ऐसा अवकाश भारत में या भारत के बाहर व्यतीत किया जा रहा हो। लेकिन असाधारण अवकाश के दौरान महंगाई भत्ते की पात्रता नहीं होगी, क्योंकि इस अवधि में कोई वेतन प्राप्त नहीं होता है। इस प्रकार अवकाश अवधि में जो अवकाश वेतन होगा उसी के आधार पर महंगाई भत्ता प्राप्त होगा। यदि अर्ध वेतन अवकाश है तो आधा वेतन मिलेगा और इस आधे वेतन पर जो महंगाई भत्ता संगणित होगा वह मिलेगा। पूर्ण महंगाई भत्ते को आधा नहीं किया जायेगा।

**(2) निलंबन काल में-** महंगाई भत्ते की पात्रता होगी। गणना निर्वाह भत्ते की बढ़ी हुई राशि पर या कम की गई दर के आधार पर की जायेगी। [मूल नियम 53(1)(i) बी)]

**(3) कार्यग्रहण काल में-** कार्यग्रहण काल मे जो वेतन प्राप्त होगा, उस आधार पर महंगाई भत्ते की पात्रता होगी।

**(4) भारत के बाहर प्रतिनियुक्ति अवधि में-** यदि ऐसी अवधि 6 माह से अधिक नहीं है तो वही वेतन एवं महंगाई भत्ता प्राप्य होगा जो ऐसी प्रतिनियुक्ति पर प्रस्थान नहीं किया गया होता तो प्राप्त होता। 6 माह से अधिक अवधि में भी दिया जा सकता है, यदि उसने एक से अधिक देशों मे काम किया हो लेकिन एक ही देश में 6 माह से अधिक नहीं ठहरा हो।

**(5) बाह्य सेवा के दौरान-** इस अवधि में शासकीय सेवक बाह्य सेवा के आधार पर बाह्य नियोजक से वेतन के आधार पर महंगाई भत्ता प्राप्त करेगा। लेकिन वह उससे अधिक नहीं होगा जो एक शासकीय सेवक को ग्राह्य है।

**(6) माह के मध्य किसी दिनांक को सेवा में नियुक्त होने पर, सेवा से निकाले जाने पर या त्यागपत्र देने पर मंहगाई भत्ते की गणना-** जितने दिनों का वेतन दिया जायेगा उतने दिनों का महंगाई भत्ता दिया जायेगा। दर पूरे माह की ध्यान में रखी जायेगी।

**(7) एक ही माह में वेतन की दर अलग-अलग होने पर-** महंगाई भत्ता टुकड़ों में निर्धारित किया जाएगा अर्थात् जितने दिन का वेतन जिस दर से दिया जा रहा है, उस पर जो महंगाई भत्ते की दर आये, वह प्राप्त होगा।

**(8) यदि पति/पत्नी दोनों शासकीय सेवक हों-** तो महंगाई भत्ता दोनों को ही पृथक्-पृथक् उनके वेतन के आधार पर प्राप्त होगा।

**(9) पुनर्नियुक्त शासकीय सेवक-** जो वेतन के साथ-साथ पेंशन प्राप्त करते रहेंगे, उनके मामले में पेंशन पर राहत की पात्रता उन्हें नहीं होगी। वे वेतन + पेंशन के योग पर पुनर्नियुक्ति के दौरान महंगाई भत्ता प्राप्त करेंगे। यदि वेतन + पेंशन का योग वेतनमान के अधिकतम से अधिक हो जाए तो महंगाई भत्ता अधिकतम पर ही गणन किया जायेगा।

(10) महंगाई भत्ता वेतन पर गणन किया जाता है। इसकी दर राज्य शासन द्वारा समय-समय पर निर्धारित की जाती है। वेतन से आशय मूल वेतन, विशेष वेतन तथा व्यक्तिगत





वेतन होगा। जैसा कि मूल नियम 9(21) में परिभाषित है।

[वित्त विभाग क्रमांक 1264/1679/चार/आर-11, दिनांक 8.7.1957]

**(11) महंगाई भत्ते की दरें-** (i) छत्तीसगढ़ वेतन पुनरीक्षण नियम, 1998 में वेतन प्राप्य करने वाले कर्मचारियों को देय महंगाई भत्ता-

| अवधि जब से देय | महंगाई भत्ते की दर (प्रतिशत) |
|---|---|
| 1.7.2000 | मूल वेतन का 41% |
| 1.1.2001 | मूल वेतन का 43% |
| 1.7.2001 | मूल वेतन का 45% |
| 1.1.2002 | मूल वेतन का 49% |
| 1.10.2003 | मूल वेतन का 52% |
| 1.1.2004 | मूल वेतन का 55% |
| 1.10.2004 | मूल वेतन का 59% |
| 1.4.2005 | मूल वेतन का 61% |
| 1.1.2006 | मूल वेतन का 64% |
| 1.4.2006 | मूल वेतन का 71% |
| 1.4.2007 | मूल वेतन + महंगाई वेतन का 24% |

**टीप-** दिनांक 1.4.2007 से 50 प्रतिशत महंगाई भत्ता महंगाई राहत में परिवर्तित ।

| | | |
|---|---|---|
| 1.5.2007 | मूल वेतन तथा महंगाई वेतन का 29% | |
| 1.10.2007 | मूल वेतन तथा महंगाई वेतन का 35% | |
| 1.4.2008 | मूल वेतन तथा महंगाई वेतन का 41% | |
| 1.7.2008 | मूल वेतन तथा महंगाई वेतन का 47% | |
| 1.1.2009 | मूल वेतन तथा महंगाई वेतन का 54% | |
| 1.10.2009 | मूल वेतन तथा महंगाई वेतन का 64% | |
| 1.4.2010 | मूल वेतन तथा महंगाई वेतन का 73% | |
| 1.10.2010 | मूल वेतन तथा महंगाई वेतन का 87% | |
| 1.4.2011 | मूल वेतन तथा महंगाई वेतन का 103% | |
| 1.10.2011 | मूल वेतन तथा महंगाई वेतन का 115% | |
| 1.4.2012 | मूल वेतन तथा महंगाई वेतन का 127% | |
| 1.7.2012 | मूल वेतन तथा महंगाई वेतन का 139% | |
| 1.11.2012 | मूल वेतन तथा महंगाई वेतन का 151% | |
| 1.1.2013 | मूल वेतन तथा महंगाई वेतन का 166% | |
| 1.7.2013 | मूल वेतन तथा महंगाई वेतन का 183% | क्र. 543/F-2013-04 -00188/वि/नि/चार, दि. 31.12.2013 |

Principal
Vishnu Charan Gupta Govt. College
Pussore, Dist.- Raigarh(C.G.)

| | | |
|---|---|---|
| 1.1.2014 | मूल वेतन तथा महंगाई वेतन का 200% | क्र. 231/F-2013-04 00188/वि/नि/चार, दि. 24.05.2014 |

(अ) दिनांक 1 जनवरी, 2006 से लागू छठवें केन्द्रीय वेतन ढांचे में देय महंगाई भत्ते की दरें-

| तिथि जब से देय | पे बैंड में वेतन तथा ग्रेड पे के योग का | आदेश क्रमांक/दिनांक |
|---|---|---|
| 1.1.2007 | 2% | 74/वित्त/नियम/चार/09 दिनांक 24 मार्च, 2009 |
| 1.7.2007 | 6% | |
| 1.1.2008 | 9% | |
| 1.1.2008 | 12% | |
| 1.1.2009 | 16% | |
| 1.10.2009 | 22% | 317/301/वि/नि/चार, दिनांक 13.10.2009 |
| 1.4.2010 | 27% | 96/754/वित्त/नियम/चार/2010, दिनांक 20.4.2010 |
| 1.10.2010 | 35% | 318/754/वित्त/नियम/चार/2010, दिनांक 6.10.2010 |
| 1.4.2011 | 45% | 95/293/वित्त/नियम/चार/2011, दिनांक 30.3.2011 |
| 1.10.2011 | 51% | 326/171/11/वित्त/नियम/चार, दिनांक 5.10.2011 |
| 1.4.2012 | 58% | 107/12/वित्त/नियम/चार, दिनांक 7.4.2012 |
| 1.7.2012 | 65% | 210/एफ-1001349/वि/नि/चार, दिनांक 10.7.2012 |
| 1.11.2012 | 72% | 333/एफ-1001319/वि/नि/चार, दिनांक 26.10.2012 |
| 1.1.2013 | 80% | 156/एफ-213-04/00085/वि/ नि/चार, दिनांक 8.5.2013 |
| 1.7.2013 | 90% | 430/एफ-2013-04/00416/वित्त/ नियम/चार, दिनांक 28.09.2013 |
| 1.1.2014 | 100% | 178/एफ-2013-04/00416/वित्त/ नियम/चार, दिनांक 25.04.2014 |
| 1.7.2014 | 107% | वि.यो.क्र. 488/एफ-2013-04-00416/ वि./नि./चार दिनांक 16.12.2014 |
| 1.1.2015 | 113% | वि.यो.क्र./115/एफ.-2013-04-00416/ वि./नि./चार दि. 26.5.2015 |
| 1.7.2015 | 119% | वि.यो.क्र. 347/एफ/2013/04-00416 वि/नि./चार दिनांक 4.11.2015 |
| 1.1.2016 | 125% | वि.यो.क्र.138/एफ/2013-04-00416/ वि.नि./चार दिनांक 23 अप्रैल 2016 |
| 1.1.2016 | 132% | वि.वि.क्र.32/एफ-2013-04-000416/ वित्त/नियम/चार दिनांक 22 फरवरी 2017 |
| 1.7.2016 | 136% | दिनांक 13 जून 2017 |
| 1.7.2017 | 139% | वि.वि. क्र. 257/एफ-2013-04-00416/ वि.वि./चार दिनांक 29 मई 2018 |
| 1.1.2018 | 142% | वि.वि./क्र. 132/एफ-2013-04-00416/ वि.नि. चार, दिनांक 8 मार्च 2019 |
| 1.7.2018 | 148% | " |
| 1.1.2019 | 154% | वि.वि./क्र. 390/एफ-2013-04-00416/ वि.वि.नि. चार दिनांक 22 अगस्त 2019 |

**सातवें वेतनमान में वेतन आहरित कर रहे कर्मचारियों को देय महंगाई भत्ता**

| अवधि जबसे देय | दर % में | शासन का आदेश क्र. व दिनांक |
|---|---|---|
| 1.7.2016 | 02% | छ.ग. वि.वि. क्र. 478/एल-2017-71/ |
| 1.1.2017 | 04% | 00630/वि.नि./चार/ दिनांक 24.11.2017 |
| 1.7.2017 | 05% | छ.ग.वि.वि.क्र.एफ/2013-04-00416/वि. वि.नि. चार दिनांक 29 मई 2018 |
| 1.1.2018 | 07% | छ.ग. वि.वि. क्र. 132/एफ-2013-04-00416/वि./नि./चार दि. 8 मार्च 2019 |
| 1.7.2018 | 09% | " |
| 1.1.2019 | 12% | छ.ग.वि.वि.क्र. 390/एफ-2013-4-00416 /वि./नि./चार दि. 22 अगस्त 2019 |

- - - - -

Principal
Vishnu Charan Gupta Govt. College
Pussore, Dist.- Raigarh(C.G.)

# अन्य भत्ते

## 1. गृह भाड़ा-भत्ता

**(1) किन्हें गृह भाड़ा भत्ते की पात्रता-** गृह भाड़ा भत्ता उन कर्मचारियों को मिलता है जिन्हें सरकार ने कोई मकान रहने के लिए नहीं दिया है। किराये की रसीद भी नहीं देना पड़ती है केवल निर्धारित प्ररूप पर एक घोषणा पत्र देना होता है। निजी मकान में रहने वालों को भी मकान किराया भत्ता मिलता है। पत्नी के मकान में अथवा बच्चों के मकान में या माता-पिता के मकान में रहने पर भी मकान किराया भत्ता देय है।

शासकीय सेवक यदि शासन द्वारा आवंटित मकान स्वेच्छा से इंकार कर स्वयं के मकान में रहे अथवा शासकीय सेवक यदि आवंटित सरकारी आवास को खाली कर स्वयं के मकान में रहने चला जाए तो भी गृह भाड़ा भत्ते का वह हकदार होगा। स्वयं के मकान के बजाय किराये के आवास में भी रहना चाहे तो रह सकता है, उसे भी मकान किराया भत्ते की पात्रता होगी। किन्तु यह सुविधा उन्हें उपलब्ध नहीं होगी जिन्हें नियमानुसार निःशुल्क आवास की पात्रता है और उन्हें ऐसा आवास उपलब्ध कराया गया है। यदि शासन उन्हें ऐसा आवास उपलब्ध नहीं करा पाता है तो ही उन्हें गृह भाड़ा भत्ते की पात्रता होगी।

इसी प्रकार यदि किसी कर्मचारी को सरकारी आवास Ear-marked है (किराया रहित अथवा किराया सहित) और वह उसे आवंटित किया जाता तो उसे वह आवास गृह अनिवार्यतः लेना होगा अन्यथा उसे किसी प्रकार के गृह भाड़ा भत्ते की पात्रता नहीं होगी।

**(2) किन्हें पात्रता नहीं-**

(i) ऐसे सभी शासकीय सेवक जिन्हें बाजार दर पर आकस्मिकता निधि से वेतन प्राप्त होता है।

(ii) समस्त अस्थाई सेवक जिनका वेतन चालू बाजार दर पर निर्धारित होता है।

(iii) ऐसे सभी शासकीय सेवक जो अनुसूचित क्षेत्रों में पदस्थ हैं, तथा वहाँ स्वीकृत दरों पर गृह भाड़ा भत्ता प्राप्त कर रहे हैं।

(iv) यह भत्ता उन्हें देय नहीं होगा, जिन्हें भाड़ा मुक्त आवास की सुविधा उपलब्ध की गई है अथवा ऐसी सुविधा के बदले मकान किराया भत्ता दिया जाता है (जैसे पुलिस विभाग में) ।

(v). अखिल भारतीय सेवा के अधिकारी।

**(3) वेतन आशय-** वेतन पुनरीक्षण नियम, 2009 में प्राप्त पे बैंड +ग्रेड पे का योग।

**(4) अन्य शर्तें-** (i) यह भत्ता बिना किराये की रसीद प्रस्तुत किये देय होगा ।



Principal
Vishnu Charan Gupta Govt. College
Pussore, Dist.- Raigarh(C.G.)



(ii) यह भत्ता केवल उन्हें ही देय होगा जो उसी शहर या कस्बे में रह रहे हैं, जहाँ उनका कार्यालय अवस्थित है।

**(5) अवकाश काल में भत्ते की पात्रता-** (i) असाधारण अवकाश को छोड़कर सभी प्रकार के अवकाश काल के दौरान यह भत्ता आहरित किया जा सकता है।

(ii) अवकाश काल में यह अवकाश वेतन की दर पर आधारित होगा।

**(6) निलंबन काल में भत्ते की पात्रता-** (i) निलंबन काल में इसका नियमन मूल नियम 53 (1) (b) के अनुसार किया जायेगा।

(ii) यदि सक्षम अधिकारी के द्वारा लोक हित में किसी शासकीय सेवक का मुख्यालय निलंबन अवधि में बदल दिया जाता है तो नये मुख्यालय पर वहाँ की दर से देय होगा, बशर्ते वह वांछित प्रमाण पत्र प्रस्तुत करें।

**(7) नव नियुक्त या सेवा से हटने वाले कर्मचारियों के मामले में-** उन व्यक्तियों के मामले में जहाँ कोई किसी माह के दौरान नियुक्त किया गया है, सेवा से निकाल दिया गया है या जिसने त्याग-पत्र दै दिया है, तो गृह भाड़ा भत्ते की पात्रता उतने दिनों के लिए ही होगी जितने दिन उसने कार्य किया है।

**(8) स्थानान्तरण के मामले में-** व्यक्ति जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानान्तरण पर आये हैं, उपस्थिति दिनांक से या पद का भार त्यागने के दिनांक तक पात्रतानुसार भत्ते के पात्र होंगे।

**(9) एक ही माह में भिन्न दर पर वेतन होने पर भत्ते की गणना-** यदि कोई किसी माह में भिन्न दरों से वेतन प्राप्त करता है तो भत्ते की पात्रता वेतन के दर परआधारित होगी अर्थात् जिस दर से जितने दिन का वेतन लिया उस वेतन की दर पर भत्ता मिलेगा।

**(10) परिवार में एक से अधिक सदस्य होने की स्थिति में-** (i) यदि परिवार के एक से अधिक सदस्य (उदाहरणार्थ पति, पत्नी, पुत्र, साली इत्यादि) शासकीय सेवक हैं तथा एक ही मकान में रहते हैं चाहे वह किराये पर लिया गया हो या स्वयं का हो, गृह भाड़ा भत्ता उनमें से केवल एक को ही देय होगा। यदि मकान के बारे में भवन के स्वामी को। यदि मकान को परिवार के ऐसे सदस्य के द्वारा किराये पर लिया गया है जो शासकीय सेवक नहीं है तो किसी को भत्ते की पात्रता नहीं होगी। यदि भवन का स्वामी परिवार का ऐसा सदस्य है जो शासकीय सेवा में नहीं है तो किराया किसी भी शासकीय सेवक के द्वारा प्राप्त किया जा सकता है।

(ii) जहाँ परिवरा के एक से अधिक सदस्य जो कि सभी शासकीय सेवक हैं, उस मकान में एक साथ रहते हैं जिसे सभी ने मिलकर अधिगृहीत किया है, गृह भाड़ा भत्ता किसी एक के द्वारा लिया जा सकता है।

(iii) एक ही परिवार के सदस्य जो एक साथ एक ही मकान में रहतेहैं, उनमें से कोई एक शासकीय सेवक हो तथा दूसरा कोई शासकीय संस्था/संघ/निगम/मंडल/बैंक कर्मचारी है, तो उनमें किसी एक को ही भत्ते की पात्रता होगी।

**(11) पुनर्नियुक्त पेंशनभोगी क मामले में-** (i) पुनर्नियुक्त पेंशनभोगी के मामले में जिसे

वेतन के साथ-साथ पेंशन आहरित करने की अनुमति है, इस भत्ते का पात्र होगा। ऐसे सभी मामलों में भत्ते की गणना निम्नानुसार रीति की जावेगी :

(अ) भत्ते की गणना वेतन + पेंशन पर की जायेगी।

(ब) इस गणना के प्रयोजनार्थ पेंशन सारांशिकरण के पूर्व की पेंशन ली जायेगी। यदि पुनर्नियुक्ति की शर्तों के मुताबिक पेंशन के किसी अंश को स्थगित किया गया है तो वह कम होगा।

(ii) कोई शासकीय सेवक जो किसी विदेश सरकार (बर्मा, सीलोन, पाकिस्तान) से राज्य सरकार से प्राप्त वेतन के अलावा पेंशन प्राप्त कर रहा है, वह राज्य सरकार से केवल वेतन के आधार पर भत्ता प्राप्त करेगा।

**(12) स्वीकृति हेतु सक्षम प्राधिकारी-** जिनका वेतन स्थापना वेतन देयकों पर आहरित होता है, आहरण एवं संवितरण अधिकारी (दोनों के लिए चाहे राजपत्रित हों या अराजपत्रित)।

**(13) स्वीकृति की प्रक्रिया-** जो किराये के मकान में रह रहे हैं, वे प्रपत्र- ''अ'' पर तथा जो स्वयं के मकान में रह रहे हैं वे प्रपत्र- ''ब'' में एक घोषणा पत्र प्रस्तुत करें।

**(14) भुगतान की विधि-** यह भत्ता प्रत्येक माह वेतन के साथ निकाला जाता है।

**(15) भत्ते की दरें-** दिनांक 1 जनवरी, 2010 से निम्नानुसार दरें निर्धारित की गई हैं। यह दरें छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग के ज्ञापन क्रमांक 52/38/2010/वि/नि/चार, दिनांक 22.2.2010 द्वारा घोषित की गई हैं:-

| क्र. | नगरों का वर्गीकरण | नगरों का नाम | गृह भाड़ा भत्ते की दर |
|---|---|---|---|
| 1. | बी-2 श्रेणी | रायपुर, दुर्ग-भिलाई नगर | 10 प्रतिशत |
| 2. | सी श्रेणी | बिलासपुर, कोरबा, राजनान्दगांव, जगदलपुर, रायगढ़, चिरमिरी, दल्ली-राजहरा, अम्बिकापुर, धमतरी, भाटापारा, चांपा जांजगीर | 7 प्रतिशत |
| 3. | अन्य क्षेत्र | - | [1][7 प्रतिशत] |
| 4. | दिल्ली स्थित राज्य शासन के कार्यालय | - | 30 प्रतिशत |

**टिप्पणी-** 1. गृह भाड़ा भत्ते की गणना के लिए मूल वेतन से तात्पर्य नवीन पुनरीक्षित वेतनमान, 2009 में प्राप्त मूल वेतन से है। नगर की सीमा वर्ष 2001 की जनगणना को मान्य किया जाए।

2. ये आदेश कार्यभारित एवं आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले कर्मचारियों की सेवा के सदस्यों पर भी लागू होंगे।

1. अधिसूचना क्र. 253/306/वित्त/नियम/चार, दिनांक 1.8.2011 द्वारा संशोधित तथा दिनांक 1.8.2011 से प्रभावशील ।

**टीप-** 1. गृह भाड़ा भत्ते की गणना के लिए ''मूल वेतन'' से तात्पर्य नवीन पुनरीक्षित वेतनमान, 2009 में प्राप्त वेतन (वेतन बैंड में वेतन + ग्रेड पे) से है।

2. छ.ग. वेतन पुनरीक्षण नियम, 2009 के अन्तर्गत विद्यमान वेतनमान मे बने रहने का विकल्प देने वाले कर्मचारियों को भी उपर्युक्त गृह भाड़ा भत्ते की पात्रता निर्धारित प्रतिबंधों एवं शर्तों के अधीन होगी। इन कर्मचारियों के लिए गृह भाड़ा भत्ते की गणना के लिए वेतन के प्रयोजन के लिए विद्यमान वेतनमान में मूल वेतन व वैयक्तिक वेतन (यदि हो तो) को 2.26 के गुणक करने से प्राप्त राशि होगी।

नया रायपुर क्षेत्र में निवास करने वाले कर्मचारियों को गृह भाड़ा भत्ता मूल वेतन का 30 प्रतिशत की दर से मंजूर किया या है। यह भत्ता नया रायपुर क्षेत्र की आवासीय कालोनियों में किराये कामकान लेकर निवास करते हैं, उन्हें भी मूल वेतन का 30 प्रतिशत गृह भाड़ा भत्ता या भवन का वास्तविक किराया, जो भी कम हो, प्राप्त होगा। यह सुविधा 31.10.2019 तक प्राप्त होगी रहेगी।

[वित्त एवं योजना विभाग क्र. 278/एल-2014-32-00122/वि/नि/चार, दिनांक 28.6.2014]

- - - - -

**विषयः- गृह भाड़ा भत्ता की स्वीकृति**

**संदर्भः-** सामान्य प्रशासन विभाग का परिपत्र क्रमांक 2208/2001/साप्रवि. दिनांक 17.4.2001

संदर्भित ज्ञापन के अनुसार ऐसे शासकीय सेवक जो स्वयं के विकल्प पर भिलाई नगर में रह रहे हैं, उन्हें गृह भाड़ा भत्ता की पात्रता के संबंध में वित्त विभाग से मार्गदर्शन चाहा गया है।

2. उक्त विषय में स्पष्ट किया जाता है कि रायपुर स्थित कार्यालयों में पदस्थ ऐसे कर्मचारी जो स्वयं के विकल्प पर भिलाई में किराये के आवास में निवास कर रहे हैं, उनका मुख्यालय गृह भाड़ा भत्ता के प्रयोजन से रायपुर मानते हुए रायपुर/भिलाई की दर से गृह भाड़ा भत्ता की पात्रता होगी, किन्तु ऐसी पात्रता निम्नलिखित प्रकरणों में नहीं होगीः-

(1) यदि शासकीय सेवक राज्य गठन अथवा रायपुर में पदस्थापना के पूर्व से ही भिलाई में निवास कर रहा है ।

(2) यदि वह भिलाई में स्वयं के मकान में निवास कर रहा है।

(3) जिस तिथि से रायपुर में शासकीय आवास आबंटित किया गया है उस तिथि से भिलाई के आवास हेतु गृह भाड़ा की पात्रता स्वमेव समाप्त हो जायेगी।

3. गृह भाड़ा भत्ता के भुगतान की अन्य शर्तें वित्त विभाग के ज्ञापन दिनांक 11.6.1987 के अनुसार होगी। वर्तमान में रायपुर/नया रायपुर में पर्याप्त शासकीय आवास उपलब्ध होने के कारण कंडिका 2 में उल्लिखित उक्त व्यवस्था तत्काल प्रभाव से समाप्त की जाती है।

[छ.ग.शा.वि.वि.क्र. 422/एफ 2016-01-00939/वित्त/नियम/चार,
दि. 26 अक्टूबर 2016]

Principal
Vishnu Charan Gupta Govt. College
Pussore, Dist.- Raigarh(C.G.)

अध्याय 20

# छ.ग. आचरण नियम, 1965

## (1) आचरण नियम के प्रमुख प्रावधान-

म. प्र. शासकीय सेवक आचरण नियम कर्मचारियों की संहिता है, जो शासकीय कर्त्तव्य पालन में मार्ग दर्शक है। शासकीय कर्मचारी का आचरण ऐसा होना चाहिए जिसमें ईमानदारी, कर्त्तव्य के प्रति निष्ठा, समान व्यवहार आदि का मिश्रण हो। केवल आचरण ही शुद्ध नहीं हो बल्कि शुद्ध दिखना भी चाहिए, उसी के मार्गदर्शन हेतु आचरण नियम हैं।

[1](क) (अ) अपने पदीय कृत्यों के पालन में अशिष्टता नहीं करेगा।

(ब) जनता के साथ पदीय संव्यवहार में या अन्यथा विलम्बकारी नीति नहीं अपनावेगा, न कार्य निपटाने में जानबूझकर विलम्ब करेगा।

(स) ऐसा कुछ नहीं करेगा जो अनुशासन हीनता का घोतक हो।

(द) उसको आंबटित शासकीय आवास को भाड़े पर नहीं देगा, पट्टे पर नहीं देगा, या किसी व्यक्ति को लाभ के लिये अधिभोग नहीं करने देगा।

(ख) (अ) विवाह की आयु, पर्यावरण के परिरक्षण, वन्य जीव संरक्षण, सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण के सम्बन्ध में शासन की नीती का पालन करेगा।

(ब) महिलाओं के विरूद्ध अपराध के निवारण में शासन की नीतियों का पालन करेगा। .....नियम-3

(2) शासकीय सेवक से अपेक्षा की जाती है कि वह बिना अवकाश स्वीकृति के अवकाश पर नहीं जावेगा लेकिन कभी-कभी अवकाश, सक्षम अधिकारी के पास स्वीकृति हेतु भेजा जाता है, अवकाश पर जाने की तिथि तक सक्षम स्वीकृति प्राप्त न हो तो अपने वरिष्ठ अधिकारी को स्थिति बता कर निर्देशानुसार कार्य करना चाहिए। .....नियम-7

(3) शासकीय सेवक को ऐसी संस्था में सम्मिलित नहीं होना चाहिए जिसका उद्देश्य, तथा कार्य कलाप भारत की सम्प्रभुता तथा अखण्डता, सार्वजनिक अव्यवस्था या नैतिकता के हितों पर प्रतिकूल प्रभाव डालते हों। .....नियम-8

(4) शासकीय सेवक केन्द्रीय सरकार राज्य सरकार की नीति या कार्य की आलोचना रेडियो प्रसारण समाचार प्रकाशन आदि के माध्यम से नहीं करेगा। .....नियम-9-10

(5) शासकीय सेवक सक्षम स्वीकृति के बिना कोई चन्दा वसूल नहीं करेगा। .....नियम-13

(6) शासकीय सेवक न दहेज लेगा न देगा। .....नियम-14 (क)

(7) शासकीय सेवक की पत्नी जीवित रहते बिना सक्षम स्वीकृति के दूसरी शादी नहीं करेगा। तथा ऐसा व्यक्ति जिसने पत्नी के जीवित रखते दूसरा विवाह किया है तो वह नियुक्ति के अयोग्य है। .....नियम-22

(8) शासकीय सेवक कर्त्तव्य पर रहते समय मादक पेयों या औषधियों का सेवन नहीं करेगा। .....नियम-23

(9) 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को कार्य पर नहीं लगावेगा।



Principal
Vishnu Charan Gupta Govt. College
Pussore, Dist.- Raigarh (C.G.)



## (2) शासकीय सेवक द्वारा जंगम/स्थावर सम्पत्ति की सूचना देना-

(1) शासकीय सेवक सेवा में प्रथम नियुक्ति के समय एवं तत्पश्चात् ऐसे अन्तराल पर जैसा शासन निर्देशित करे, विहित प्रारूप पर उसके स्वामित्व की उत्तराधिकार में प्राप्त अथवा अर्जित स्थावर/जंगम सम्पत्ति का विवरण प्रस्तुत करेगा।

(2) शासकीय सेवक कोई भी सम्पत्ति अर्जित करने की पूर्व जानकारी कार्यालय प्रमुख/नियंत्रण अधिकारी को देगा। यदि ऐसा संव्यवहार ऐसे व्यक्ति के साथ है जो पदीय संव्यवहार रखता हो, या किसी नियमित या ख्याति प्राप्त व्यापारी के मार्फत न हो तो पूर्व मन्जूरी लेना आवश्यक है।

## (3) सम्पत्ति के लेन देन की सूचना-

(1) मकान बनाने या उसका विस्तार करने की सूचना नियम 19(1) के अन्तर्गत निर्धारित फार्म में दी जाना चाहिए।

(2) ऐसी जंगम (चल) सम्पत्ति जो उसके स्वामित्व की हो, या उसके स्वयं के या परिवार के नाम से धारित हो, के लेन देन की रिपोर्ट सक्षम अधिकारी को करना चाहिये यदि उसका मूल्यः

(1) प्रथम एवं द्वितीय श्रेणी के लिये रु. 10,000/- या अधिक हो

(2) तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के लिये रु. 5,000/- या अधिक हो

**जंगम सम्पत्ति में सम्मिलित है-** (क) ज्वेलरी, बीमा पलिसियां, अंश, प्रतिभूति, ऋण पत्र, आदि

(ख) शासकीय सेवकों द्वारा लिये गये ऋण चाहे प्रतिभूति हो या न हो।

(ग) मोटर कार, मोटर सायकल, घोड़े, सवारी के अन्य साधन।

(घ) रेफ्रिजरेटर, रेडियो, टेलीविजन, व्ही. सी. आर. टेलीविजन सेट तथा अन्य विद्युत तथा इलेक्ट्रिक उपकरण आदि।

## (4) उपहार लेना-

(1) नियम 14 के प्रावधानों के अतिरिक्त कोई भी शासकीय सेवक कोई उपहार न तो स्वीकृत करेगा नाही अपने परिवार के सदस्यों को अनुज्ञा देगा।

**नोट-** 'उपहार' में निःशुल्क परिवहन, भोजन, आवास या सेवा, शासकीय सेवक से कोई पदीय संव्यवहार न रखने वाले निकट संबंधी या मित्र द्वारा दिया व्यवहार 'उपहार' सम्मिलित नहीं है।

(2) विवाह, वर्ष गांठ, अत्येष्टि या अन्य धार्मिक, सामाजिक प्रथा के अनुसार, शासकीय सेवक अपने निकट संबंधी से निम्न सीमा तक उपहार स्वीकार कर सकता है लेकिन उसकी सूचना अपने वरिष्ठ अधिकारी को देगा यथाः-

(1) प्रथम तथा द्वितीय श्रेणी के अधिकार रु. 12,000/- या अधिक

(2) तृतीय श्रेणी का पद धारण करने वाले रु. 5,000/- या अधिक

(3) चतुर्थ श्रेणी के शासकीय सेवक रु. 2,000/- या अधिक

**नोटः-** दो हजार से अधिक की राशि के चेक द्वारा ही स्वीकार की जायेगी।

नियम 14 (3) के अनुसार उपरोक्त (2) के अवसर पर

प्रथम एवं द्वितीय श्रेणी के अधिकारी- 4000 तक

तृतीय श्रेणी के अधिकारी- 1500 तक
चतुर्थ श्रेणी के अधिकारी- 1000 तक
14 (4) अन्य छोटे मोटे अवसर पर
(1) प्रथम व द्वितीय श्रेणी 200/-
(2) तृतीय व चतुर्थ श्रेणी 50/-
[नियम 14(2) व (3)]

## (5) अन्य सावधानियाँ-

(1) शासकीय सेवक उद्घाटन, अनावरण, शिलान्यास आदि कार्य नहीं करेगा। म. प्र. शासन क्र. 19/246/85/1/4/दि. 2/5/86।

(2) शासकीय सेवक राजनैतिक संगठन जैसे आल इण्डिया स्टूडेन्ट्स फेडरेशन, रा. स्व. सेवक संघ, जमाते इस्लामी, आनन्द मार्ग आदि के कार्य कलापों में भाग नहीं लेगा।

म. प्र. शासन (सा. प्र. वि.) क्र. 5/3/74/3/1/दि. 3-9-74 (2) 171/52/1/3/81, 173/165/1/(3) 81 दि. 16-4-81।

(3) जनहित के कार्यों के लिये कलेक्टर को रू. 10,000/- तक चन्दा लेने के लिए अधिकृत किया गया है यथा :

(1) स्थानीय विपदा (2) कृषि प्रदर्शनी (3) पशु प्रदर्शनी
(4) रेड्क्रास सोसायटी/विकलांग सहायता (5) औषधालय (6) खेलकूद आदि।

## (6) आचरण नियम के अन्तर्गत वर्जित कार्य :

(1) किसी विश्वविद्यालयीन डिग्री के लिये किसी शैक्षणिक संस्था में भरती होना
(2) शासकीय संरक्षण प्राप्त प्रायवेट उपक्रमों में उसके निकट संबंधी या आश्रित को नौकरी में रखना।...........नियम-4 उपरोक्त (1) तथा (2) हेतु शासन की पूर्व अनुमति आवश्यक है।
(3) शासकीय सेवक राजनीतिक दल का सदस्य न होगा तथा राजनीति में भाग नहीं लेगा। ........नियम-5
(4) शासकीय सेवक हड़ताल, प्रदर्शन में भाग नहीं लेगा। ..............नियम-6
(5) शासकीय सेवक किसी समिति द्वारा जाँच में बिना पूर्व अनुमति भाग नहीं लेगा। ............नियम (11)
(6) शासकीय सेवक किसी अन्य शासकीय सेवक या अन्य व्यक्ति को जिसको शासकीय कार्य/अभिलेख की जानकारी देने के लिये अनुमत न हो, जानकारी नहीं देगा।
(7) कोई भी शासकीय सेवक किसी स्टाक अंश या विनिधान में सट्टा नहीं लगावेगा न ब्याज पर रकम उधार देगा।
(8) अपने मित्र को बिना ब्याज रुपया उधार देना, या व्यापारी के यहाँ उधारी खाता रखना। या (किसी नौकर को अग्रिम देना इसमें सम्मिलित नहीं हैं।)..नियम-17
(9) शासकीय सेवक अपनी सेवा के मामले में अशासकीय या अन्य व्यक्ति का प्रभाव नहीं डलवायेगा। ..........नियम-21

नियम 16 के अनुसार अन्य उपबन्ध-- (1) कोई शासकीय सेवक उपनियम (2) के उपबन्धों के अध्याधीन रहते हुए शासन के पूर्व अनुमोदन के बिना--

(क) प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कारबार या व्यापार नहीं करेगा।
(ख) कोई अन्य सेवा नहीं करेगा।
(ग) किसी निगमित या अनिगमित निकाय में कोई पद धारण नहीं करेगा या किसी अभ्यार्थी के लिये प्रचार नहीं करेगा।
(घ) अपने कुटुम्ब के किसी सदस्य के स्थायित्व की या उसके द्वारा प्रबंधित किसी बीमा कंपनी कमीशन ऐजेन्सी आदि के समर्थन में प्रचार नहीं करेगा।
(ङ) अपने पदीय कर्त्तव्यों के पालन के अतिरिक्त किसी बैंक, सहकारी संस्था से संप्रवर्तन या प्रबन्ध में भाग नहीं लेगा।

2 (क) कोई भी शासकीय सेवक शासन की पूर्व अनुमति के बिना किसी सामाजिक या खैराती प्रकृति के क्रिया-कलापों में भाग नहीं लेगा।
(ख) किसी साहित्यिक, कलात्मक या वैज्ञानिक पद्धति के यदा कदा होने वाले क्रिया कलापों में भाग ले सकता है।
(ग) खेलकूद के क्रियाकलापों में अध्यव्यसायी के रूप में भाग नहीं लेगा।
(घ) साहित्यिक, वैज्ञानिक या सोसायटी, क्लबों या अन्य प्रकार के संगठन के कार्यों में भाग नहीं लेगा।
(ङ) सहकारी सोसायटी के प्रबन्धन में भाग ले सकेगा परन्तु यदि शासन द्वारा निर्देशित करने पर कार्य बन्द कर देगा।

(3) यदि शासकीय सेवक के परिवार का कोई सदस्य किसी कारोबार/व्यापार में लगा है तो उसकी सूचना शासन को देगा।

(4) शासकीय सेवक शासन के आदेश बिना कोई फीस प्राप्त नहीं करेगा।

नियम (22) में महिला शासकीय कर्मचारी को यौन उत्पीड़न में सम्मिलित नहीं होगा। शासकीय सेवक के 26-1-2000 के पश्चात् दो से अधिक बच्चे होना अवचार माना जावेगा। नियम 23 के अनुसार 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को काम पर नहीं लगावेगा।

(5) आचरण नियम 22 के उपनियम (3) के अन्तर्गत यौन उत्पीड़न की शिकायत की जाँच करने की गठित समिति को या यदि अनुशासनिक प्राधिकारी द्वारा जाँच अधिकारी नियुक्त किया जावे तो वह म. प्र. सिविल सर्विस (वर्गीकरण, नियंत्रण अपील) नियम, 1966 के नियम 14-क के अन्तर्गत जाँच अधिकारी समझा जावेगा तथा समिति इसी नियम की प्रक्रियानुसार जाँच करेगा।

### मकान बनाने/बने मकान में विस्तार करने/की सूचना देने और विहित प्राधिकारी से मन्जूरी प्राप्त करने का फार्म

महोदय :

मैं निवेदन करता हूं कि निम्न स्थान पर नया मकान बनाना/पुराने मकान का विस्तार करना चाहता हूं, जिसका विवरण व अनुमानित लागत निम्नहै। कृपया स्वीकृति प्रदान करे।

**विवरण**

भूमि का विवरण :-
(1) स्थिति ................मोहल्ला............नगर पालिका/सर्वे का क्रमांक ..........तहसील...... जिला............

for Principal
Vishnu Charan Gupta Govt. Colle...
Pussore, Dist.- Raigarh (C.G.)

(2) क्षेत्रफल.....मूल्य.....

निर्माण के सामान की मात्रा तथा मूल्य (अनुमानित)

(1) ईंट (संख्या)..... मूल्य.....
(2) पत्थर..... मूल्य.....
(3) सीमेन्ट.....बोरे मूल्य.....
(4) गिट्टी.....ट्रक मूल्य.....
(5) रेती.....ट्रक मूल्य.....
(6) लोहा.....टन मूल्य.....
(7) दरवाजे/खिड़की.....नग मूल्य.....
(8) फर्श..टाइल्स..... मूल्य.....
(9) सेनिटरी फिटिंग..... मूल्य.....
(10) बिजली फिटिंग..... मूल्य.....
(11) अन्य कार्य पेंटिंग आदि मूल्य.....
(12) उपरोक्त के अतिरिक्त अन्य मद.....
(13) मजदूरी.....

भूमि तथा भवन की कुल लागत

.....

भवन बनाने हेतु धन की व्यवस्था.....

हस्ताक्षर

(नाम).....

(पद).....

स्थान.....

**कार्य पूर्ण होने पर सूचना देने और मूल्याकंन प्रतिवेदन फार्म पर प्रस्तुत किया जावेगा।**

**प्रारूप-2**

महोदय :

मैंने आपको दिनांक.....को भवन बनाना/पुराने मकान का विस्तार करने की सूचना दी थी जिस पर मुझे आदेश क्र.....दिनांक .....द्वारा मन्जूरी दी गई है। मकान का कार्य पूर्ण हो चुका है। मैं .....द्वारा प्रमाणित मूल्यांकन का आकंलन पत्र सलंग्न है। कर रहा हूं।

संलग्न/आकंलन पत्र

हस्ताक्षर

पद.....

स्थान.....

## (7) कुटुम्ब से आशय-

(एक) शासकीय सेवक की पत्नी या उसका पति, चाहेवह शासकीय सेवक के साथ रहती/रहता हो अथवा नहीं, किन्तु उसमें यथास्थिति ऐसी पत्नी या ऐसा पति शामिल नहीं हैं, जिसका कि सक्षम न्यायालय की डिक्री या आदेश द्वारा शासकीय सेवक से अलगाव हो गया है।

Principal
Vishnu Charan Gupta Govt. Co
Pussore, Dist.- Raigarh

(दो) शासकीय सेवक का पुत्र या पुत्री या सौतेला पुत्र या सौतेली पुत्री जो उस पर पूर्णतः आश्रित हो, किन्तु उसमें ऐसा बालक या सौतेला बालक, जो अब शासकीय सेवक पर किसी भी प्रकार से आश्रित नहीं है या जिसे अभिरक्षा में रखने से शासकीय सेवक को किसी भी विधि द्वारा या उसके अधीन वंचित कर दिया गया है, शामिल नहीं है।

(तीन) कोई भी अन्य व्यक्ति, जो शासकीय सेवक या शासकीय सेवक की पत्नी या उसके पति से चाहे रक्त द्वारा या विवाह द्वारा, संबंधित हो तथा शासकीय सेवक पर पूर्णतः आश्रित हो।

[नियम 3(ग) सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965]

## (8) शासकीय सेवकों के अचल सम्पत्ति विवरण कम्प्यूटर वेबसाइट पर उपलब्ध कराना-

मध्यप्रदेश सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 सिविल सेवाओं और पदों पर नियुक्त समस्त व्यक्तियों को लागू किये गये हैं। उपरोक्त नियमों के नियम 19(1) में अचल सम्पत्ति विवरण प्रस्तुत किये जाने के संबंध में निम्नानुसार प्रावधान है-

1. प्रत्येक शासकीय सेवक किसी भी सेवा या पद पर उसके पहली बार नियुक्त होने पर तथा उसके पश्चात् ऐसे अंतरालों पर, जो शासन द्वारा उल्लेखित किये जायें, अपनी आस्तियों तथा दायित्वों की विवरणी निम्नलिखित के संबंध में पूर्ण विशिष्टियाँ देते हुए ऐसे फार्म में जो कि शासन द्वारा विहित किये जायें, प्रस्तुत करेगा-

(क) उसके द्वारा दाय में प्राप्त की गई (inherited) या उसके स्वामित्व कीया उसके द्वारा अर्जित की गई या उसके स्वयं के नाम से अथवा उसके कुटुम्ब के किसी सदस्य के नाम से अथवा किसी अन्य व्यक्ति के नाम से पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित स्थावर (अचल) सम्पत्ति।

(उपरोक्त उपनियम (1) चतुर्थ श्रेणी के सेवकों के लिए लागू नहीं।)

2. संदर्भित ज्ञापन दिनांक 05.01.1994 द्वारा ये निर्देश जारी किये गये थे कि प्रत्येक शासकीय सेवक अपने अचल सम्पत्ति का विवरण विहित प्रपत्र में सक्षम प्राधिकारी को प्रतिवर्ष 31 जनवरी के पूर्व प्रस्तुत करेगा। विहित प्रपत्र संलग्न है। यदि कोई शासकीय सेवक उपनियम-19(1) में विहित विवरणी प्रस्तुत करने में असफल रहता है तो इसे अवचार मानकर उसके विरुद्ध आचरण नियमों के अंतर्गत अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाये।

3. शासन द्वारा निर्णय लिया गया है कि सभी विभाग/विभागाध्यक्ष उनके अधीनस्थ सभी शासकीय सेवकों का अद्यतन सम्पत्ति विवरण उनके विभाग की वेबसाइट पर दिनांक 30 अप्रैल, 2010 तक आवश्यक रूप से उपलब्ध करायें। विभागाध्यक्ष एवं नियंत्रण रखने वाले अधिकारियों की यह व्यक्तिगत जिम्मेदारी होगी कि वे देखें कि उनके अधीनस्थ समस्त अधिकारी/कर्मचारी अपना सम्पत्ति विवरण यथासमय प्रस्तुत करें एवं प्राप्त अचल सम्पत्ति विवरण विभाग की वेबसाइट पर सार्वजनिक कर दिया गया है। यह जानकारी प्रतिवर्ष वेबसाइट पर अद्यतन की जायेगी। यदि जानकारी वेबसाइट पर उपलब्ध कराने में कोई कठिनाई हो ते इस संबंध में सूचना प्रौद्योगिकी विभाग में सम्पर्क कर कठिनाई का निवारण करायें।

4. कृपया आप अपने अधीनस्थ सभी शासकीय सेवकों को उपरोक्त निर्देशों से अवगत

# fo"k; lwph


| fo"k; | fu;e | i"B la[;k |
|---|---|---|
| **v/;k;&,d**<br>**izkjfEHkd** | | |
| संक्षिप्त नाम एवं प्रारंभ | 1 | 1 |
| प्रयुक्ति का क्षेत्र | 2 | 1 |
| परिभाषाएं | 3 | 1 |
| अस्थाई स्थानान्तरण पर या बाह्य सेवा पर शासकीय सेवक | 4 | 2 |
| अन्य अवकाश नियमों द्वारा शासित सेवाओं अथवा पदों से स्थानान्तरण | 5 | 2 |
| **v/;k;&nks**<br>**lkekU; 'krsZ** | | |
| अवकाश का अधिकार | 6 | 3 |
| अवकाश के दावे का विनियमन | 7 | 3 |
| पदच्युति, निष्कासन अथवा त्यागपत्र का जमा अवकाश पर प्रभाव | 8 | 3 |
| एक प्रकार के अवकाश का दूसरे प्रकार के अवकाश में परिवर्तन | 9 | 4 |
| विभिन्न प्रकार के अवकाश का संयोजन | 10 | 4 |
| कर्त्तव्य से अनुपस्थिति की अधिकतम अवधि | 11 | 4 |
| अवकाश पर रहते हुए सेवा या नियोजन स्वीकार करना | 12 | 4 |
| **v/;k;&rhu**<br>**vodk'k dh Lohd`fr rFkk vodk'k ls okilh** | | |
| अवकाश हेतु आवेदन | 13 | 5 |
| अवकाश लेखा | 14 | 5 |
| अवकाश के स्वत्व का सत्यापन | 15 | 5 |
| कुछ परिस्थितियों में अवकाश स्वीकृत न किया जाना | 16 | 6 |
| चिकित्सा प्रमाणपत्र पर शासकीय सेवक को अवकाश की स्वीकृति | 17 | 6 |
| उस शासकीय सेवक को अवकाश, जिसकी स्वस्थ होकर कर्त्तव्य पर वापस आने की संभावना न हो | 18 | 7 |
| अवकाश का प्रारंभ और समापन | 19 | 8 |
| अवकाश के साथ सार्वजनिक छुट्टियों का संयोजन | 20 | 8 |
| खाते में जमा अवकाश की सूचना | 21 | 9 |
| अवकाश समाप्ति के पूर्व कर्त्तव्य पर वापस बुलाना | 22 | 9 |
| अवकाश से वापसी | 23 | 9 |
| अवकाश समाप्ति के पश्चात अनुपस्थिति | 24 | 10 |

| fo"k; | fu;e | i"B l[;k |
|---|---|---|
| **v/;k;&pkj** | | |
| **n; vkj Lohdk;l vodk'kk ds idkj** | | |
| विश्रामावकाश विभाग को छोड़कर, अन्य विभागों में सेवारत शासकीय सेवकों को अर्जित अवकाश | 25 | 10 |
| अर्जित अवकाश की गणना | 26 | 12 |
| विश्रामावकाश विभाग में सेवारत व्यक्तियों को अर्जित अवकाश | 27 | 12 |
| अर्धवेतन अवकाश | 28 | 14 |
| लघुकृत अवकाश | 29 | 15 |
| अदेय अवकाश | 30 | 16 |
| असाधारण अवकाश | 31 | 17 |
| परिवीक्षाधीन, व्यक्ति जो परिवीक्षा पर हो तथा प्रशिक्षु को अवकाश | 32 | 17 |
| सेवानिवृत्ति पूर्व अवकाश | 33 | 17 |
| सेवानिवृत्ति, अनिवार्य सेवानिवृत्ति अथवा सेवा त्यागने की तिथि के बाद अवकाश | 34 | 18 |
| सेवानिवृत्ति के पश्चात् पुनर्नियुक्त व्यक्ति | 35 | 18 |
| अवकाश वेतन | 36 | 18 |
| अवकाश वेतन का आहरण | 37 | 19 |
| **v/;k;&ikp** | | |
| **v/;;u vodk'k l vfrfjDr fo'k"k idkj ds vodk'k** | | |
| प्रसूति अवकाश | 38 | 19 |
| पितृत्व अवकाश | 38–क | 20 |
| दत्तक ग्रहण अवकाश | 38–ख | 20 |
| जानबूझकर पहुंचाई गई क्षति हेतु विशेष निर्योग्यता अवकाश | 39 | 21 |
| आकस्मिक क्षति हेतु विशेष निर्योग्यता अवकाश | 40 | 22 |
| विशेष निर्योग्यता अवकाश स्वीकृति की शक्ति | 40–क | 22 |
| विशेष निर्योग्यता अवकाश तथा अध्ययन अवकाश के अलावा अवकाश मंजूर करने की शक्ति | 41 | 22 |
| **v/;k;&N%** | | |
| **v/;;u vodk'k** | | |
| अध्ययन अवकाश स्वीकृति की शर्तें | 42 | 23 |
| अध्ययन अवकाश की स्वीकृति | 43 | 24 |
| एक समय पर तथा संपूर्ण सेवाकाल में स्वीकृति योग्य अधिकतम अध्ययन अवकाश की मात्रा | 44 | 25 |
| अध्ययन अवकाश का लेखांकन तथा अन्य प्रकार के अवकाश के साथ संयोजन | 45 | 25 |
| अध्ययन पाठ्यक्रम से आगे के अध्ययन अवकाश का विनियमन | 46 | 25 |
| अवकाश वेतन के अतिरिक्त भत्ते की पात्रता | 47 | 26 |
| यात्रा भत्ते की स्वीकृति | 48 | 26 |
| बन्धपत्र का निष्पादन | 49 | 26 |
| अध्ययन अवकाश के पश्चात अथवा अध्ययन पाठ्यक्रम पूर्ण होने के पूर्व त्यागपत्र अथवा सेवानिवृत्ति | 50 | 26 |

| fo"k; | fu;e | i"B l[;k |
|---|---|---|
| अध्ययन अवकाश की अवधि में अवकाश वेतन | 51 | 27 |
| अध्ययन अवकाश का पदोन्नति, पेंशन, वरिष्ठता, अवकाश एवं वेतनवृद्धि हेतु गणना | 52 | 28 |
| अध्ययन अवकाश हेतु आवेदन पत्र | 53 | 28 |
| **v/;k;&lkr fofo/k** | | |
| निर्वचन | 54 | 28 |
| निरसन एवं व्यावृत्ति | 55 | 28 |
| **ifi=k dh lph** | | |
| **ifi=** | **ifi= dekd** | **i"B dekd** |
| अवकाश अथवा अवकाश में वृद्वि का आवेदन पत्र | 1 | 29 |
| अवकाश लेखा का प्रपत्र | 2 | 30 |
| शासकीय सेवक के अवकाश या अवकाश में वृद्धि या लघुकृत अवकाश की अनुशंसा हेतु चिकित्सा प्रमाण पत्र | 3 | 32 |
| कर्तव्य पर लौटने हेतु स्वस्थता का चिकित्सा प्रमाण पत्र | 4 | 33 |
| स्थाई शासकीय सेवक द्वारा अध्ययन अवकाश में जाते समय निष्पादन हेतु बन्ध पत्र | 5 | 34 |
| अध्ययन अवकाश में वृद्धि स्वीकृत होने पर स्थाई शासकीय सेवक द्वारा निष्पादन हेतु बन्धपत्र | 6 | 35 |
| अस्थाई शासकीय सेवक द्वारा अध्ययन अवकाश में जाते समय निष्पादन हेतु बन्ध पत्र | 7 | 36 |
| अध्ययन अवकाश में वृद्धि स्वीकृत होने पर अस्थाई शासकीय सेवक द्वारा निष्पादन हेतु बन्ध पत्र | 8 | 38 |

# vf/klpuk

भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियो को प्रयोग में लाते हुए, छत्तीसगढ़ के राज्यपाल एतद्द्वारा निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :–

## fu;e

## v/;k; & ,d
## ikjfHkd

**1- lf{kIr uke ,o ikjHk-&** (1) ये नियम छत्तीसगढ़ सिविल सेवाएं (अवकाश) नियम 2010 कहलायेगें।
(2) ये 1 अक्टूबर 2010 से प्रवृत्त होंगे ।

**2- i;fDr dk {k=-&** इन नियमों में अन्यथा उपबंधित को छोड़कर, ये नियम उन सभी शासकीय सेवकों पर लागू होंगे, जो इन नियमो के लागू होने की तिथि पर सेवा में हैं, एवं जो राज्य के कार्य से संबंधित सिविल सेवाओं तथा पदो पर नियुक्त है, किन्तु निम्नलिखित को लागू नहीं होंगे :–
(क) आकस्मिक अथवा दैनिक दर अथवा अंशकालीन नियोजन में नियुक्त व्यक्तियों पर;
(ख) आकस्मिकता से भुगतान प्राप्त करने वाले व्यक्तियों पर;
(ग) कार्यभारित स्थापनाओं में नियोजित व्यक्तियों पर;
(घ) जहॉ संविदा में अन्यथा उपबंधित हों, को छोड़कर संविदा पर नियोजित व्यक्तियों पर;
(ड.) ऐसे व्यक्तियों पर जिनके संबंध में संविधान अथवा संविधान के किसी उपबन्ध अथवा तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के द्वारा या के अधीन विशिष्ट प्रावधान किया गया हो ;
(च) राज्य शासन के किसी विभाग के अधीन केन्द्र शासन अथवा किसी अन्य स्त्रोत से सीमित अवधि के लिए प्रतिनियुक्ति पर सेवारत व्यक्तियों पर ;
(छ) अखिल भारतीय सेवा के सदस्यों पर ।

**3- ifjHkk"kk,-&** (1) इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो.–

(क) ''सेवा का पूर्ण वर्ष'' या ''एक वर्ष की निरंतर सेवा'' से अभिप्रेत है, राज्य शासन के अधीन विनिर्दिष्ट अवधि की निरंतर सेवा तथा जिसमें कर्तव्य पर व्यतीत अवधि के साथ असाधारण अवकाश को शामिल करते हुए ली गई अवकाश की अवधि शामिल है ;
(ख) शासकीय सेवक के संबंध में ''सेवानिवृत्ति की तिथि'' अथवा ''उसके सेवानिवृत्ति की तिथि'' से अभिप्रेत है, उस माह के अंतिम दिन का अपरान्ह् जिसमें शासकीय सेवक उसकी सेवा को शासित करने वाले निबंधन एवं शर्तो के अधीन सेवानिवृत्ति हेतु निर्धारित आयु प्राप्त करता है ;

(ग) ''बाह्य सेवा'' से अभिप्रेत है, ऐसी सेवा, जिसमें शासकीय सेवक अपना वेतन भारत की संचित निधि अथवा किसी अन्य राज्य की संचित निधि अथवा किसी केन्द्र शासित प्रदेश की संचित निधि के अलावा शासन की स्वीकृति से किसी अन्य स्त्रोत से प्राप्त करता है ;

(घ) ''प्रपत्र'' से अभिप्रेत है, इन नियमों के साथ संलग्न प्रपत्र ;

(ड.) ''अर्धस्थाई सेवा में शासकीय सेवक'' से अभिप्रेत है, ऐसा शासकीय सेवक जिसे छत्तीसगढ़ शासकीय सेवक (अस्थाई एवं अर्धस्थाई सेवा) नियम, 1960 के अंतर्गत अर्धस्थाई घोषित किया गया हो अथवा माना गया हो ;

(च) ''स्थाई सेवा में शासकीय सेवक'' से अभिप्रेत है, ऐसा शासकीय सेवक जो किसी स्थाई पद को मौलिक रूप से अथवा अनन्तिम मौलिक रूप से धारण करता है, अथवा जो किसी पद पर धारणाधिकार रखता है, अथवा यदि उसका धारणाधिकार निलंबित नहीं किया गया होता तो उसका स्थायी पद पर धारणाधिकार होता ;

(छ) ''विश्रामावकाश विभाग'' से अभिप्रेत है, ऐसा विभाग या विभाग का वह भाग, जिसमें नियमित विश्रामावकाश की अनुमति इस अवधि में दी जाती है, जिसमें विभाग में सेवारत शासकीय सेवकों को अपने कर्तव्य से अनुपस्थित रहने की अनुमति दी गई हो ।

(2) यहाँ प्रयुक्त शब्द एवं अभिव्यक्तियाँ जो अपरिभाषित है किन्तु मूलभूत नियमों में परिभाषित है का क्रमशः वही अर्थ होगा जो मूलभूत नियमों में उनके लिए समनुदेशित है ।

**4- vLFkkb LFkkukUrj.k ij ;k ckg;lok ij 'kkldh; lod-&**

(1) शासकीय सेवक जिन्हें ये नियम लागू होते हैं केन्द्र शासन या किसी अन्य राज्य शासन या केन्द्र शासित प्रदेश में अस्थाई स्थानान्तरण के दौरान या भारत में बाह्यसेवा के समय, इन्हीं नियमों द्वारा निरंतर शासित होंगे।

(2) ऐसे शासकीय सेवकों के मामले में जो भारत के बाहर बाह्यसेवा (भारत में या भारत के बाहर यू0एन0 अभिकरण की सेवा को शामिल कर) में या केन्द्रीय सशस्त्र बल में अस्थाई स्थानान्तरण पर हो, ये नियम, यथास्थिति, केवल बाह्यसेवा या अस्थाई स्थानान्तरण के निबंधन एवं शर्तो में उपबंधित सीमा तक लागू होंगे।

**5- vU; vodk'k fu;ek }kjk 'kkflr lokvk vFkok ink l LFkkukUrj.k-&**

जब तक कि इन नियमों में अन्यथा उपबंधित न हो, स्थायी शासकीय सेवक जिसे ये नियम लागू नहीं होते हैं :-

(क) जब किसी ऐसी सेवा या पद पर अस्थायी रुप से स्थानांतरित हों, जिसमें ये नियम लागू होते है उन अवकाश नियमो के अध्यधीन बने रहेंगे जो ऐसे स्थानान्तरण के पूर्व उस पर लागू थे ; और

(ख) जब वह किसी ऐसे स्थाई पद पर मौलिक रूप से नियुक्त हों, जिसे ये नियम लागू होते हैं, तो ऐसी नियुक्ति की तिथि से इन नियमो के अध्यधीन होंगे, ऐसे मामले में उस पर पूर्व में लागू नियमों के अधीन उसके खाते में जमा अवकाश, नियम 25 में दिये गये अनुसार संचय की अधिकतम सीमा के अध्यधीन कैरी फारवर्ड किये जायेंगे । कैरी फारवर्ड किये गये अवकाश के संबंध में, अवकाश वेतन का वहन उस विभाग या शासन द्वारा किया जायेगा जहॉ से शासकीय सेवक, अवकाश पर प्रस्थान करता है ।

## v/;k; & nks
## lkekU; 'krs

**6- vodk'k dk vf/kdkj-&** (1) अधिकार के रुप में अवकाश का दावा नही किया जा सकता ।

(2) जब लोक सेवा की अत्यावश्यकताओं को देखते हुए ऐसा किया जाना अपेक्षित हो तो, इसकी स्वीकृति हेतु सक्षम प्राधिकारी द्वारा किसी भी प्रकार के अवकाश को अस्वीकृत या प्रत्याहृत किया जा सकेगा, किन्तु शासकीय सेवक के लिखित अनुरोध को छोड़कर, उस प्राधिकारी को किसी भी देय तथा आवेदित अवकाश के प्रकार बदलने की छूट नहीं होगी ।

**7- vodk'k dk nkos dk fofu;eu-&** शासकीय सेवकों के अवकाश का दावा, ऐसे नियमों से विनियमित होगा जो अवकाश का आवेदन करने एवं स्वीकृति के समय प्रवृत्त हो ।

**8- inP;qfr] fu"dklu vFkok R;kxi= dk tek vodk'k ij izHkko-&**

(1) शासकीय सेवक का, जिसे शासकीय सेवा से पदच्युत अथवा निष्कासित किया गया हो या जो शासकीय सेवा से त्यागपत्र देता हो, ऐसे पदच्युति, निष्कासन अथवा त्यागपत्र की तिथि से जमा अवकाश पर कोई भी दावा नही होगा।

(2) जहॉ, शासकीय सेवक अपने पैतृक कार्यालय अथवा विभाग के बाहर राज्य शासन के अधीन किसी अन्य पद के लिये आवेदन करता है और यदि ऐसा आवेदन उचित माध्यम से अग्रेषित किया जाता है तथा आवेदक को नया पद ग्रहण करने के पूर्व अपने पद से त्यागपत्र देना अपेक्षित होता है तो ऐसे त्यागपत्र के कारण उसके खाते में जमा अवकाश व्यपगत नहीं होगा ।

(3) शासकीय सेवक जिसे सेवा से पदच्युत अथवा निष्कासित किया गया है और अपील या पुनरीक्षण पर बहाल किया जाता है तो यथास्थिति ऐसी पदच्युति अथवा निष्कासन के पूर्व की उसकी सेवा को अवकाश हेतु संगणित कराने की पात्रता होगी ।

(4) शासकीय सेवक जो क्षतिपूर्ति या निर्योग्यता पेंशन अथवा उपादान (ग्रेज्युटी) पर सेवानिवृत्त होने के उपरांत पुनर्नियुक्त होता है तथा उसकी पूर्व की सेवा, पेंशन के लिए संगणित करने की अनुमति दी जाती है तो उसकी पूर्व की सेवा अवकाश के लिए संगणित कराने की पात्रता होगी।

**9- ,d idkj d vodk'k dk nlj idkj d vodk'k e ifjorlu-&** (1) शासकीय सेवक के निवेदन पर ऐसा प्राधिकारी जिसने उसका अवकाश स्वीकृत किया था, उस अवकाश को भूतलक्षी प्रभाव से किसी अन्य ऐसे अवकाश में परिवर्तित कर सकता है, जो उसे अवकाश स्वीकृति के समय देय तथा स्वीकार्य था, कर्मचारी की सेवा समाप्ति के पश्चात ऐसा परिवर्तन नहीं किया जा सकेगा। शासकीय सेवक ऐसे परिवर्तन को अधिकार के रूप में दावा नहीं कर सकेगा।

(2) शासकीय सेवक को अंतिम रूप से स्वीकृत अवकाश के आधार पर, एक प्रकार के अवकाश का दूसरे प्रकार में परिवर्तन, देय अवकाश वेतन के समायोजन के अध्यधीन होगा, अर्थात उससे अधिक भुगतान की गई राशि वसूल की जायेगी अथवा उसे देय किसी बकाया राशि का भुगतान किया जायेगा ।

**fVIi.kh&** नियम 30 के उपबंधो के अध्यधीन रहते हुए, चिकित्सा प्रमाणपत्र पर अथवा अन्यथा स्वीकृत किये गये असाधारण अवकाश को भूतलक्षी प्रभाव से अदेय अवकाश में परिवर्तित किया जा सकेगा ।

**10- fofHkUu idkj d vodk'k dk l;ktu-&** इन नियमों में अन्यथा उपबंधित के सिवाय, इन नियमों के अधीन किसी भी प्रकार का अवकाश, किसी अन्य प्रकार के अवकाश के साथ संयोजित करते हुए या उसके अनुक्रम में स्वीकृत किया जा सकेगा ।

**0;k[;k&** आकस्मिक अवकाश या ऐच्छिक अवकाश जिसे इन नियमों के अंतर्गत अवकाश के रूप में मान्य नहीं किया गया है, को इन नियमों के अधीन स्वीकार्य किसी अन्य प्रकार के अवकाश के साथ संयोजित नहीं किया जायेगा।

**11- dRr0; l vuifLFkfr dh vf/kdre vof/k-&** शासकीय सेवक को पांच वर्षो से अधिक निरंतर अवधि का किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा । (संशोधन)

**12- vodk'k ij jgr g, lok ;k fu;ktu Lohdkj djuk-&** (1) शासकीय सेवक (उस शासकीय सेवक को छोड़कर जिसे सीमित निजी व्यवसाय (प्रेक्टिस) करने की अनुमति दी गई है अथवा जिसे सामयिक साहित्यिक कार्य या परीक्षक के रूप में सेवा अथवा समरूप नियोजन स्वीकार करने की अनुमति दी गई है) अवकाश पर रहते हुए, जिसमें सेवानिवृत्ति पूर्व अवकाश शामिल है, अन्यत्र कोई सेवा या नियोजन, जिसमें लेखापाल, परामर्शदात्री अथवा विधि या चिकित्सा व्यवसायी के रूप में निजी व्यवसाय स्थापित करना सम्मिलित है, निम्न प्राधिकारी की पूर्व स्वीकृत प्राप्त किये बिना स्वीकार नहीं करेगा –

(क) राज्यपाल की, यदि प्रस्तावित सेवा अथवा नियोजन भारत के बाहर कहीं है ; अथवा

(ख) उसे नियुक्त करने हेतु सशक्त प्राधिकारी की, यदि प्रस्तावित सेवा अथवा नियोजन भारत में है ।

(2) शासकीय सेवक को, सेवानिवृत्ति पूर्व अवकाश को छोड़कर, अवकाश पर रहते हुए सामान्यतः किसी अन्य सेवा या नियोजन ग्रहण करने की अनुमति नहीं दी जायेगी ।

(3) सेवानिवृत्ति पूर्व अवकाश पर रहते हुए, शासकीय सेवक को निजी नियोजन ग्रहण करने की अनुमति नहीं दी जायेगी । तथापि, यदि, शासकीय सेवक को सेवानिवृत्ति पूर्व अवकाश पर रहते हुए किसी सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम अथवा नियम 33 के उप–नियम (2) में निर्दिष्ट किसी निकाय में नियोजन की अनुमति दी जाती है, तो उस स्थिति में भी सेवानिवृत्ति पूर्व अवकाश हेतु भुगतान योग्य वेतन की पात्रता वही होगी जो नियम 36 के अंतर्गत अनुज्ञेय है ।

(4) वह शासकीय सेवक जो सेवानिवृत्ति पूर्व अवकाश पर चला गया है, उसकी यदि सेवानिवृत्ति तिथि के पूर्व, ऐसे अवकाश पर रहते हुए, भारत में अथवा भारत के बाहर, राज्य शासन के अधीन किसी पद पर नियोजन हेतु आवश्यकता होती है, तो पुनः कार्यभार ग्रहण की तिथि से अवकाश के शेष भाग को निरस्त कर दिया जाएगा ।

## v/;k; & rhu
## vodk'k dh Lohd`fr rFkk vodk'k ls okilh

**13- vodk'k gsrq vkosnu-&** (1) अवकाश अथवा अवकाश में वृद्वि हेतु आवेदन, प्रपत्र–1 में ऐसे अवकाश अथवा अवकाश में वृद्वि स्वीकृत करने हेतु सक्षम प्राधिकारी को प्रस्तुत किया जाना चाहिए।

(2) अस्वस्थता के अलावा अन्य किसी आधार पर अवकाश हेतु आवेदन, उस तिथि से कम से कम तीन सप्ताह पूर्व प्रस्तुत किया जाना चाहिए। तथापि, यदि सेवानिवृत्ति पूर्व अवकाश हेतु आवेदन किया जाता है, तो यह सीमा छः सप्ताह की होगी । अवकाश स्वीकृति हेतु सक्षम प्राधिकारी अपने स्वविवेक से विलम्ब से प्राप्त आवेदन स्वीकार कर सकेंगे।

**14- vodk'k ys[kk-&** प्रत्येक शासकीय सेवक के लिए, कार्यालय प्रमुख द्वारा प्रपत्र–2 में एक अवकाश लेखा संधारित किया जायेगा ।

**15- vodk'k ds LoRo dk lR;kiu-&** (1) शासकीय सेवक को तब तक अवकाश स्वीकृत नहीं किया जाएगा, जब तक कि अवकाश लेखा संधारित करने वाले प्राधिकारी से उसकी पात्रता के संबंध में प्रतिवेदन प्राप्त न हो जाये। अवकाश स्वीकृति आदेश में, शासकीय सेवक के खाते में जमा अर्जित अवकाश/अर्धवेतन अवकाश के शेष को दर्शाया जाएगा।

(2) (क) जहां यह मानने का पर्याप्त कारण हो कि पात्रता संबंधी रिपोर्ट प्राप्त होने में अनावश्यक विलंब होगा, अवकाश स्वीकृति हेतु सक्षम प्राधिकारी, उपलब्ध जानकारी के आधार पर, शासकीय सेवक के अवकाश की पात्रता की गणना कर सकेगा तथा साठ दिन से अनधिक अवधि के लिये अनन्तिम अवकाश स्वीकृति आदेश जारी कर सकेगा ।

(ख) इस उप—नियम के अंतर्गत अवकाश की स्वीकृति, अवकाश लेखा संधारित करने वाले प्राधिकारी द्वारा सत्यापन के अध्यधीन होगा तथा जहॅा आवश्यक हो, उस अवधि हेतु संशोधित स्वीकृति आदेश जारी किया जा सकेगा ।

**16- dN ifjfLFkfr;ks esa vodk'k Lohd`r u fd;k tkuk-&** ऐसे शासकीय सेवक का अवकाश स्वीकृत नही किया जायेगा जिसे सक्षम दाण्डिक प्राधिकारी ने शासकीय सेवा से पदच्युत करने, हटाने अथवा अनिवार्य सेवानिवृत्त करने का निर्णय ले लिया है ।

**17- fpfdRlk izek.ki= ij 'kkldh; lsod dk vodk'k dh Lohd`fr-&** (1) शासकीय सेवक द्वारा प्रस्तुत चिकित्सा प्रमाणपत्र के आधार पर अवकाश हेतु आवेदन—पत्र के साथ प्राधिकृत चिकित्सा परिचारक अथवा पंजीकृत चिकित्सा व्यवसायी द्वारा प्रपत्र—3 पर दिये गये चिकित्सा प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा, जिसमें बीमारी की प्रकृति तथा संभावित अवधि को यथा संभव स्पष्ट रूप से परिभाषित करना चाहिए। ऐसा आवेदन पत्र, जहां तक संभव हो, की अवधि जिसके लिये अवकाश आवेदित है, के प्रारंभ होने के पूर्व अथवा के दौरान प्रस्तुत करना होगा :

परन्तु, आपवादिक परिस्थतियों में, जहां शासकीय सेवक के लिए उपरोक्त समय—सीमा में आवेदन पत्र प्रस्तुत करना यथोचित आधार पर व्यावहारिक न हो, इसे आवेदित अवकाश की अवधि प्रारंभ होने के दिनांक से सात दिनों के पश्चात् प्रस्तुत नही किया जा सकेगा :

परन्तु यह और भी कि, अपवादिक परिस्थितियों में, जहां अवकाश स्वीकृत करने हेतु सक्षम प्राधिकारी का यह समाधान हो जाए कि शासकीय सेवक के लिए अवकाश आवेदन—पत्र के साथ अपेक्षित चिकित्सा प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना यथोचित रूप से यथासाध्य नहीं था, वहां वह अपने स्वविवेक से ऐसे शासकीय सेवक द्वारा चिकित्सा प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने हेतु, आवेदित अवकाश की कालावधि के प्रारंभ होने की तिथि से सात दिनों के अनधिक विलंब का दोषमार्जन (छूट) कर सकेगा ।

(2) चिकित्सा प्राधिकारी, ऐसे किसी प्रकरण में अवकाश स्वीकृत करने की अनुशंसा नही करेगा जिसमें यथोचित प्रत्याशा प्रकट न होती है कि संबधित शासकीय सेवक अपना कार्य ग्रहण करने हेतु कभी भी योग्य होगा, और ऐसे मामले में राय होगी कि शासकीय सेवक शासकीय सेवा हेतु स्थायी रुप से अयोग्य है वहॉ चिकित्सा प्रमाणपत्र में यह अभिलिखित किया जायेगा ।

(3) अवकाश स्वीकृत करने हेतु सक्षम प्राधिकारी अपने स्वविवेक से, किसी शासकीय चिकित्सा अधिकारी, जो सिविल सर्जन से निम्न श्रेणी का न हो, से यथासंभव शीघ्र आवेदक की स्वास्थ्य परीक्षा करने हेतु अनुरोध करते हुए द्वितीय चिकित्सा अभिमत प्राप्त कर सकेगा ।

(4) उप–नियम (3) में निर्दिष्ट शासकीय चिकित्सा अधिकारी का यह कर्त्तव्य होगा कि वह बीमारी के तथ्यों तथा अनुशंसित अवकाश की आवश्यक मात्रा के संबंध में अपना अभिमत व्यक्त करें तथा इस प्रयोजन के लिए चाहे वह आवेदक को उसके समक्ष अथवा उसके द्वारा नामांकित चिकित्सा अधिकारी के समक्ष उपस्थित होने की अपेक्षा कर सकेगा ।

(5) इस नियम के अधीन स्वीकृत चिकित्सा प्रमाणपत्र, संबंधित शासकीय सेवक को स्वयमेव अवकाश का कोई अधिकार प्रदान नहीं करता है, चिकित्सा प्रमाणपत्र, अवकाश स्वीकृत करने हेतु सक्षम प्राधिकारी को अग्रेषित किया जायेगा तथा उस प्राधिकारी के आदेश की प्रतीक्षा की जायेगी ।

(6) अवकाश स्वीकृति हेतु सक्षम अधिकारी अपने स्वविवेक से, एक समय में सात दिन से अनधिक अवधि के अवकाश हेतु, आवेदन पत्र के मामले में चिकित्सा प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने से छूट प्रदान कर सकेगा । तथापि, ऐसा अवकाश, चिकित्सा प्रमाणपत्र पर लिया गया अवकाश नहीं माना जायेगा तथा चिकित्सा कारणों से अवकाश से भिन्न अवकाश के विरूद्व विकलित किया जायेगा।

**18- mI 'kkIdh; lsod dk vodk'k] ftIdh LoLFk gksdj dr0; ij okil vkus dh IHkkouk u gks-&** (1) (क) जब चिकित्सा अधिकारी ने यह प्रतिवेदित किया हो कि शासकीय सेवक के स्वस्थ होकर कर्तव्य पर वापस लौटने की यथोचित संभावना नहीं है तो ऐसे शासकीय सेवक का अवकाश अनिवार्यतः अस्वीकृत नहीं किया जायेगा ।

(ख) अवकाश यदि देय हो तो निम्नलिखित शर्तो पर अवकाश स्वीकृत करने वाले सक्षम प्राधिकारी द्वारा स्वीकृत किया जा सकेगा :–

(एक) यदि चिकित्सा अधिकारी निश्चित रूप से यह कहने में असमर्थ है कि शासकीय सेवक फिर कभी भी सेवा के योग्य नहीं होगा, ऐसा अवकाश स्वीकृत कर सकेगा जो कुल बारह माह से अधिक न हो तथा बिना किसी चिकित्सा प्राधिकारी को पुनः संदर्भित किये, ऐसे अवकाश को आगे नहीं बढ़ाया जायेगा ।

(दो) यदि शासकीय सेवक को किसी चिकित्सा प्राधिकारी द्वारा आगे की सेवा हेतु पूर्णतः और स्थाई रूप से अयोग्य घोषित किया जाता है तो चिकित्सा प्राधिकारी से प्रतिवेदन प्राप्त होने के पश्चात् ही, अवकाश अथवा अवकाश में वृद्वि स्वीकृत की जा सकेगी, परंतु चिकित्सा प्राधिकारी के प्रतिवेदन की तिथि से आगे की किसी कर्त्तव्य अवधि के साथ अवकाश खाते में विकलित अवकाश की अवधि, छः महिने से अधिक न हो ।

(2) शासकीय सेवक जिसे चिकित्सा प्राधिकारी द्वारा आगे की सेवा हेतु पूर्णतः तथा स्थाई रूप से अयोग्य घोषित किया गया है :

(क) यदि वह कर्त्तव्य पर है तो उसके कर्त्तव्य से भार मुक्त होने के दिनांक से सेवा से अयोग्य माना जाएगा, जिसकी व्यवस्था चिकित्सा प्राधिकारी का प्रतिवेदन प्राप्त होने पर अविलंब की जानी चाहिये, तथापि, यदि उसे उप–नियम (1) के अधीन अवकाश स्वीकृत किया गया है तो ऐसे अवकाश की समाप्ति पर सेवा से अयोग्य माना जायेगा ।

(ख) यदि वह पूर्व से ही अवकाश पर है, तो उस अवकाश की अथवा उप–नियम (1) के अंतर्गत स्वीकृत अवकाश में वृद्वि, यदि कोई हो, की समाप्ति पर सेवा से अयोग्य माना जायेगा ।

**19- vodk'k dk ikjHk vkj lekiu-&** नियम 20 में यथा उपबंधित के सिवाय, सामान्यतः अवकाश का प्रारंभ उस दिन से होगा जिस दिन कार्यभार का हस्तांतरण प्रभावी हो तथा उस दिन को समाप्त होगा जिस दिन कार्यभार पुनः ग्रहण किया जाये ।

**20- vodk'k d: lkFk lkotfud NfVV;k dk l;ktu-&** (1) उन मामलों को छोड़कर, जहां अवकाश स्वीकृत करने वाले प्राधिकारी द्वारा प्रशासकीय कारणों से अवकाश के पहले और/अथवा बाद में अवकाश (अवकाशों) को जोड़ने की अनुमति विशेष रूप से रोकी गई है, जिस दिन शासकीय सेवक का अवकाश प्रारंभ होता है उस दिन के ठीक पहले दिन अथवा जिस दिन शासकीय सेवक का अवकाश समाप्त होता है उस दिन के ठीक दूसरे दिन सार्वजनिक अवकाश है या सार्वजनिक अवकाशों की कोई श्रृखंला है तो शासकीय सेवक ऐसे सार्वजनिक अवकाश अथवा सार्वजनिक अवकाशों की श्रृखंला के पहले वाले दिन की कार्याविधि समाप्ति के पश्चात् मुख्यालय छोड़ सकता है, अथवा उसके दूसरे दिन वापस आ सकता है ।

(2) चिकित्सा प्रमाणपत्र के आधार पर अवकाश के प्रकरण में–

(क) जब शासकीय सेवक को कार्यालय में उपस्थित होने हेतु चिकित्सीय आधार पर अयोग्य घोषित किया गया हो तो ऐसे प्रमाणपत्र की तिथि के ठीक पूर्ववर्ती दिन के लिये सार्वजनिक अवकाश (अवकाशों) यदि कोई हो, उसे स्वयमेव अवकाश में जोड़ दिया जायेगा और ऐसे प्रमाणपत्र (उस तिथि को शामिल करते हुए) की तिथि के ठीक बाद में पड़ने वाले सार्वजनिक अवकाश (अवकाशों) के दिन को अवकाश का भाग माना जायेगा ।

(ख) जब एक शासकीय सेवक को कर्तव्य पर उपस्थित होने के लिये चिकित्सीय आधार पर योग्य प्रमाणित किया गया हो, ऐसे प्रमाणपत्र (उस दिन को शामिल करते हुए) के ठीक बाद के दिन में पड़ने वाले सार्वजनिक अवकाश को स्वयमेव अवकाश मे जोड़ दिया जायेगा और ऐसे प्रमाणपत्र की तिथि के पहले पड़ने वाले शासकीय अवकाश के दिनों को अवकाश का भाग माना जायेगा।

(3) यदि अवकाश के पूर्व सार्वजनिक अवकाश जोड़ा जाता है, तो अवकाश तथा इसके फलस्वरूप वेतन भत्ते में किसी पुनर्व्यवस्था का प्रभाव सार्वजनिक अवकाश के अगले दिन से होगा ।

(4) यदि अवकाश में सार्वजनिक अवकाश जोड़ा जाता है तो, अवकाश की समाप्ति तथा इसके फलस्वरूप वेतन भत्ते में किसी पुनर्व्यवस्था का प्रभाव उस दिन से होगा जिस दिन शासकीय अवकाश के न जोड़े जाने की स्थिति में अवकाश समाप्त होता ।

**21- [kkrs esa tek vodk'k dh lwpuk-&** शासकीय सेवक के अर्जित अवकाश/अर्धवेतन अवकाश स्वीकृति आदेश में, उसके खाते में शेष बचे अवकाश का उल्लेख होगा ।

**22- vodk'k lekfIr ds iwoZ dRrZO; ij okil cqykuk-&** शासकीय सेवक जो अवकाश पर है, यदि अवकाश समाप्ति के पूर्व कर्त्तव्य पर वापस बुलाया जाता है तो उसे निम्नानुसार पात्रता होगी :–

(क) यदि अवकाश जिससे वह वापस बुलाया गया है भारत में है तो, वह उस तिथि से कर्त्तव्य पर माना जायेगा जिस दिन पर उसे आदेश प्राप्त होता है और वह यात्रा प्रारंभ करता है, तथा वह–

(एक) उस यात्रा के लिये यात्रा भत्ता, इस विषय में बनाये गये नियमों के अंतर्गत प्राप्त करेगा ; और

(दो) जब तक वह अपना पद ग्रहण नहीं करता है, अवकाश वेतन, उस दर से प्राप्त करेगा जिस दर से कर्त्तव्य पर वापस न बुलाने की स्थिति में प्राप्त करता।

(ख) यदि अवकाश जिससे वह वापस बुलाया गया है भारत से बाहर है तो, वह उस तिथि से कर्त्तव्य पर माना जायेगा जिस तिथि को भारत के लिये यात्रा प्रारंभ करता है, तथा वह निम्नानुसार प्राप्त करेगा –

(एक) भारत तक की यात्रा तथा भारत पहुंचने की तिथि से अपना पद ग्रहण करने की तिथि की पूर्ववर्ती तिथि तक, अवकाश वेतन, उस दर से, जिस दर से कर्त्तव्य पर वापस न बुलाने की स्थिति में प्राप्त करता ;

(दो) भारत पहुंचने तक की निःशुल्क यात्रा सुविधा ;

(तीन) भारत से की गई यात्रा के किराये की वापसी, यदि उसने वापस बुलाये जाने पर भारत के लिये यात्रा प्रारंभ करने की तिथि तक अपने अवकाश का आधा समय अथवा तीन मास, जो भी कम हो, व्यतीत नहीं किया है ;

(चार) भारत में अवतरण के स्थान से कर्त्तव्यस्थल तक की यात्रा हेतु तत्समय प्रवृत्त नियमों के अधीन यात्रा भत्ता ।

**23- vodk'k ls okilh-&** (1) कोई भी शासकीय सेवक उसे स्वीकृत अवकाश की कालावधि की समाप्ति के पूर्व तब तक कर्त्तव्य पर वापस नहीं लौटेगा, जब तक कि उसका अवकाश स्वीकृत करने वाला प्राधिकारी उसे ऐसा करने की अनुमति नहीं देता ।

(2) उप–नियम (1) में किसी बात के अंतर्विष्ट होते हुए भी, सेवानिवृत्ति पूर्व अवकाश पर रहते हुये कोई भी शासकीय सेवक जिस पद से सेवानिवृत्ति पूर्व अवकाश पर गया था, उस पद पर नियुक्त करने हेतु सक्षम प्राधिकारी की सम्मति के सिवाय कर्तव्य पर वापस लौटने से वंचित किया जायेगा ।

(3) शासकीय सेवक जिसने चिकित्सा प्रमाणपत्र के आधार पर अवकाश लिया है तब तक कर्त्तव्य पर उपस्थित नहीं होगा जब तक कि प्रपत्र–4 में स्वस्थता प्रमाणपत्र प्रस्तुत नहीं कर देता ।

(4) (क) अवकाश से वापस लौटने वाले शासकीय सेवक को उस पद को जिसे वह अवकाश में जाने के पूर्व धारण करता था इस आशय के विशिष्ट आदेशों के अभाव में स्वाभाविक रूप से पुनः धारण करने की पात्रता नहीं होगी ।

(ख) ऐसा शासकीय सेवक अपने कर्तव्य पर लौटने की सूचना उस प्राधिकारी को देगा जिसने उसे अवकाश स्वीकृत किया था अथवा उस प्राधिकारी को देगा, यदि कोई, अवकाश स्वीकृति आदेश में विनिर्दिष्ट हो और उसके आदेश की प्रतीक्षा करेगा ।

**fVli.kh&** ऐसे शासकीय सेवक को, जो क्षय रोग से पीड़ित है, फिटनेस प्रमाणपत्र के आधार पर जिसमें उसके लिये हल्के कार्य की अनुशंसा की गई है, उपस्थित होने की अनुमति दी जा सकेगी ।

**24- vodk'k lekfIr d i'pkr vuqifLFkfr-&** (1) जब तक अवकाश स्वीकृत करने हेतु सक्षम प्राधिकारी अवकाश में वृद्धि स्वीकृत न करे, ऐसे शासकीय सेवक को जो अवकाश समाप्त होने के पश्चात अनुपस्थित रहता है, ऐसी अनुपस्थिति की अवधि जो अवकाश की स्वीकृति द्वारा आच्छादित नहीं है, समस्त उद्‌देश्यों के लिए जिसमें अवकाश भी शामिल है, 'अकार्य दिवस' माना जाएगा । ऐसी अनुपस्थिति की कालावधि के लिये उसे अवकाश वेतन की पात्रता नहीं होगी तथा वह अवधि उसके अवकाश खाते के विरुद्ध देय अवकाश की सीमा तक इस प्रकार से विकलित की जायेगी जैसे की वह अर्धवैतनिक अवकाश पर था, इस प्रकार से देय अवकाश से अधिक कालावधि, असाधारण अवकाश के समान मानी जायेगी ।

(2) अवकाश समाप्ति के पश्चात कर्त्तव्य से जानबूझकर अनुपस्थित रहने वाला शासकीय सेवक अनुशासनात्मक कार्यवाही का भागी होगा ।

## v/;k; & pkj

## n; vkj Lohdk; vodk'kk dk idkj

**25- foJkekodk'k foHkkx dk NkMdj] vU; foHkkxk e lokjr 'kkldh; lodk dk vftlr vodk'k-&** (1)(क)(एक) विश्रामावकाश विभाग को छोड़कर अन्य विभागो में सेवारत प्रत्येक शासकीय सेवक के अवकाश खाते में प्रत्येक कैलेंडर वर्ष में पहली जनवरी और पहली जुलाई को 15–15 दिनों की दो किश्तो में अग्रिम अर्जित अवकाश जमा किया जायेगा ।

(दो) यदि कोई शासकीय सेवक पूर्ण पदग्रहण काल का उपभोग किये बिना निम्न कारणों से किसी नये पद को ग्रहण करता है–

(क) उसे अपने स्वत्वानुसार पूर्ण पदग्रहण काल का उपभोग किये बिना किसी नये स्थान पर नया पद ग्रहण करने हेतु आदेशित किया जाता है, अथवा

(ख) वह अकेले नये पदस्थापना स्थल पर जाता है और पूर्ण पदग्रहण काल का लाभ उठाये बिना पद ग्रहण करता है और बाद में परिवार के लिए यात्रा भत्ता का दावा प्रस्तुत करने हेतु मान्य अवधि के भीतर अपना परिवार ले जाता है ;

छत्तीसगढ़ सिविल सेवाएं (पदग्रहण काल) नियम,1982 के नियम 5 के उप–नियम (4) के अधीन, अधिकतम 15 दिनों तक के यथास्वीकार्य पदग्रहण काल के दिनों की संख्या में से वास्तविक रूप से उपभोग किये गये दिनों की संख्या कम करते हुए, अर्जित अवकाश के रुप में उसके अवकाश खाते में समाकलित किया जायेगा :

परंतु इस प्रकार जमा हेतु स्वीकृत पदग्रहण काल के उपभोग नही किये जाने सहित उसके खाते में जमा अर्जित अवकाश 300 दिनों से अधिक नहीं होगा ।

(ख) पिछली छःमाही की समाप्ति पर शासकीय सेवक के खाते में जमा अवकाश को इस शर्त के अध्यधीन रहते हुए आगामी छःमाही में कैरी फारवर्ड किया जायेगा कि इस प्रकार से कैरी फारवर्ड किये गये अवकाश तथा छःमाही में जमा अवकाश का योग 300 दिनों की अधिकतम सीमा से अधिक नहीं होगा :

परंतु यह कि जहां दिसंबर एवं जून के अंतिम दिन शासकीय सेवक के खाते में जमा अर्जित अवकाश 300 दिन या उससे कम किन्तु 285 दिन (पिछली छःमाही के दौरान अर्जित अवकाश खाते में जमा पदग्रहण काल के उपभोग न किये जाने को छोड़कर ) से अधिक है तो जनवरी एवं जुलाई की पहली तिथि को जमा 15 दिन का अर्जित अवकाश खंड (ख) के अधीन उल्लेखित रीति से अवकाश लेखे में जमा करने के स्थान पर, पृथक से रखा जायेगा एवं शासकीय सेवक द्वारा उस छःमाही में लिये गये अर्जित अवकाश के विरूद्ध पहले समायोजित होगा, और यदि कोई शेष हो, तो उसे छःमाही की समाप्ति पर इस शर्त के अध्यधीन कि ऐसा अर्जित अवकाश तथा पूर्व से जमा अर्जित अवकाश का शेष 300 दिन की अधिकतम सीमा से अधिक न हो, अवकाश खाते में जमा किया जायेगा।

(2) यदि शासकीय सेवक, उस अर्ध कैलेंडर वर्ष के किसी भी शेष अंतिम दिन को अवकाश पर है तो वह उस प्रथम छःमाही पर जमा अर्जित अवकाश के लिए पात्र होगा, परंतु अवकाश स्वीकृत करने वाले सक्षम प्राधिकारी के पास विश्वास करने का यह कारण हो कि शासकीय सेवक इसकी समाप्ति पर कर्तव्य पर लौट आयेगा ।

(3) किसी शासकीय सेवक को एक समय में अधिकतम 180 दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जा सकेगा।

**26- vftZr vodk'k dh x.kuk-&** (1) किसी शासकीय सेवक के अवकाश खाते में, कैलेंडर वर्ष के जिस छःमाही में उसकी नियुक्ति हुई है, में की जाने वाली संभावित सेवा के लिये प्रत्येक पूर्ण कैलेंडर माह की सेवा हेतु 2½ दिन की दर से अर्जित अवकाश जमा किया जायेगा ।

(2) (क) जिस छःमाही के लिए शासकीय सेवक सेवानिवृत्त होने वाला है अथवा वह सेवा से त्यागपत्र देता है, तो ऐसी सेवानिवृत्ति अथवा त्यागपत्र की तिथि तक प्रत्येक पूर्ण कैलेंडर माह हेतु 2½ दिन की दर से अर्जित अवकाश जमा किया जायेगा ।

(ख) जब किसी शासकीय सेवक को सेवा से निष्कासित अथवा पदच्युत किया गया हो अथवा सेवा में रहते हुए उसकी मृत्यु हो गई हो, तो उसके अवकाश खाते में, जिस कैलेंडर माह में उसे सेवा से निष्कासित अथवा पदच्युत किया गया हो, अथवा सेवा में रहते हुये उसकी मृत्यु हो गई हो, से पिछली कैलेंडर माह की समाप्ति तक प्रत्येक पूर्ण कैलेंडर माह के लिए 2½ दिन प्रतिमाह की दर से अर्जित अवकाश जमा किये जाने की अनुमति दी जायेगी ।

(3) यदि किसी छःमाही में शासकीय सेवक द्वारा असाधारण अवकाश का उपभोग किया गया हो तथा/या अनुपस्थिति की कुछ अवधि 'अकार्य दिवस' की तरह मानी गयी हो, तो आगामी छःमाही के प्रारंभ पर उसके अवकाश खाते में जमा किये जाने वाले अवकाश में से, ऐसे अवकाश तथा/या अकार्य दिवस की अवधि का 1/10 वां भाग कम कर दिया जाएगा, किन्तु यह 15 दिन की अधिकतम सीमा के अध्यधीन होगा ।

(4) अर्जित अवकाश को खाते में जमा करते समय एक दिन के अपूर्णांक को निकटस्थ दिन में पूर्णांकित किया जायेगा अर्थात् आधे से कम अपूर्णांक को छोड़ दिया जायेगा और आधे या उससे अधिक को एक दिन संगणित किया जायेगा।

**27- foJkekodk'k foHkkx esa lsokjr 0;fDr;ksa dk vftZr vodk'k-&** (1)(क) विश्रामावकाश विभाग में सेवारत व्यक्ति के अवकाश खाते में प्रत्येक वर्ष पहली जनवरी तथा पहली जुलाई को दो किश्तों में पांच–पांच दिनों का अर्जित अवकाश अग्रिम जमा किया जायेगा ।

(ख) यदि किसी छःमाही में विश्रामावकाश विभाग में सेवारत व्यक्ति द्वारा असाधारण अवकाश का उपभोग किया गया हो तथा/या अनुपस्थिति की कुछ अवधि 'अकार्य दिवस' की तरह मानी गयी हो, तो आगामी छःमाही के प्रारंभ पर उसके अवकाश खाते में जमा किये जाने वाले अवकाश में से ऐसे अवकाश तथा/या अकार्य दिवस की अवधि का 1/30 वां भाग कम कर दिया जायेगा, किन्तु इसकी अधिकतम सीमा 5 दिन के अध्यधीन होगी ।

(ग) विश्रामावकाश विभाग में कार्यरत व्यक्तियों की जिस छःमाही में नियुक्ति/सेवा समाप्ति होती है, उसकी नियुक्ति/सेवा समाप्ति की छःमाही में की गई सेवा के प्रत्येक पूर्ण माह के लिये 5/6 दिन प्रतिमाह की दर से अर्जित अवकाश जमा किये जाने की अनुमति दी जायेगी ।

(2) उप–नियम (1) के उपबंधों के अध्यधीन, विश्रामावकाश विभाग में सेवारत शासकीय सेवक को उस वर्ष की सेवा के लिए, जिस वर्ष उसने पूर्ण विश्रामावकाश का उपभोग किया है उस वर्ष में कर्तव्य निर्वहन के लिए किसी भी अर्जित अवकाश की पात्रता नहीं होगी।

(3) (क) उस वर्ष जिसमें शासकीय सेवक विश्रामावकाश का आंशिक उपभोग करता है, अर्जित अवकाश की पात्रता 20 दिन के ऐसे अनुपात में होगी जो उपभोग न किये गये विश्रामावकाश के दिनों तथा संपूर्ण विश्रामावकाश के दिनों में हो ।

(ख) यदि किसी वर्ष, शासकीय सेवक किसी विश्रामावकाश का उपभोग नहीं करता है तो उसे उस वर्ष के लिये अर्जित अवकाश की पात्रता नियम 25 के अधीन होगी; उप–नियम (1) के प्रावधानों के अनुसार उस वर्ष के संबंध में अग्रिम जमा किया गया अर्जित अवकाश नियम 25 के अधीन इस प्रकार जमा किये गये अर्जित अवकाश के विरूद्व समायोजित किया जायेगा ।

**0;k[;k&** इस नियम के प्रयोजन हेतु, 'वर्ष' शब्द का अर्थ उस कैलेंडर वर्ष से नहीं लगाया जायेगा जिसमें कर्त्तव्य का निर्वहन किया गया है किन्तु विश्रामावकाश विभाग में किये गये 12 महीने के वास्तविक कर्त्तव्य निर्वहन से लगाया जायेगा ।

**fVIi.kh-&** (1) जब तक किसी प्राधिकारी के सामान्य या विशेष आदेश द्वारा उसे विश्रामावकाश अथवा विश्रामावकाश के किसी अंश से वंचित किया जाना अपेक्षित न हो, यह मान लिया जायेगा कि विश्रामावकाश की पात्रता रखने वाले शासकीय सेवक ने विश्रामावकाश अथवा उसके अंश का उपभोग किया है ;

परंतु यदि किसी ऐसे आदेश द्वारा उसे पन्द्रह दिन से अधिक विश्रामावकाश का लाभ उठाने से वंचित किया गया हो, तो यह मान लिया जायेगा कि उसने विश्रामावकाश के किसी भाग का उपभोग नही किया ।

**fVIi.kh-&** (2) जब विश्रामावकाश विभाग में सेवारत कोई शासकीय सेवक एक पूर्ण वर्ष का कर्तव्य पूरा करने के पहले ही अवकाश पर जाता है, उसके अर्जित अवकाश की पात्रता की गणना उसके अवकाश पर जाने के पूर्व की वास्तविक सेवा (कर्तव्य) अवधि में पड़ने वाले विश्रामावकाश के संदर्भ में नहीं की जायेगी, किंतु गत वर्ष की सेवा पूर्ण होने की तिथि से प्रारंभ हुई वर्ष की अवधि में पड़ने वाले विश्रामावकाश के संदर्भ में किया जायेगा ।

**fVIi.kh-&** (3) विश्रामावकाश विभाग में कार्यरत शासकीय सेवक के प्रकरण में, उप–नियम (3) के अधीन अर्जित अवकाश की पात्रता, यदि कोई हो, तो यह उप–नियम (1) के अंतर्गत स्वीकार्य अर्जित अवकाश के अतिरिक्त होगा ।

(4) इस नियम के अधीन विश्रामावकाश किसी प्रकार के अवकाश के संयोजन अथवा निरंतरता में लिया जा सकता है, किन्तु लिया गया विश्रामावकाश एवं अर्जित अवकाश के कुल अवधि का योग चाहे अर्जित अवकाश के संयोजन अथवा निरंतरता में लिया गया हो या न हो, शासकीय सेवक को देय तथा नियम 25 के अधीन एक समय में स्वीकार्य अर्जित अवकाश से अधिक नही होगा ।

(5) इस नियम के अधीन पिछली छःमाही की समाप्ति पर शासकीय सेवक के अवकाश खाते में जमा अर्जित अवकाश को इस शर्त के अध्यधीन आगामी छःमाही में कैरी फारवर्ड किया जायेगा जिस प्रकार से कैरी फारवर्ड किये गये अवकाश तथा छःमाही में जमा अवकाश का योग 300 दिनों की अधिकतम सीमा से अधिक न हो ।

**fVIi.kh&** विश्रामावकाश विभाग में सेवारत व्यक्ति को उपभोग न किये गये पदग्रहण काल के अंश को जमा करने की सुविधा, नियम 25 के उप–नियम (1) के खण्ड (क) के उपखण्ड (दो) के प्रावधानों के अनुसार स्वीकार्य होगा ।

**28- v/kkoru vodk'k&** (1) प्रत्येक शासकीय सेवक के अर्धवेतन अवकाश खाते में प्रत्येक कैलेंडर वर्ष की पहली जनवरी और पहली जुलाई को दस–दस दिनों के दो किश्तों में अग्रिम अर्धवेतन अवकाश जमा किया जायेगा ।

(2) (क) अवकाश खाते में, कैलेंडर वर्ष के जिस छःमाही में उसकी नियुक्ति हुई है, में की जाने वाली संभावित सेवा के लिये प्रत्येक पूर्ण कैलेंडर माह की सेवा हेतु 5/3 दिन की दर से अवकाश जमा किया जायेगा।

(ख) जिस छःमाही में शासकीय सेवक का सेवानिवृत्त होने वाला है अथवा सेवा से त्यागपत्र देता है, उसके खाते में ऐसी सेवानिवृत्ति अथवा त्यागपत्र की तिथि तक प्रत्येक पूर्ण कैलेंडर माह हेतु 5/3 दिन की दर से अवकाश जमा किये जाने की अनुमति दी जायेगी ।

(ग) जब किसी शासकीय सेवक को सेवा से निष्कासित अथवा पदच्युत किया गया हो अथवा सेवा में रहते हुई उसकी मृत्यु हो गई हो, तो उसके अर्धवेतन अवकाश खाते में, जिस कैलेंडर माह में उसे सेवा से निष्कासित अथवा पदच्युत किया गया हो अथवा सेवा में रहते हुये उसकी मृत्यु हो गई हो, से पिछले कैलेंडर माह की समाप्ति तक प्रत्येक पूर्ण कैलेंडर माह के लिए 5/3 दिन प्रतिमाह की दर से अवकाश जमा किये जाने की अनुमति दी जायेगी ।

(घ) जहॉ किसी छःमाही में शासकीय सेवक की अनुपस्थिति अथवा निलंबन की कुछ अवधि 'अकार्य दिवस' की तरह मानी गयी हो, तो आगामी छःमाही के प्रारंभ पर उसके अर्धवेतन अवकाश खाते में जमा किये जाने वाले अवकाश में से ऐसे 'अकार्य दिवस' का 1/18 वां भाग कम कर दिया जायेगा किन्तु इसकी अधिकतम सीमा 10 दिन के अध्यधीन होगी।

(3) शासकीय सेवक को इस नियम के अधीन, चिकित्सा प्रमाण पत्र पर अथवा निजी कार्य के लिये अवकाश स्वीकृत किया जा सकता है। चिकित्सा प्रमाण पत्र के आधार पर ऐसा अवकाश, ऐसे चिकित्सा प्राधिकारी से चिकित्सा प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने पर दिया जायेगा, जैसा कि शासन इस संबंध में सामान्य अथवा विशिष्ट आदेश द्वारा विहित करे तथा ऐसी अवधि से अधिक के लिए नही दिया जायेगा जो कि चिकित्सा प्राधिकारी द्वारा अनुशंसित किया गया हो । ऐसा चिकित्सा अवकाश, स्वीकृत नहीं किया जायेगा, जब तक कि अवकाश स्वीकृत करने हेतु सक्षम प्राधिकारी को यह समाधान न हो जाये कि शासकीय सेवक के ऐसे अवकाश की समाप्ति पर कर्त्तव्य पर वापस लौटने की यथोचित संभावना है। व्यक्तिगत कार्यों से भी अर्धवेतन अवकाश तब तक स्वीकृत नहीं किया जायेगा, जब तक कि अवकाश स्वीकृत करने हेतु सक्षम प्राधिकारी के पास यह विश्वास करने का कारण न हो कि शासकीय सेवक ऐसे अवकाश की समाप्ति पर कर्त्तव्य पर वापस लौट आयेगा अथवा जब तक कि अवकाश की स्वीकृति, सेवानिवृत्ति पूर्व अवकाश के रूप में अभिव्यक्त करते हुए शामिल न किया गया हो ।

(4) अर्धवेतन अवकाश को जमा करते समय, किसी दिन के अपूर्णांक (अपूर्ण प्रभाग) को निकटस्थ दिन में पूर्णांकित किया जाएगा ।

**29- y?kd'r vodk'k&** (1) किसी शासकीय सेवक को, केवल चिकित्सा प्रमाणपत्र के आधार पर, अर्धवेतन अवकाश के आधे से अनधिक लघुकृत अवकाश, निम्नलिखित शर्तो के अध्यधीन रहते हुए,स्वीकृत किया जा सकता हैः—

(एक) जब लघुकृत अवकाश स्वीकृत किया जाये, तो देय अर्धवेतन अवकाश के विरुद्ध, ऐसे अवकाश की दुगुनी संख्या विकलित की जायेगी;
(दो) जब तक अवकाश स्वीकृत करने हेतु सक्षम प्राधिकारी के पास यह विश्वास करने का कारण न हो कि शासकीय सेवक इसकी समाप्ति पर कर्त्तव्य पर वापस लौटेगा, लघुकृत अवकाश स्वीकार नहीं किया जायेगा;
(तीन) लघुकृत अवकाश सेवानिवृत्ति पूर्व अवकाश के रूप में स्वीकृत नहीं किया जायेगा ।

(2) संपूर्ण सेवा अवधि में अधिकतम 180 दिनों तक का अर्धवेतन अवकाश (चिकित्सा प्रमाणपत्र प्रस्तुत किये बिना) लघुकृत अवकाश में परिवर्तित करने की अनुमति दी जा सकती है, जहां ऐसे अवकाश का उपयोग किसी ऐसे अनुमोदित पाठ्यक्रम के अध्ययन के लिये हो जिसे अवकाश स्वीकृत करने हेतु प्राधिकारी द्वारा लोकहित में होना प्रमाणित किया गया हो ।

(3) जहॉ शासकीय सेवक जिसे लघुकृत अवकाश स्वीकृत किया गया है, सेवा से त्यागपत्र देता है अथवा उसे उसके निवेदन पर सेवा में वापस लौटे बिना स्वैच्छिक सेवानिवृत्त होने की अनुमति दी जाती है, के लघुकृत अवकाश को अर्धवेतन अवकाश के समान समझा जायेगा तथा लघुकृत अवकाश एवं अर्धवेतन अवकाश के संबंध में अवकाश वेतन के मध्य के अन्तर की वसूली की जायेगीः

परन्तु ऐसी वसूली नहीं की जायेगी यदि सेवानिवृत्ति शासकीय सेवक की अस्वस्थता के कारण आगे की सेवा के लिये अनुपयुक्त होने के फलस्वरूप हुई हो अथवा उसकी मृत्यु हो गई हो ।

**Vhi&** शासकीय सेवक के निवेदन पर लघुकृत अवकाश स्वीकृत किया जा सकेगा भले ही उसे अर्जित अवकाश देय हो ।

**30- vn; vodk'k-&** (1) सेवानिवृत्ति पूर्व अवकाश के प्रकरणों को छोड़कर, किसी शासकीय सेवक को निम्नलिखित शर्तो के अध्यधीन रहते हुए अदेय अवकाश स्वीकृत किया जा सकता हैः–

(क) अवकाश स्वीकृत करने हेतु सक्षम प्राधिकारी को यह समाधान हो जाये कि शासकीय सेवक के ऐसे अवकाश की समाप्ति पर कर्त्तव्य पर वापस लौटने की यथोचित संभावना है ;

(ख) अदेय अवकाश उस अर्धवेतन अवकाश तक सीमित होगा जो उसके द्वारा भविष्य में (तत्पश्चात) अर्जित किया जाना संभावित है ।

(ग) संपूर्ण सेवाकाल में अदेय अवकाश अधिकतम 360 दिनों तक सीमित रहेगा, जिसमें से एक समय में अधिकतम 90 दिन तथा कुल 180 दिनों से अधिक न हो का अवकाश चिकित्सा प्रमाणपत्र के अन्यथा स्वीकृत किया जा सकता है ।

(घ) अदेय अवकाश, शासकीय सेवक की अनुवर्ती सेवा अवधि में अर्जित होने वाले अर्धवेतन अवकाश के विरूद्ध विकलित किया जायेगा ।

(2) (क) जब कोई शासकीय सेवक जिसे अदेय अवकाश स्वीकृत किया गया है, सेवा से त्यागपत्र देता है अथवा उसे उसके निवेदन पर सेवा में वापस लौटे बिना स्वैच्छिक सेवानिवृत्त होने की अनुमति दी जाती है, तो उसका अदेय अवकाश निरस्त कर दिया जायेगा, उसका त्यागपत्र अथवा सेवानिवृत्ति उस तिथि से प्रभावशील मानी जावेगी जिस तिथि से ऐसा अवकाश प्रारंभ हुआ था तथा अवकाश वेतन की वसूली की जायेगी ।

(ख) जब कोई शासकीय सेवक अदेय अवकाश का उपभोग कर कर्त्तव्य पर वापस लौटता है किन्तु ऐसा अवकाश अर्जित करने के पूर्व ही, वह सेवा से त्यागपत्र दे देता है अथवा सेवानिवृत्त होता है, तो वह बाद में अर्जित न की गई अवकाश की सीमा तक अवकाश वेतन वापस करने के दायित्वाधीन होगा ।

परंतु खंड (क) अथवा खंड (ख) के अधीन अवकाश वेतन की वसूली नहीं की जायेगी, यदि शासकीय सेवक की सेवानिवृत्ति अस्वस्थता के कारण आगे की सेवा के लिये अनुपयुक्त होने के फलस्वरूप हुई हो अथवा उसकी मृत्यु हो गई हो ।

परंतु यह और भी कि खंड (क) अथवा खंड (ख) के अधीन अवकाश वेतन की वसूली नहीं की जायेगी, यदि शासकीय सेवक को छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (पेंशन) नियम 1976 के नियम 42 (ख) के अधीन समयपूर्व अनिवार्य–सेवानिवृत्त किया गया हो, अथवा वह मूलभूत नियम 56 (2) (क) के अधीन सेवानिवृत्त हुआ हो ।

**31- vlk/kkj.k vodk'k-&** (1) नियम 11 के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए, शासकीय सेवक को निम्नलिखित विशेष परिस्थितियों में, असाधारण अवकाश स्वीकृत किया जा सकता है :–

(क) जब कोई अन्य प्रकार का अवकाश स्वीकार्य न हो, अथवा

(ख) जब कोई अन्य प्रकार का अवकाश स्वीकार्य हो, किंतु शासकीय सेवक असाधारण अवकाश स्वीकृत करने हेतु लिखित आवेदन दे।

(2) अवकाश स्वीकृति हेतु सक्षम प्राधिकारी ऐसे बिना अवकाश की अनुपस्थिति अवधि को भूतलक्षी प्रभाव से असाधारण अवकाश में रूपान्तरित कर सकता है। जब किसी अन्य प्रकार का अवकाश उस समय स्वीकार्य हो जिस समय बिना अवकाश अनुपस्थिति प्रारंभ हुई।

(3) स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति हेतु उसके द्वारा दी गई सूचना की अवधि के दौरान शासकीय सेवक को असाधारण अवकाश स्वीकृत नही किया जायेगा।

(4) असाधारण अवकाश, अवकाश लेखा में विकलित नहीं किया जायेगा।

**32- ifjoh{kk/khu] 0;fDr tks ifjoh{kk ij gks rFkk if'k{k dk vodk'k-&** (1)(क) किसी परिवीक्षाधीन को, इन नियमों के अधीन अवकाश की पात्रता होगी, यदि वह अपने पद को परिवीक्षा पर के अन्यथा मौलिक रूप से धारण करता।

(ख) यदि, किसी कारण से, किसी परिवीक्षाधीन व्यक्ति की सेवाएं समाप्त करना प्रस्तावित हो तो कोई अवकाश जो उसे स्वीकृत किया जाएगा निम्न अवधि से आगे के लिये नहीं होगाः –

(एक) उस तिथि के बाद जिस तिथि तक परिवीक्षाधीन अवधि पहले से स्वीकृत है अथवा बढ़ाई गई अवधि समाप्त होती है, या

(दो) किसी ऐसी पूर्वतर तिथि के पश्चात् जिसमें उसे नियुक्त करने वाले सक्षम प्राधिकारी के आदेश द्वारा उसकी सेवाएं समाप्त की गई हों,

(2) किसी प्रशिक्षु को निम्नानुसार अवकाश की पात्रता होगीः–

(क) चिकित्सा प्रमाणपत्र पर अवकाश, अर्धवेतन के समान अवकाश वेतन पर उस अवधि के लिए जो प्रशिक्षुता के किसी वर्ष में एक माह से अधिक न हो;

(ख) नियम 31 के अधीन असाधारण अवकाश ।

**33- lokfuo`fRr iwo vodk'k-&** (1) किसी शासकीय सेवक को अवकाश स्वीकृत करने हेतु सक्षम प्राधिकारी द्वारा उसे देय अर्जित अवकाश की सीमा तक जो 300 दिन से अधिक न हो के साथ देय अर्धवेतन अवकाश को सेवानिवृत्ति पूर्व अवकाश के रूप में लेने की अनुमति, इस शर्त के अधीन दी जा सकती है, कि ऐसा अवकाश सेवानिवृत्ति की तिथि तक के लिये हो तथा इसमें सेवानिवृत्ति तिथि शामिल हो।

**fVIi.kh&** सेवानिवृत्ति पूर्व अवकाश के रूप में स्वीकृत अवकाश में असाधारण अवकाश शामिल नहीं होगा ।

(2) जहॉ शासकीय सेवक जो किसी स्थानीय निकाय अथवा निगम अथवा कम्पनी में अथवा उसके अधीन बाह्य सेवा पर हो जो पूर्ण रूप से अथवा अंशतः शासन द्वारा अंगीकृत अथवा नियंत्रित है अथवा शासन द्वारा नियंत्रित अथवा वित्तीय सहायता प्राप्त है (इसमें इसके पश्चात् स्थानीय निकाय के रूप में निर्दिष्ट है) सेवानिवृत्ति पूर्व अवकाश की मॉग करता है अवकाश को स्वीकार करने अथवा नामंजूर करने का निर्णय राज्य शासन के अधीन उधार देने वाले प्राधिकारी की सहमति से बाह्य नियोजक द्वारा लिया जायेगा ।

(3) जहॉ शासकीय सेवक उप–नियम (2) में उल्लेखित स्थानीय निकाय के अलावा किसी अन्य स्थानीय निकाय में अथवा उसके अधीन बाह्य सेवा में हो, तो उसे सेवानिवृत्ति पूर्व अवकाश की पात्रता तब होगी जब वह बाह्य नियोजक के अधीन सेवा से मुक्त होगा ।

**34- lsokfuo'fRr] vfuok;l lsokfuo'fRr vFkok lsok R;kxus dh frfFk ds ckn vodk'k-&** किसी शासकीय सेवक को निम्न अवधि के बाद अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा –

(क) उसकी सेवानिवृत्ति की तिथि या

(ख) उसकी अंतिम रूप से कर्त्तव्य विराम की तिथि, या

(ग) उसकी सेवा के निबंधन एवं शर्तो के अनुसार, उसके द्वारा शासन को दी गई सूचना के द्वारा सेवानिवृत्ति लेने अथवा शासन द्वारा उसको दी गई सूचना या ऐसी सूचना के एवज में दिये गये वेतन एवं भत्तों के आधार पर सेवानिवृत्त करने की तिथि, या

(घ) उसकी सेवा से त्यागपत्र की तिथि ।

**35- lsokfuo'fRr ds i'pkr iqufuZ;qDr 0;fDr-&** सेवानिवृत्ति के पश्चात पुनर्नियुक्त व्यक्ति के प्रकरण में, इन नियमों के प्रावधान इस प्रकार लागू होंगे जैसे कि उसकी पुनर्नियुक्ति की तिथि पर शासकीय सेवा में प्रथम नियुक्ति हुई हो ।

**36- vodk'k osru-&** (1) शासकीय सेवक जो अवकाश पर प्रस्थान करता है को उसके अवकाश पर जाने के पूर्व प्राप्त वेतन के बराबर अवकाश वेतन की पात्रता होगीः

परन्तु यह कि, यदि कोई शासकीय सेवक भारत में बाह्य सेवा में प्रतिनियुक्ति पर रहते हुए या किसी उच्च पद पर स्थानापन्न रहते हुए या अपने मूल पद/संवर्ग में पदावनत होने पर बिना प्रत्यावर्तन पद पर कार्यभार ग्रहण किये हुए अर्जित अवकाश पर जाता है, तो उसे उस वेतन के बराबर अवकाश वेतन प्राप्त करने की पात्रता होगी, जो वह उसकी उच्च पद पर नियुक्ति को छोड़कर अर्जित अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व प्राप्त करता ।

**fVIi.kh&** भारत के बाहर बाह्य सेवा में व्यतीत किये गये किसी अवधि के लिये वह वेतन जो शासकीय सेवक यदि भारत के बाहर बाह्य सेवा में न जाकर भारत में कर्तव्य पर रहते हुए प्राप्त करता अवकाश वेतन संगणित करने हेतु उसी वेतन को अधिकृत किया जायेगा ।

(2) अर्धवेतन अवकाश अथवा अदेय अवकाश में रहने पर शासकीय सेवक को उप–नियम (1) में निर्दिष्ट राशि के आधे के बराबर अवकाश वेतन की पात्रता होगी ।

(3) लघुकृत अवकाश पर रहने पर शासकीय सेवक को उप–नियम (1) के अंतर्गत स्वीकार्य राशि के बराबर अवकाश वेतन की पात्रता होगी ।

(4) असाधारण अवकाश में रहने पर शासकीय सेवक को किसी प्रकार के अवकाश वेतन की पात्रता नही होगी ।

(5) उस व्यक्ति के मामले में जिन्हें कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 (1948 का सं0 34) लागू है, अर्जित अवकाश को छोड़कर, अवकाश अवधि में देय अवकाश वेतन में से उक्त अधिनियम के अंर्तगत तत्स्थानी अवधि के लिये स्वीकार्य लाभ की राशि कम कर दी जायेगी ।

(6) (क) शासकीय सेवक जो सेवानिवृत्त हो रहा है अथवा सेवा से त्यागपत्र देता है के प्रकरण में, यदि, पूर्व में उपभोग किया गया अवकाश उसके खाते में जमा अवकाश से अधिक होता है, तो अवकाश वेतन का आवश्यक समायोजन किया जायेगा, यदि कोई अधिक आहरण हो ।

(ख) जहॉ शासकीय सेवक को सेवा से पदच्युत किया जाता है या हटाया जाता है या जिसकी सेवा में रहते हुये मृत्यु हो जाती है, यदि उसके द्वारा पूर्व में उपभोग किये गये अवकाश की मात्रा, नियम 26 के खण्ड (2) के उपखण्ड (ख) के अधीन जमा हुये अवकाश से अधिक होती है, तो ऐसे प्रकरणों में अवकाश वेतन के अधिक भुगतान की वसूली की जायेगी ।

(7) शासकीय सेवक जिसे पुनर्नियोजन अवधि के दौरान अर्जित किया गया अवकाश स्वीकृत किया गया है, ऐसे अवकाश अवधि के लिये इस नियम के अधीन स्वीकार्य अवकाश वेतन का पात्र होगा, जिसमें से पेंशन एवं पेंशन के समतुल्य अन्य सेवानिवृत्ति हित लाभ की राशि को घटाया जायेगा ।

**37- vodk'k oru dk vkgj.k-&** इन नियमों के अधीन भुगतान योग्य अवकाश वेतन का आहरण भारत में रूपये में किया जायेगा ।

## v/;k; & ikp

## v/;;u vodk'k l vfrfjDr fo'k"k idkj d vodk'k

**38- i lfr vodk'k-&** (1) किसी महिला शासकीय सेवक को जिसके दो से कम जीवित संतान हैं, इसके प्रारंभ होने की तिथि से 135 दिन तक की अवधि के लिये प्रसूति अवकाश स्वीकृत किया जा सकता है, ऐसी अवधि में वह उस वेतन मे समतुल्य अवकाश वेतन की पात्र होगी जो उसने अवकाश पर प्रस्थान करने के तुरंत पूर्व आहरित किया है ।

(2) ऐसा अवकाश, अवकाश लेखा के विरुद्ध विकलित नहीं किया जायेगा ।

(3) प्रसूति अवकाश किसी अन्य प्रकार के अवकाश के साथ संयोजित किया जा सकता है ।

(4) किसी महिला शासकीय सेवक को (जीवित बच्चों की संख्या पर ध्यान दिये बिना) गर्भपात सहित गर्भस्त्राव के प्रकरणों में उपयुक्त चिकित्सा प्राधिकारी द्वारा अनुशंसित अवधि तक के लिये पूरे सेवाकाल में अधिकतम पैंतालीस दिन की सीमा के अध्यधीन रहते हुए, प्रसूति अवकाश स्वीकृत किया जा सकता है ।

**fVIi.kh&** इस नियम के प्रयोजन के लिए मेडिकल टर्मिनेशन आफ प्रेगनेन्सी अधिनियम, 1971 के अधीन उत्प्रेरित कोई गर्भपात भी 'गर्भपात' का प्रकरण समझा जायेगा, किन्तु इस नियम के अंतर्गत 'भयभीत कर कराये गये गर्भपात' के लिए अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा । (संशोधन)

**38&d- firRo vodk'k-&** (1) किसी पुरूष शासकीय सेवक को जिसकी दो से कम जीवित संतान है उसकी पत्नी के प्रसवकाल के दौरान अर्थात बच्चे के जन्म से 15 दिन पहले अथवा बच्चे के जन्म से 6 माह की अवधि के भीतर अवकाश स्वीकृति हेतु सक्षम प्राधिकारी द्वारा 15 दिनों की अवधि के लिये पितृत्व अवकाश स्वीकृत किया जा सकता है ।

(2) ऐसे अवकाश की अवधि में शासकीय सेवक को अवकाश पर प्रस्थान करने के ठीक पहले आहरित वेतन के समान अवकाश वेतन का भुगतान किया जायेगा ।

(3) पितृत्व अवकाश, अवकाश लेखा के विरुद्ध विकलित नहीं किया जायेगा तथा किसी अन्य प्रकार के अवकाश के साथ संयोजित किया जा सकेगा ।

(4) यदि पितृत्व अवकाश का उपभोग, नियम (1) में विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर नहीं किया जाता है, तो ऐसा अवकाश व्यपगत माना जायेगा ।

**Vhi&** इस अवकाश को सामान्यतः अस्वीकृत नहीं किया जायेगा।

**38&[k- nRrd xg.k vodk'k-&** (1) किसी महिला शासकीय सेवक को जिसके दो से कम जीवित संतान हैं एक वर्ष की उम्र तक का बच्चा वैधानिक रूप से गोद लेने पर 135 दिन (दत्तक लिये गये बच्चे की आयु 1 वर्ष पूर्ण होने की तिथि तक सीमित) तक की अवधि के लिए दत्तक ग्रहण अवकाश स्वीकृत किया जा सकता है । ऐसी कालावधि के दौरान वह अवकाश पर प्रस्थान करने के ठीक पहले आहरित वेतन के समान अवकाश वेतन के लिए पात्र होंगी ।

(2) दत्तक ग्रहण अवकाश किसी अन्य प्रकार के अवकाश के साथ संयोजित किया जा सकता है ।

(3) दत्तक ग्रहिता माता को, उसके आवेदन पर, 'दत्तक ग्रहण अवकाश' की निरंतरता में, दत्तक ग्रहण अवकाश की अवधि पर ध्यान दिये बिना, वैधानिक रूप से दत्तक लेने की तिथि पर गोद लिए गये बच्चे की उम्र को कम करते हुए, एक वर्ष तक की अवधि के लिए उसे देय एवं स्वीकार्य अन्य प्रकार के अवकाश (अदेय अवकाश एवं बिना चिकित्सा प्रमाणपत्र के 60 (साठ) दिन तक के लघुकृत अवकाश सहित) स्वीकृत किया जा सकता है ।

(4) दत्तक ग्रहण अवकाश, अवकाश लेखा के विरुद्ध विकलित नहीं किया जाएगा ।

**39- tkuc>dj igpkb xb {kfr gr fo'k"k fu;kX;rk vodk'k-&** (1) अवकाश स्वीकृत करने हेतु सक्षम प्राधिकारी किसी ऐसे शासकीय सेवक (चाहे स्थायी हो या अस्थायी) को, जिसे जानबूझकर पहुंचाई गई या हुई क्षति अथवा अपने शासकीय कर्त्तव्य के निर्वहन या अपनी शासकीय अवस्थिति के परिणामस्वरूप निर्योग्य हो गया हो, विशेष निर्योग्यता अवकाश स्वीकृत कर सकता है ।

(2) ऐसा अवकाश तब तक स्वीकृत नहीं किया जायेगा जब तक कि ऐसी घटना जिसके कारण निर्योग्यता हुई है, के घटित होने के तीन माह के भीतर निर्योग्यता प्रकट न हुई हो तथा निर्योग्य व्यक्ति ने इसे जानकारी में लाने के लिये अपेक्षित तत्परता दर्शाई हैं :

परंतु, यदि अवकाश स्वीकृत करने हेतु सक्षम प्राधिकारी निर्योग्यता के कारणों से संतुष्ट है, तो ऐसे मामलों में, निर्योग्यता अवकाश स्वीकृत करने की अनुमति दे सकेगा, जहॉ ऐसी घटना के तीन माह से अधिक के पश्चात् निर्योग्यता प्रकट हुई हो ।

(3) अवकाश स्वीकृति की अवधि उतनी ही होगी जितनी किसी अधिकृत चिकित्सा परिचारक द्वारा प्रमाणित की गयी है तथा किसी भी मामले में 24 माह से अधिक नही होगी ।

(4) विशेष निर्योग्यता अवकाश किसी अन्य प्रकार के अवकाश के साथ संयोजित किया जा सकता है ।

(5) यदि बाद में निर्योग्यता उन्ही परिस्थितियों में पुनः प्रकट हो जाये या बढ़ जाये, तो विशेष निर्योग्यता अवकाश एक बार से अधिक स्वीकृत किया जा सकता है, किन्तु किसी एक निर्योग्यता के लिये ऐसा अवकाश 24 माह से अधिक स्वीकृत नहीं किया जायेगा ।

(6) पेंशन हेतु सेवा की गणना करते समय, विशेष निर्योग्यता अवकाश को कर्तव्य के रूप में संगणित किया जायेगा तथा अवकाश खाते के विरुद्ध विकलित नहीं किया जायेगा ।

(7) ऐसी अवकाश अवधि में अवकाश वेतन निम्नानुसार होगा –

(क) उप–नियम (5) के अधीन स्वीकृत अवकाश की अवधि को शामिल करते हुये, ऐसे अवकाश के किसी अवधि के प्रथम 120 दिनों के लिये, अर्जित अवकाश के दौरान अवकाश वेतन के समतुल्य; तथा

(ख) ऐसे किसी अवकाश की शेष अवधि के लिये, अर्धवेतन अवकाश के दौरान अवकाश वेतन के समतुल्य।

(8) उस व्यक्ति के मामले में जिसे कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 (1948 का सं. 34) लागू है, इस नियम के अधीन देय अवकाश वेतन की राशि में से उक्त अधिनियम के अंतर्गत तत्स्थानी अवधि के लिये देय लाभ की राशि कम कर दी जायेगी ।

**40- vkdfLed {kfr gsrq fo'ks"k fu;ksX;rk vodk'k-&** (1) शासकीय सेवक जो चाहे स्थायी हो या अस्थायी जो अपने पदेन कर्तव्यों के निर्वहन के दौरान या कर्तव्य निर्वहन के परिणामस्वरुप आकस्मिक क्षति से सेवा के अयोग्य हो जाता है या अपने पद की अवस्थिति के फलस्वरुप किसी विशेष कर्तव्य का निर्वहन करते हुए बीमार हो जाता है, जो कि उसके सिविल पद की जिम्मेदारी से ज्यादा जोखिम का कार्य था जिससे बीमारी या दुर्घटना हुई, नियम 39 के प्रावधान लागू होंगे ।

(2) ऐसे मामले में विशेष निर्योग्यता अवकाश की स्वीकृति, निम्नलिखित अतिरिक्त शर्तो के अधीन होगी –

(एक) यह कि, यदि निर्योग्यता के कारण कोई बीमारी है, तो प्राधिकृत चिकित्सा अधिकारी द्वारा यह प्रमाणित किया जाना चाहिए कि उसे ऐसी निर्योग्यता किस विशेष कर्त्तव्य के निर्वहन के परिणामस्वरूप हुई है ;

(दो) यह कि, यदि सेना बल के अतिरिक्त अन्य सेवा में रहते हुए किसी शासकीय सेवक को ऐसी निर्योग्यता हुई है तो अवकाश स्वीकृतकर्ता प्राधिकारी की राय में वह निर्योग्यता अपवादिक प्रकृति की होनी चाहिए; तथा

(तीन) यह कि, प्राधिकृत चिकित्सा परिचारक द्वारा सिफारिश की गई अनुपस्थिति की अवधि अंशतः इस नियम के अधीन अवकाश द्वारा, आच्छादित हो, तथा अंशतः अन्य प्रकार के अवकाश द्वारा तथा अर्जित अवकाश की तरह अवकाश वेतन के बराबर अवकाश वेतन पर स्वीकार्य विशेष निर्योग्यता अवकाश की मात्रा 120 दिनों से अधिक नही होगी।

**40&d- fo'ks"k fu;ksX;rk vodk'k Lohdfr dh 'kfDr-&** नियम 39 एवं 40 के अधीन विशेष निर्योग्यता अवकाश की स्वीकति से संबंधित सभी मामले तत्संबंधित प्रशासनिक विभाग को सहमति हेतु प्रस्तुत किये जावेंगे ।

**41- fo'ks"k fu;ksX;rk vodk'k rFkk v/;;u vodk'k dk vykok vodk'k eatj djus dh 'kfDr-&** (1) विभागों में सेवारत शासकीय सेवकों के मामले में विशेष निर्योग्यता अवकाश तथा अध्ययन अवकाश के अलावा अन्य अवकाश स्वीकृति हेतु प्रशासकीय विभाग, अवकाश स्वीकारकर्ता प्राधिकारी को पदांकित कर सकता है तथा वह यह भी निर्धारित कर सकता है कि ऐसे प्राधिकारी कितनी सीमा तक एवं किन शर्तो के अधीन अवकाश स्वीकृत कर सकते है ।

(2) उप–नियम (1) में उल्लेखित के अलावा, अवकाश के सभी मामले, प्रशासकीय विभाग को निर्दिष्ट किये जायेगें ।

## v/;k; & N%
## v/;;u vodk'k

**42- v/;;u vodk'k Lohdfr dh 'krZ-&** (1) इन नियमों मे विनिर्दिष्ट शर्तो के अध्यधीन रहते हुए, किसी शासकीय सेवक को लोक सेवा की अत्यावश्यकताओं को ध्यान में रखते हुये भारत में अथवा भारत के बाहर किसी विशिष्ट अध्ययन पाठ्यक्रम, जिसमें किसी व्यावसायिक या तकनीकी विषय में उच्चतर शिक्षा या विशेषीकृत प्रशिक्षण शामिल है तथा जिसका उसके कार्यक्षेत्र से सीधा और निकट संबंध है, के लिये अध्ययन अवकाश स्वीकृत किया जा सकता है ।

(2) अध्ययन अवकाश निम्न हेतु भी स्वीकृत किया जा सकता है –

(एक) ऐसा प्रशिक्षण पाठ्यक्रम या अध्ययन यात्रा हेतु, यदि ऐसा प्रशिक्षण पाठ्यक्रम या अध्ययन यात्रा को लोकहित की दृष्टि से शासन के लिये निश्चित लाभ का होना प्रमाणित किया गया हो तथा शासकीय सेवक के कार्यक्षेत्र से संबंधित हो जिसमें शासकीय सेवक किसी नियमित शैक्षणिक अथवा अर्ध शैक्षणिक पाठ्यक्रम में शामिल न भी हुआ हो; और

(दो) लोक प्रशासन के स्वरूप या पृष्ठभूमि से संबंधित अध्ययन के प्रयोजनों के लिए निम्न शर्तो के अधीन कि –
(क) विशिष्ट अध्ययन या अध्ययन–यात्रा अध्ययन अवकाश स्वीकृत करने हेतु सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित होनी चाहिए ; और
(ख) शासकीय सेवक से यह अपेक्षा की जानी चाहिए कि अपनी वापसी पर उसके द्वारा अध्ययन अवकाश की अवधि में किये गये कार्यो का पूर्ण प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जायेगा।

(तीन) ऐसे अध्ययन हेतु जिसका शासकीय सेवक के कार्य के साथ सीधा और निकट संबंध नहीं है, किन्तु उसका ज्ञान इस प्रकार विस्तारित हो कि एक लोकसेवक के रूप में उसकी योग्यता बढ़ाने में सहायक हो और वह लोकसेवा की अन्य शाखाओं में कार्यरत कर्मचारियों को सहयोग देने में अपने आप को अधिक सुसज्जित महसूस कर सके।

(3) अध्ययन अवकाश स्वीकृत नही किया जायेगा जब तक कि–

(एक) प्रशासकीय विभाग द्वारा यह प्रमाणित नहीं किया जाये कि प्रस्तावित अध्ययन पाठ्यक्रम या प्रशिक्षण लोकहित की दृष्टि से निश्चित लाभकारी होगा ;

(दो) यह शैक्षणिक अथवा साहित्यिक विषयों के अतिरिक्त अन्य विषयों के अध्ययन के लिये न हो :

परन्तु यह कि किसी विशेषज्ञ या तकनीकी व्यक्ति को, प्रत्येक मामले में गुणदोष के आधार पर ऐसे स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम के अध्ययन के लिये जिसका उसके कार्यक्षेत्र के साथ सीधा संबंध हो, अध्ययन अवकाश स्वीकृत किया जा सकता है, यदि संबंधित विभाग के सचिव द्वारा यह प्रमाणित किया जाता है कि उक्त अध्ययन पाठ्यक्रम उस विशेषज्ञ या तकनीकी व्यक्ति को, यथास्थिति, उसके कार्यक्षेत्र में होने वाले आधुनिक विकास के साथ जोड़े रखने में सहायक होगा, उसके तकनीकी स्तर तथा योग्यता में सुधार लायेगा और इस प्रकार से विभाग को पर्याप्त लाभ मिलेगा ।

(तीन) यदि ऐसा अवकाश भारत के बाहर के लिये है, तो, भारत शासन वित्त कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय, अध्ययन अवकाश की स्वीकृति सहित विदेशी मुद्रा विमुक्त करने के लिये सहमत हो ।

(4) ऐसे विषय हेतु जिनके अध्ययन के लिये भारत में पर्याप्त सुविधाएं उपलब्ध हैं भारत के बाहर के लिये अध्ययन अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।

(5) अध्ययन अवकाश ऐसे नियमित शासकीय सेवक को स्वीकृत किया जा सकेगा, जो –

(एक) परिवीक्षा अवधि संतोषप्रद रूप से पूर्ण कर चुका है और परिवीक्षा अवधि तथा तदर्थ रूप से की गई सेवा को शामिल करते हुये शासन के अधीन कम से कम पांच वर्ष की नियमित सेवा कर चुका है ;

(दो) अवकाश समाप्त होने के पश्चात अपने कर्त्तव्य पर लौटने की संभावित तिथि से तीन वर्ष के भीतर अधिवार्षिकी आयु पर पहुंचनें वाला न हो;

(तीन) अवकाश समाप्त होने के बाद तीन वर्षो तक शासकीय सेवा करने की वचनबद्वता हेतु नियम 49 में दिये गये अनुसार एक बंधपत्र निष्पादित करता है।

(6) शासकीय सेवक को अध्ययन अवकाश ऐसी बारम्बारता के साथ स्वीकृत नहीं किया जायेगा जिससे उसका नियमित कार्य से संपर्क समाप्त हो जाये अथवा उसकी अवकाश पर अनुपस्थिति संवर्गीय कठिनाई का कारण बने ।

**43- v/;;u vodk'k dh Lohdfr-&** (1) शासकीय सेवक को अध्ययन अवकाश प्रशासकीय विभाग द्वारा स्वीकृत किया जायेगा ।

(2) जहां शासकीय सेवक एक विभाग अथवा स्थापना के संवर्ग में स्थायी पद पर होते हुये किसी दूसरे विभाग या स्थापना में अस्थाई रूप से सेवारत हो, उसे अध्ययन अवकाश की स्वीकृति इस शर्त के अधीन दी जायेगी कि अवकाश स्वीकृति के पूर्व उस विभाग की सहमति प्राप्त की जाए जिस विभाग से वह स्थायी रूप से संबद्ध है ।

(3) अध्ययन पाठ्यक्रम के पूर्ण होने पर, शासकीय सेवक उस प्राधिकारी को जिसने अध्ययन अवकाश स्वीकृत किया था, पाठ्यक्रम के प्रभारी प्राधिकारी का परीक्षा उत्तीर्ण होने अथवा विशिष्ठ अध्ययन पाठ्यक्रम में शामिल होने संबंधी प्रमाणपत्र, जिसमें पाठ्यक्रम के प्रारंभ होने तथा समाप्त होने की तिथि तथा अभ्युक्ति, यदि कोई हो, अंकित होना चाहिए, प्रस्तुत करेगा ।

**44- ,d le; ij rFkk lai.k lokdky e Lohd'fr ;kX; vf/kdre v/;;u vodk'k dh ek=k-&** अध्ययन अवकाश की अधिकतम मात्रा, जो शासकीय सेवक को स्वीकृत की जा सकेगी निम्नानुसार होगी –

(एक) सामान्यतया किसी एक समय में बारह महीने जिसमें आपवादिक कारणों को छोड़कर वृद्वि नहीं की जायेगी, और

(दो) संपूर्ण सेवाकाल में, कुल मिलाकर 24 महीने (अध्ययन अथवा प्रशिक्षण हेतु किन्ही अन्य नियमों के अधीन स्वीकृत इसी प्रकार के अवकाश को सम्मिलित करते हुये)।

**45- v/;;u vodk'k dk y[kkdu rFkk vU; idkj d vodk'k d lkFk l;ktu-&** (1) अध्ययन अवकाश को शासकीय सेवक के अवकाश लेखा के विरुद्ध विकलित नहीं किया जायेगा ।

(2) अध्ययन अवकाश को अन्य प्रकार के अवकाश के साथ संयोजित किया जा सकता है, किन्तु किसी भी मामले में इस अवकाश की और असाधारण अवकाश को छोड़कर अन्य अवकाश की स्वीकृति के फलस्वरूप शासकीय सेवक की नियमित कर्त्तव्य से सम्मिलित अनुपस्थिति सामान्यतः अठ्ठाईस माह से अधिक तथा ऐसा पाठ्यक्रम, जिससे पी.एच.डी. की उपाधि अथवा अठ्ठाईस माह से अधिक अवधि की स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त होती है, के लिये छत्तीस माह से अधिक नहीं होगी ।

(3) शासकीय सेवक जिसे अध्ययन अवकाश किसी अन्य प्रकार के अवकाश के संयोजन में स्वीकार किया गया है, यदि चाहे तो, अपना अध्ययन, अन्य प्रकार के अवकाश समाप्त होने के पहले ही स्वीकार या प्रारंभ कर सकता है, किन्तु अध्ययन पाठ्यक्रम के साथ युक्त ऐसा अवकाश काल, अध्ययन अवकाश के रूप में संगणित नही होगा ।

**fVIi.kh&** उप–नियम (2) में विहित अनुपस्थिति की सीमा में विश्रामावकाश शामिल है ।

**46- v/;;u ikB;de l vkx d v/;;u vodk'k dk fofu;eu-&** जब अध्ययन पाठ्यक्रम, स्वीकृत अध्ययन अवकाश से पहले पूरा हो जाये तो, शासकीय सेवक अध्ययन पाठ्यक्रम की समाप्ति पर अपना कार्यभार पुनर्ग्रहण करेगा, बशर्ते कि अवकाश स्वीकृत करने हेतु सक्षम प्राधिकारी से अतिरिक्त अवधि को सामान्य अवकाश के समान मानने हेतु पूर्वानुमति न प्राप्त कर ली गई हो ।

**47- vodk'k osru d vfrfjDr HkRr dh ik=rk-&** शासकीय सेवक को स्वीकृत अध्ययन अवकाश की अवधि में महंगाई भत्ते के अलावा, किसी अन्य प्रकार के भत्ते की पात्रता नहीं होगी ।

**48- ;k=k HkRr dh Lohd'fr-&** शासकीय सेवक को सामान्यतः यात्रा भत्ते का भुगतान नही किया जायेगा, किन्तु अपवादिक परिस्थितियों में राज्यपाल ऐसे भत्ते के भुगतान की स्वीकृति दे सकते हैं ।

**49- cU/ki= dk fu"iknu-&** ऐसा प्रत्येक स्थायी शासकीय सेवक जिसे अध्ययन अवकाश अथवा ऐसे अवकाश में वृद्वि स्वीकृत की गई है, को स्वीकृत अध्ययन अवकाश अथवा अवकाश में वृद्वि प्रारंभ होने की तिथि के पूर्व, यथास्थिति, प्रपत्र–5 अथवा 6 में दिये अनुसार बन्धपत्र निष्पादित करना होगा । यदि किसी अस्थाई शासकीय सेवक को अध्ययन अवकाश अथवा इसमें वृद्वि स्वीकृत की गई है, तो यथास्थिति, प्रपत्र–7 या प्रपत्र–8 में दिये अनुसार बन्धपत्र निष्पादित करना होगा।

**50- v/;;u vodk'k d i'pkr vFkok v/;;u ikB;dze i.k gku d iol R;kxi= vFkok lokfuo'fRr-&** (1) यदि कोई शासकीय सेवक, अध्ययन अवकाश की कालावधि के पश्चात कर्त्तव्य पर लौटे बिना अथवा कर्त्तव्य पर लौटने के तीन वर्ष की कालावधि के भीतर सेवा से त्यागपत्र देता है, सेवानिवृत्त होता है अथवा अन्यथा सेवा त्यागता है अथवा अध्ययन पाठ्यक्रम पूर्ण नही करता है तथा इस प्रकार से नियम 43 के उप–नियम (3) के अनुसार अपेक्षित प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने में असमर्थ रहता है, तो उसे निम्नानुसार वापस करना होगा –

(एक) अवकाश वेतन की वास्तविक राशि, शासन द्वारा भुगतान किये गये शुल्क का मूल्य, यात्रा एवं अन्य व्यय, यदि कोई हो ; तथा

(दो) अध्ययन पाठ्यक्रम के संबंध में अन्य एजेन्सी यथा विदेशी सरकार, किसी संस्थान या न्यास द्वारा किया गया वास्तविक व्यय, यदि कोई हो, इसके अलावा उसका त्यागपत्र स्वीकृत करने अथवा सेवानिवृत्त होने की अनुमति देने अथवा उसके अन्यथा सेवा छोड़ने से पहले, उस राशि पर मांग की तिथि से 12 प्रतिशत वार्षिक की दर से ब्याज भी वापस करना होगा :

परन्तु यह कि ऐसे कर्मचारी जो अध्ययन् पाठ्यक्रम पूर्ण करने में असफल रहते हैं, के प्रकरणों को छोड़कर, इस नियम के प्रावधान लागू नहीं होंगे–

(क) उस शासकीय सेवक को, जिसे अध्ययन अवकाश से वापस लौटने पर चिकित्सा कारणों से सेवानिवृत्त होने की अनुमति दी गई है ; अथवा

(ख) उस शासकीय सेवक को, जिसे अध्ययन अवकाश से वापस लौटने पर किसी स्वशासी निकाय अथवा शासन के नियंत्रणाधीन किसी संस्था में प्रतिनियुक्ति पर भेजा गया हो, तथा पश्चात्वर्ती समय में उक्त वैधानिक या स्वशासी निकाय अथवा संस्था में स्थाई संविलियन की दृष्टि से लोकहित में त्यागपत्र देने की अनुमति दी गई हो ।

(2) (क) ऐसे शासकीय सेवक द्वारा उपभोग किये गये अध्ययन अवकाश को अध्ययन अवकाश प्रारंभ होने की तिथि को उसके खाते में जमा नियमित अवकाश में संपरिवर्तित किया जावेगा, अध्ययन अवकाश के अनुक्रम में लिया गया कोई नियमित अवकाश, इस प्रयोजन के लिये उपयुक्त तरीके से समायोजित किया जायेगा तथा अध्ययन अवकाश की शेष अवधि, यदि कोई हो, जिसे इस प्रकार से संपरिवर्तित नहीं किया जा सका है, असाधारण अवकाश जैसा समझा जायेगा ।

(ख) शासकीय सेवक द्वारा उप–नियम (1) के अधीन लौटाई जाने वाली राशि के अलावा, यदि वास्तविक रूप से आहरित वेतन, अध्ययन अवकाश के संपरिवर्तन के फलस्वरूप स्वीकार्य अवकाश वेतन से अधिक है तो उसे ऐसे आधिक्य की राशि भी वापस करना होगा ।

(3) नियमों में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, यदि यह आवश्यक हो अथवा ऐसा किया जाना उचित समझा जाये तो राज्यपाल के आदेश से, लोकहित में किसी प्रकरण अथवा किसी वर्ग के प्रकरणों की विशिष्ट परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुये संबंधित शासकीय सेवक अथवा शासकीय सेवकों के उस वर्ग को उप–नियम(1) के अधीन वापसी हेतु अपेक्षित राशि की वापसी से छूट दी जा सकती है या राशि कम की जा सकती है ।

**51- v/;;u vodk'k dh vof/k e vodk'k oru-&** (1) अध्ययन अवकाश के उपभोग के दौरान, शासकीय सेवक उस वेतन (महंगाई भत्ते के अतिरिक्त अन्य भत्तों के बिना) के समान अवकाश वेतन आहरित करेगा जो ऐसे अवकाश में जाने के ठीक पहले शासकीय कर्त्तव्य के दौरान आहरित किया था ।

(2) (क) पूर्ण दर पर अवकाश वेतन का भुगतान शासकीय सेवक द्वारा इस आशय का प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने के अध्यधीन होगा कि उसे किसी अंशकालीन नियोजन के संबंध में कोई छात्रवृत्ति, शिष्यवृत्ति या पारिश्रमिक प्राप्त नहीं हुआ है ।

(ख) शासकीय सेवक द्वारा अध्ययन अवकाश की अवधि में किसी अंशकालीन नियोजन के संबंध में छात्रवृत्ति या शिष्यवृत्ति या पारिश्रमिक के रूप में यदि कोई राशि प्राप्त की गई हो तो, उसे इस उप–नियम के अधीन भुगतान योग्य अवकाश वेतन के विरूद्व इस शर्त के अधीन समायोजित किया जायगा कि ऐसी अवकाश वेतन की राशि, अर्धवेतन अवकाश काल में, अवकाश वेतन की तरह भुगतान योग्य राशि से कम न हो ।

**52- v/;;u vodk'k dk inkUufr] i'ku] ofj"Brk] vodk'k ,o oruof} gr x.kuk-&** अध्ययन अवकाश को पदोन्नति, पेंशन तथा वरिष्ठता हेतु सेवा के रूप में गिना जायेगा। इसे मूलभूत नियम के नियम 26 के प्रावधानानुसार वेतनवृद्धि हेतु भी सेवा के रूप में गिना जायेगा ।

**53- v/;;u vodk'k gr vkonu i=-&** (1) (क) अध्ययन अवकाश हेतु प्रत्येक आवेदन पत्र उचित माध्यम से अवकाश स्वीकृत करने हेतु सक्षम प्राधिकारी को प्रस्तुत किया जायेगा ।

(ख) शासकीय सेवक द्वारा अध्ययन हेतु परिकल्पित पाठ्यक्रम या अध्ययन पाठ्यक्रम तथा ऐसी किसी परीक्षा जिसमें उसका शामिल होना प्रस्तावित है, का ऐसे आवेदन पत्र में स्पष्ट उल्लेख किया जायगा ।

(2) जहां शासकीय सेवक द्वारा उसके आवेदन पत्र में पूर्ण विवरण देना संभव नहीं है, अथवा यदि, भारत छोड़ने के पश्चात वह भारत में अनुमोदित कार्यक्रम में कोई परिवर्तन करना चाहता है, तो वह यथाशीघ्र इसका विवरण दूतावास प्रमुख अथवा अवकाश स्वीकृत करने हेतु सक्षम प्राधिकारी को, यथास्थिति, प्रस्तुत करेगा, तथा तब तक अध्ययन पाठ्यक्रम प्रारंभ नहीं करेगा अथवा इससे संबंधित कोई व्यय नहीं करेगा, जब तक कि पाठ्यक्रम के लिये अवकाश स्वीकृत करने हेतु सक्षम प्राधिकारी का अनुमोदन प्राप्त न हो जाये, बशर्ते कि वह ऐसा स्वयं के दायित्व पर करने के लिये तैयार न हो ।

## v/;k; &lkr

## fofo/k

**54- fuopu-&** इन नियमों के निर्वचन के संबंध में जहां कोई शंका उत्पन्न हो तो इसे विनिश्चय हेतु शासन के वित्त विभाग को निर्दिष्ट किया जायेगा।

**55- fujlu ,o 0;kofRr-&** (1) इन नियमों के प्रारंभ होने पर, ऐसे प्रारंभ के ठीक पूर्व प्रवृत्त प्रत्येक नियम, विनियम या आदेश, मेमोरेण्डम सहित (जिसे इस नियम में आगे पुराना नियम कहा गया है), जहां तक कि वह इन नियमों में अंतर्विष्ट किसी विषय के लिए उपबंधित करता है, प्रभावशून्य होगा।

(2) ऐसी प्रभावशून्यता के होते हुए भी, किसी शासकीय सेवक के संबंध में, पूर्वतन नियम के अधीन किया गया कोई कार्य या की गई कार्यवाही या या कोई अवकाश जो अर्जित हुआ, अथवा स्वीकृत किया गया, अथवा खाते में जमा किया गया है, को इन नियमों के तत्स्थानी प्रावधानों के अधीन किया गया, अर्जित, स्वीकृत या जमा हुआ माना जायेगा।

(3) इन नियमों के अधीन अवकाश स्वीकृति के प्रयोजन के लिए, पुराने नियमों के अधीन प्रत्यायोजित शक्तियां, निरंतर लागू रहेंगी।

## ii=&1
## ¼nf[k;s fu;e&13½
## vodk'k vFkok vodk'k esa o`f} dk vkosnu i=

1. आवेदक का नाम........................................................................................
2. प्रयोज्य अवकाश नियम...........................................................................
3. धारित पद..................................................................................................
4. कार्यालय एवं अनुभाग...........................................................................
5. वेतन.............................................................................................................
6. *वर्तमान पद पर आहरित गृह भाड़ा भत्ता, वाहन भत्ता अथवा अन्य क्षतिपूरक भत्ते.........................................................................................
7. आवेदित अवकाश का स्वरूप एवं अवधि तथा तिथि जबसे अवकाश चाहा गया है.........................................................................................
8. अवकाश के पहले/बाद में जोड़े जाने हेतु प्रस्तावित रविवार तथा अवकाश, यदि कोई हो ..................................................................................
9. आवेदित अवकाश का कारण.....................................................................
10. पिछले अवकाश से लौटने की तिथि तथा उस अवकाश का प्रकार एवं अवधि...... .........................................................................................
11. अवकाश अवधि का पता, स्वीकृत होने पर.............................................. ..................................................
12. मैं आगामी अवकाश की अवधि में अवकाश यात्रा सुविधा का लाभ उठाना/नहीं उठाना चाहता/चाहती हूँ ।.......................................................

**vkosnd ds gLrk{kj**
**¼rkjh[k lfgr½ rFkk inuke**

13. नियंत्रण अधिकारी की टीप और/ या अनुशंसा...........................................

**gLrk{kj ¼rkjh[k lfgr½ rFkk inuke**

14. स्वीकृत कर्ता प्राधिकारी का आदेश

**gLrk{kj ¼rkjh[k lfgr½ rFkk inuke**

***;fn vkosnd }kjk dkbZ {kfriwjd HkRrk vkgfjr fd;k tk jgk gS rks Lohd`r drkZ izkf/kdkjh }kjk ;g mfYyf[kr fd;k tk,xk fd vodk'k lekfIr ds i'pkr og mlh in ij ykSVxk vFkok leku HkRrs okys fdlh vU; in ij A**

# i:i=&2
## ¼nf[k;s fu;e 14½
## vodk'k y[kk dk i:i=

शासकीय सेवक का नाम ..... जन्मतिथि .....निरंतर सेवा प्रारंभ की तिथि.....

अर्धस्थायी/स्थायी नियुक्ति की तिथि .....सेवानिवृत्ति/त्यागपत्र की तिथि .....

| अर्जित अवकाश | | | | | | | | | | | अर्धवेतन अवकाश | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| कैलेंडर वर्ष की छमाही में की गई सेवा का विवरण | | कैलेंडर वर्ष की छमाही में सेवा के पूर्ण माह की संख्या | छमाही के प्रारंभ में जमा किया गया अर्जित अवकाश | पिछले कैलेंडर की छमाही में उपयोग किये गये असाधारण अवकाश (कालम 36) के दिनों की संख्या | घटाने हेतु अर्जित अवकाश (कालम पांच की अवधि का 1/10) | कुल जमा अर्जित अवकाश (कालम 4+11–6) | लिया गया अवकाश | | | अवकाश से वापसी पर अर्जित अवकाश का शेष (कालम 7–10) | कैलेंडर वर्ष की छःमाही में सेवा के पूर्ण माह की संख्या | छःमाही के प्रारंभ में जमा किया गया अर्धवैतनिक अवकाश | पिछली छःमाही में ''अकार्य दिवस'' माने गये दिनों की संख्या | घटाने हेतु अर्धवेतन अवकाश (कालम की अवधि का 1/18) | कुल जमा अर्धवेतन अवकाश(कालम 35+13–15) | अवकाश | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | अर्धवेतन पर अर्जित हुए अवकाश के विरूद्व | | |
| से | तक | | | | | | से | तक | कुल दिवस | | | | | | | | | से | तक | कुल दिवस |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

## ¼futh dkj.kksa ls ,oa fpfdRlk izek.k i= ij y?kqd`r vodk'k ,oa vn; vodk'k½

| लिया गया | | | | | | | अदेय अवकाश संपूर्ण सेवाकाल में 360दिन तक सीमित | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| चिकित्सा प्रमाणपत्र के आधार पर पूर्ण वेतन पर लघुकृत अवकाश | | | बिना चिकित्सा प्रमाणपत्र के लोकहित में प्रमाणित अध्ययन हेतु लघुकृत अवकाश 180 दिन तक सीमित होगा (संपूर्ण सेवा काल में अर्धवेतन अवकाश 90 दिन तक के लघुकृत अवकाश में परिवर्तित होगा) | | | लघुकृत अवकाश का अर्धवेतन अवकाश में परिवर्तन (कालम 2 एवं 25 का दुगना) | चिकित्सा प्रमाणपत्र पर | | | बिना चिकित्सा प्रमाणपत्र के | | | अदेय अवकाश का योग(कालम 29+32) | लिये गये अर्धवेतन अवकाश का योग (कालम 19+26+33) | अवकाश से वापसी पर अर्धवेतन अवकाश का शेष (कालम 16–34) | लिये गये अन्य प्रकार के अवकाश |
| से | तक | कुल दिवस | से | तक | कुल दिवस | | से | तक | कुल दिवस | से | तक | कुल दिवस | | | | |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 |

टीप 1– अर्जित अवकाश के शेष को दिनों में दर्शाया जाना चाहिए ।

टीप 2– किसी शासकीय सेवक की नियुक्ति विशेष कैलेंडर वर्ष के जिस छःमाही में हुई है, उसके प्रत्येक पूर्ण कैलेंडर माह हेतु 2–1/2 दिन की दर से अर्जित अवकाश जमा किया जाएगा तथा अपूर्ण दिवस को आगामी पूर्ण दिवस में पूर्णांकित किया जाएगा ।

टीप 3– असाधारण अवकाश की अवधि को लाल स्याही में अंकित किया जाये ।

## i:i= &3

### ¼nf[k;s fu;e 17½

### 'kkldh; lsod ds vodk'k ;k vodk'k esa o`f) ;k y?kq`r vodk'k dh vuq'kalk gsrq fpfdRlk izek.k i=

**'kkldh; lsod ds gLrk{kj** ................................

मैं, प्रकरण की सावधानी पूर्वक व्यक्तिगत जांच करने के पश्चात् एतद्द्वारा यह प्रमाणित करता/करती हूँ कि श्री/श्रीमती/कुमारी ............................. जिसका हस्ताक्षर ऊपर लिया गया हैं ..................... से पीड़ित है एवं मेरे अभिमत से उसके स्वास्थ्य लाभ के लिये दिनांक ............से .................की सेवा से अनुपस्थिति अत्यंत आवश्यक हैं ।

**izkf/kd`r fpfdRlk ifjpkjd**
**-----------------vLirky@nokS[kkuk**
**;k vU; iathd`r fpfdRlk**
**0;olk;h**

**fnukad --------------------**

**fVIi.kh ¼1½&** बीमारी का स्वरूप तथा संभावित अवधि का उल्लेख होना चाहिए।

**fVIi.kh ¼2½&** इस प्रपत्र का यथासंभव पूरी सतर्कता से अनुसरण करना चाहिए तथा इसे शासकीय सेवक के हस्ताक्षर प्राप्त करने के उपरांत ही भरा जाना चाहिये। प्रमाणपत्र प्रदाय करने वाले अधिकारी को यह प्रमाणित करने की छूट नहीं होगी कि शासकीय सेवक को किसी विशिष्ट स्थान पर पदस्थ किया जाये अथवा उसके कार्यस्थल में परिवर्तन किया जाए, अथवा वह किसी विशिष्ट स्थान पर जाने के योग्य नहीं है । ऐसे प्रमाणपत्र केवल संबंधित प्रशासनिक प्राधिकारी, जिसे इस कारण से अवकाश हेतु आवेदन पत्र प्राप्त होने पर यह निर्णय लेना होता है कि क्या आवेदक को उसकी सेवा हेतु स्वस्थ होने संबंधी प्रश्न के विनिश्चय हेतु सिविल सर्जन या स्टाफ सर्जन के पास जाना चाहिए, के द्वारा स्पष्ट अपेक्षा करने पर ही दिया जाना चाहिए।

**fVIi.kh ¼3½&** यदि द्वितीय चिकित्सा अभिमत की आवश्यकता हो तो, अवकाश स्वीकृत करने हेतु सक्षम प्राधिकारी शीघ्रतम संभावित तिथि को किसी चिकित्सा अधिकारी जो सिविल सर्जन या स्टाफ सर्जन की श्रेणी से निम्न स्तर का न हो, से द्वितीय चिकित्सा परीक्षण की व्यवस्था करेगा, जो बीमारी के तथ्यों तथा आवश्यक अवकाश की मात्रा दोनों के संबंध में अभिमत देगा तथा इस उद्देश्य के लिये वह शासकीय सेवक को उसके समक्ष अथवा उसके द्वारा नामांकित किसी चिकित्सा अधिकारी के समक्ष उपस्थित होने की अपेक्षा रखेगा।

**fVIi.kh ¼4½ &** इस प्रमाण पत्र मे अन्तर्विष्ट कोई भी अनुशंसा शासकीय सेवक को किसी ऐसे अवकाश के लिये दावे की पात्रता नहीं प्रदान करेगा जो उसे देय न हो ।

## i|i= & 4
## ¼nf[k, fu;e 23 ¼3½½

### <u>dr0; ij ykVus gr| LoLFkrk dk fpfdRlk iek.k i=</u>

शासकीय सेवक के हस्ताक्षर .....................................

मैं,..........................सिविल / सर्जन / स्टाफ सर्जन, प्राधिकृत चिकित्सा परिचारक, पंजीकृत चिकित्सा व्यवसायी ........................................................................ एतद्द्वारा यह प्रमाणित करता / करती हूँ कि मैं, श्री / श्रीमती / कुमारी .................................... जिसका हस्ताक्षर ऊपर लिया गया है, का सावधानी पूर्वक परीक्षण करने के उपरांत यह पाता हूँ / पाती हूँ कि वह अपनी बीमारी से रोगमुक्त हो चुका / चुकी है तथा शासकीय सेवा में अपने कर्तव्य पर उपस्थित होने के योग्य है । मै यह भी प्रमाणित करता / करती हूँ कि इस निर्णय पर पहुंचने के पूर्व, मैंने प्रकरण से संबंधित उन मूल चिकित्सा प्रमाणपत्रों एवं विवरणों (अथवा उनकी प्रमाणित प्रतियों) का परीक्षण कर लिया है जिनके आधार पर अवकाश की स्वीकृति या उसमें वृद्धि की गई थी तथा मेरे निर्णय पर पहुंचने हेतु इन्हें विचार में लिया है।

**fIfoy I t|u@LVkQ I t|u**
**ikf/kd`r fpfdRlk ifjpkjd**
**iathd`r fpfdRlk 0;olk;h**

**fnukd ---------------------**

**fVIi.kh &** उपर्युक्त प्रमाण पत्र जारी करने वाले प्राधिकारी के समक्ष प्रकरण के उन मूल चिकित्सा प्रमाण पत्रों तथा विवरणों को प्रस्तुत किया जाएगा जिसके आधार पर मूलतः अवकाश की स्वीकृति या उसमें वृद्धि की गई थी । इस हेतु, प्रकरण के मूल प्रमाण पत्रों तथा विवरणों को दो प्रतियों में तैयार किया जाना चाहिए, एक प्रति संबंधित शासकीय सेवक द्वारा रखी जायेगी ।

## izi=&5
## ¼nsf[k, fu;e&49½

**<u>LFkkbZ 'kkldh; lsod }kjk v/;;u vodk'k esa tkrs le; fu"iknu gsrq cU/k i=</u>**

इन लेखों द्वारा सर्वसाधारण को विदित हो कि मैं, ............................................ निवास स्थान ....................... जिला................................वर्तमान पद ............................... ................... विभाग/कार्यालय ........................................ एतद्द्वारा मांग पर रू ........... ...............(रू......................केवल) तथा उस पर मांग की तिथि से 12 प्रतिशत वार्षिक की दर से ब्याज, अथवा यदि भुगतान भारत के बाहर के किसी देश में हो तो, उक्त राशि के समान उस देश की मुद्रा का उस देश और भारत के मध्य अधिकारिक विनिमय दर से रूपान्तरित राशि तथा अटार्नी और मुवक्किल के मध्य होने वाले समस्त खर्चे और शासन द्वारा किये जाने वाले तथा किये गये समस्त व्यय के लिये छत्तीसगढ़ के राज्यपाल (जिन्हें इसमें इसके पश्चात् ''शासन'' कहा गया है) के प्रति स्वयं को तथा मेरे उत्तराधिकारी, निष्पादको तथा प्रशासकों को आबद्ध करता हूँ ।

चूँकि मुझे ....................................को शासन द्वारा अध्ययन अवकाश स्वीकृत किया गया है

और चूँकि मैं शासन की अधिक सुरक्षा के लिये एतद्धीन लिखित ऐसी शर्तो पर यह बन्ध पत्र निष्पादित करने हेतु सहमत हुआ हूँ :–

अब ऊपरलिखित बाध्यता की शर्त यह है कि, अध्ययन अवकाश की अवधि की समाप्ति अथवा निरस्तीकरण के पश्चात् मेरे कर्तव्य पर उपस्थित न होने, बिना कर्तव्य पर उपस्थित हुये अथवा कर्तव्य पर उपस्थित होने के तीन वर्ष के भीतर सेवा से त्यागपत्र देने, सेवानिवृत्ति लेने या अन्यथा किसी कारण से सेवा छोड़ने पर मैं अविलंब शासन को अथवा शासन के निर्देशानुसार मांग की गई राशि रू. ..................... (रू. .....................................केवल) तथा उस पर भुगतान की तिथि से 12 प्रतिशत वार्षिक की दर से ब्याज का भुगतान करूंगा/करूंगी । इस बन्ध पत्र की शर्तो के उल्लंघन की स्थिति में, ऊपरलिखित राशि की वसूली भू–राजस्व के बकाया के रूप में की जाएंगी ।

और मेरे द्वारा ऐसा भुगतान करने पर उपरोक्त लिखित बाध्यता दायित्व शून्य तथा निष्प्रभावी होगा, अन्यथा यह पूर्णरूपेण प्रवृत्त होगा तथा रहेगा ।

छत्तीसगढ़ शासन द्वारा इस बन्धपत्र पर देय मुद्रांक शुल्क वहन करने की सहमति दी गई हैं ।

सन् दो हजार...............के माह.............के............ दिन को हस्ताक्षरित

**gLrk{kj --------------------------------**

**--------------------------------ds }kjk fuEu dh mifLFkfr esa gLrk{kfjr ,oa ifjnRr xokg%**

**¼1½----------------------------------------**

**¼2½----------------------------------------**

**Lohd`r**

**NRrhlx<+ ds jkT;iky ds fy;s vkSj mudh vksj ls**

## i`i=&6
## ¼nf[k;s fu;e&49½

### v/;;u vodk'k esa of/) Lohd`r gksus ij LFkkbZ 'kkldh; lsod }kjk fu"iknu gsrq cU/ki=

इन लेखों द्वारा सर्वसाधारण को विदित हो कि मैं, ...................................... निवासी ............................जिला .................वर्तमान पद .........विभाग/कार्यालय ...................... ....एतद्द्वारा मांग पर रू .....................(रू...................... ) तथा उस पर मांग की तिथि से 12 प्रतिशत वार्षिक की दर से ब्याज, अथवा यदि भुगतान भारत के बाहर के किसी देश में हो तो, उक्त राशि के समान उस देश की मुद्रा का उस देश और भारत के मध्य अधिकारिक विनिमय दर से रूपान्तरित राशि तथा अटार्नी और मुवक्किल के मध्य होने वाले समस्त खर्चे और शासन द्वारा किये जाने वाले तथा किये गये समस्त व्यय के लिये छत्तीसगढ़ के राज्यपाल (जिन्हें इसमें इसके पश्चात् ''शासन'' कहा गया है) के प्रति स्वयं को तथा मेरे उत्तराधिकारी, निष्पादको तथा प्रशासकों को आबद्ध करता हूॅं ।

चूॅंकि मुझे,................................................ शासन द्वारा दिनांक ................से दिनांक ....................... तक अध्ययन अवकाश स्वीकृत किया गया था जिसके प्रतिफल में मेरे द्वारा छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के पक्ष में दिनांक ................को रू ...... (रू. ...................................केवल) का बन्ध पत्र निष्पादित किया गया था ।

और चूॅंकि मुझे स्वयं के निवेदन पर दिनांक ............................................... तक अध्ययन अवकाश में वृद्धि स्वीकृत की गई हैं ।

और चूॅंकि मैं शासन की अधिक सुरक्षा के लिये एतद्धीन लिखित ऐसी शर्तो पर यह बन्ध पत्र निष्पादित करने हेतु सहमत हुआ हूॅं :–

अब ऊपर लिखित बाध्यता की शर्त यह है कि, अध्ययन अवकाश की अवधि की समाप्ति अथवा निरस्तीकरण के पश्चात् मेरे कर्तव्य पर उपस्थित न होने, बिना कर्तव्य पर उपस्थित हुये अथवा कर्तव्य पर उपस्थित होने के तीन वर्ष के भीतर सेवा से त्यागपत्र देने, सेवानिवृत्ति लेने या अन्यथा किसी कारण से सेवा छोड़ने पर मैं अविलंब शासन को अथवा शासन के निर्देशानुसार मांग की गई राशि रू. ..................... (रू. .............................. ...... केवल) तथा उस पर भुगतान की तिथि से 12 प्रतिशत वार्षिक की दर से ब्याज का भुगतान करूंगा/करूंगी । इस बन्ध पत्र की शर्तो के उल्लंघन की स्थिति में, ऊपर लिखित राशि की वसूली भू–राजस्व के बकाया के रूप में की जाएगी।

और मेरे द्वारा ऐसा भुगतान करने पर उपरोक्त लिखित बाध्यता दायित्व शून्य तथा निष्प्रभावी होगा, अन्यथा यह पूर्णरूपेण प्रवृत्त होगा तथा रहेगा ।

छत्तीसगढ़ शासन द्वारा इस बन्धपत्र पर देय मुद्रांक शुल्क वहन करने की सहमति दी गई हैं ।

सन् दो हजार .............के माह ..................के ...........दिन को हस्ताक्षरित

**-------------------------------ds }kjk fuEu dh mifLFkfr esa gLrk{kfjr ,oa ifjnRr xokg½**

**Lohd`r NRrhlx<+ ds jkT;iky ds fy;s vkSj mudh vksj ls**

**¼1½--------------------------------------**

**¼2½--------------------------------------**

# i i=&7
# ¼nf[k; fu;e&49½

## अस्थाई शासकीय सेवक द्वारा अध्ययन अवकाश में जाते समय निष्पादन हेतु बन्ध पत्र

इन लेखों द्वारा सर्वसाधारण को विदित हो कि हम,......................निवास स्थान......................जिला........................................वर्तमान पद........................... विभाग/कार्यालय .................. (''जिसे इसमें इसके पश्चात् बाध्यताधारी'' कहा गया है) और श्री/श्रीमती /कुमारी ......................................... आत्मज ................................ ............(जिसे इसमें इसके पश्चात् ''जमानतदार'' कहा गया है) एतद्द्वारा मांग पर रू ..........................(रू......................केवल) तथा उस पर भुगतान की तिथि से 12 प्रतिशत वार्षिक की दर से ब्याज, अथवा यदि भुगतान भारत के बाहर के किसी देश में हो तो, उक्त राशि के समान उस देश की मुद्रा का उस देश और भारत के मध्य अधिकारिक विनिमय दर से रूपान्तरित राशि तथा अटार्नी और मुवक्किल के मध्य होने वाले समस्त खर्चे और शासन द्वारा किये जाने वाले तथा किये गये समस्त व्यय के लिये छत्तीसगढ़ के राज्यपाल (जिन्हें इसमें इसके पश्चात् "शासन'' कहा गया है) के प्रति स्वयं को संयुक्त रूप से तथा पृथक–पृथक रूप से तथा अपने–अपने उत्तराधिकारियों, निष्पादकों तथा प्रशासकों को आबद्ध करते है ।

चूंकि बाध्यताधारी को शासन द्वारा अध्ययन अवकाश स्वीकृत किया गया है और चूँकि शासन की अधिक सुरक्षा के लिये बाध्यताधारी द्वारा एतद्धीन लिखित ऐसी शर्तो पर यह बन्ध पत्र निष्पादित करने की सहमति दी गई है:

और चूँकि उक्त जमानतदारों द्वारा उपरोक्त बाध्यताधारी .......................... ......................की ओर से प्रतिभू के रूप में इस बन्ध पत्र के निष्पादन की सहमति दी गई है ।

अब ऊपर लिखित बाध्यता की शर्त यह है कि बाध्यताधारी श्री/श्रीमती/कुमारी ................................ द्वारा अध्ययन अवकाश की अवधि की समाप्ति अथवा निरस्तीकरण के पश्चात् कर्तव्य पर उपस्थित न होने, बिना कर्तव्य पर उपस्थित हुये अथवा कर्तव्य पर उपस्थित होने के तीन वर्ष के भीतर सेवा से त्यागपत्र देने, या अन्यथा किसी कारण से सेवा छोड़ने की स्थिति में बाध्यताधारी तथा जमानतदारों को अविलंब शासन को अथवा शासन के निर्देशानुसार मांग की गई राशि रू.........................................(रू................केवल)तथा उस पर भुगतान की तिथि से 12 प्रतिशत वार्षिक की दर से ब्याज का भुगतान करना होगा । इस बंध पत्र की शर्तो के उल्लंघन की स्थिति में, ऊपरलिखित राशि की वसूली भू–राजस्व के बकाया के रूप में की जाएगी।

और बाध्यताधारी श्री/श्रीमती/कुमारी ....................................... और/अथवा श्री/श्रीमती/कुमारी ............................................................पूर्वोक्त जमानतदाताओं द्वारा ऐसा भुगतान करने पर उपरोक्त लिखित बाध्यता दायित्व शून्य तथा निष्प्रभावी होगा, अन्यथा यह पूर्णरूपेण प्रवृत्त होगा तथा रहेगा ।

परन्तु सदैव यह कि शासन या उसके द्वारा अधिकृत किसी व्यक्ति द्वारा (जमानतदारों की सहमति अथवा उनकी जानकारी से अथवा इसके बिना) समय प्रदाय करने अथवा किसी विरति, कृत्य या चूक के कारण एतद्धीन जमानतदारों का दायित्व कम या उन्मुक्त नहीं हो जायेगा न ही एतद्धीन बकाया राशि के लिये जमानतदार श्री / श्रीमती / कुमारी ................................और श्री / श्रीमती / कुमारी .......... ............................. अथवा इनमे से किसी के विरूद्ध वाद दायर करने के पूर्व बाध्यताधारी के विरूद्ध वाद दायर करना शासन के लिए आवश्यक होगा ।

छत्तीसगढ़ शासन द्वारा इस बन्ध पत्र पर देय मुद्रांक शुल्क वहन करने की सहमति दी गई है ।

सन् दो हजार .....................के ..................माह के .................दिन

को हस्ताक्षरित

ऊपर नामित बाध्यताधारी

श्री / श्रीमती / कुमारी ..........................

द्वारा निम्न की उपस्थिति में हस्ताक्षरित एवं परिदत्त

गवाह (1)........................

गवाह (2)........................

ऊपरनामित जमानतदार

श्री / श्रीमती / कुमारी............................

द्वारा निम्न की उपस्थिति में हस्ताक्षरित एवं परिदत्त

गवाह (1)........................

गवाह (2)........................

ऊपरनामित जमानतदार श्री / श्रीमती / कुमारी............................

द्वारा निम्न की उपस्थिति में हस्ताक्षरित एवं परिदत्त

गवाह (1)........................

गवाह (2)........................

**Lohd`r**

**NRrhlx< d jkT;iky d fy; vkj**

**mudh vkj l**

## izi=&8
## ¼nsf[k;s fu;e&49½

### अध्ययन अवकाश में वृद्धि स्वीकृत होने पर अस्थाई शासकीय सेवक द्वारा निष्पादन हेतु बन्ध पत्र

इन लेखों द्वारा सर्वसाधारण को विदित हो कि हम,......................निवास स्थान ........... .................जिला ........................................वर्तमान पद ............. विभाग / कार्यालय ........ ............ (जिसे इसमें इसके पश्चात् ''बाध्यताधारी'' कहा गया है) और श्री / श्रीमती / कुमारी ........................................... आत्मज .............................................और श्री / श्रीमती / कुमारी .............................. आत्मज ........................(जिसे इसमें इसके पश्चात् ''जमानतदार'' कहा गया है) एतद्द्वारा मांग पर रू ..........................(रू........... ........... ) तथा उस पर भुगतान की तिथि से 12 प्रतिशत वार्षिक की दर से ब्याज, अथवा यदि भुगतान भारत के बाहर के किसी देश में हो तो, उक्त राशि के समान उस देश की मुद्रा का उस देश और भारत के मध्य अधिकारिक विनिमय दर से रूपान्तरित राशि तथा अटार्नी और मुवक्किल के मध्य होने वाले समस्त खर्चे और शासन द्वारा किये जाने वाले तथा किये गये समस्त व्यय के लिये छत्तीसगढ़ के राज्यपाल (जिन्हें इसमें इसके पश्चात् "शासन'' कहा गया है) के प्रति स्वयं को संयुक्त रूप से तथा पृथक–पृथक रूप से तथा अपने–अपने उत्तराधिकारियों, निष्पादकों तथा प्रशासकों को आबद्ध करते है ।

चूँकि बाध्यताधारी को शासन द्वारा दिनांक .................... से दिनांक .......... ............ तक की अवधि का अध्ययन अवकाश स्वीकृत किया गया था जिसके प्रतिफल में उनके द्वारा छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के पक्ष में दिनांक ...............को रू . ...........................(रू. ...................................) का बन्ध पत्र निष्पादित किया गया।

और चूँकि बाध्यताधारी को स्वयं के निवेदन पर अध्ययन अवकाश में वृद्धि स्वीकृत की गई हैं और चूँकि शासन की अधिक सुरक्षा के लिये बाध्यताधारी द्वारा एतद्धीन लिखित ऐसी शर्तो पर यह बन्ध निष्पादित करने की सहमति दी गई हैः

और चूँकि उक्त जमानतदारों द्वारा उपरोक्त बाध्यताधारी ................................ .................की ओर से प्रतिभू के रूप में इस बन्ध पत्र के निष्पादन की सहमति दी गई है।

अब ऊपर लिखित बाध्यता की शर्त यह है कि बाध्यताधारी श्री / श्रीमती / कुमारी ................................ द्वारा अध्ययन अवकाश में की गई वृद्धि की अवधि की समाप्ति अथवा निरस्तीकरण के पश्चात् कर्तव्य पर उपस्थित न होने, बिना कर्तव्य पर उपस्थित हुये अथवा कर्तव्य पर उपस्थित होने के तीन वर्ष के भीतर सेवा से त्यागपत्र देने, सेवानिवृत्ति लेने या अन्यथा किसी कारण से सेवा छोड़ने की स्थिति में बाध्यताधारी तथा जमानतदारों को अविलंब शासन को अथवा शासन के निर्देशानुसार मांग की गई राशि रू.........................................(रू..................... . )तथा उस पर भुगतान की तिथि से 12 प्रतिशत वार्षिक की दर से ब्याज का भुगतान करना होगा । इस बंध पत्र की शर्तो के उल्लंघन की स्थिति में ऊपरलिखित राशि की वसूली भू–राजस्व के बकाया के रूप में की जाएगी ।

और बाध्यताधारी श्री / श्रीमती / कुमारी .....
और / अथवा श्री / श्रीमती / कुमारी ..... और / अथवा श्री / श्रीमती / कुमारी .....पूर्वोक्त जमानतदाताओं द्वारा ऐसा भुगतान करने पर उपरोक्त लिखित बाध्यता दायित्व शून्य तथा निष्प्रभावी होगा, अन्यथा यह पूर्णरूपेण प्रवृत्त होगा तथा रहेगा ।

परन्तु सदैव यह कि शासन या उसके द्वारा अधिकृत किसी व्यक्ति द्वारा (जमानतदारों की सहमति अथवा उनकी जानकारी से अथवा इसके बिना) समय प्रदाय करने अथवा किसी विरति, कृत्य या चूक के कारण एतदधीन जमानतदारों का दायित्व कम या उन्मुक्त नहीं हो जायेगा न ही एतद्धीन बकाया राशि के लिये जमानतदार श्री / श्रीमती / कुमारी .....और श्री / श्रीमती / कुमारी ..... ..... अथवा इनमे से किसी के विरूद्ध वाद दायर करने के पूर्व बाध्यताधारी के विरूद्ध वाद दायर करना शासन के लिए आवश्यक होगा ।

छत्तीसगढ़ शासन द्वारा इस बन्ध पत्र पर देय मुद्रांक शुल्क वहन करने की सहमति दी गई है ।

ऊपर नामित बाध्यताधारी
श्री / श्रीमती / कुमारी .....
द्वारा निम्न की उपस्थिति में हस्ताक्षरित एवं परिदत्त
गवाह (1).....
गवाह (2).....
ऊपरनामित जमानतदार
श्री / श्रीमती / कुमारी.....
द्वारा निम्न की उपस्थिति में हस्ताक्षरित एवं परिदत्त
गवाह (1).....
गवाह (2).....
ऊपरनामित जमानतदार
श्री / श्रीमती / कुमारी.....
द्वारा निम्न की उपस्थिति में हस्ताक्षरित एवं परिदत्त
गवाह (1).....
गवाह (2).....

**Lohdr**
**NRrhlx< dh jkT;iky dh fy;s**
**vkj mudh vkj ls**